खण्ड-201, अंक-2
मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1880
(17 फरवरी, 1959 ई0)

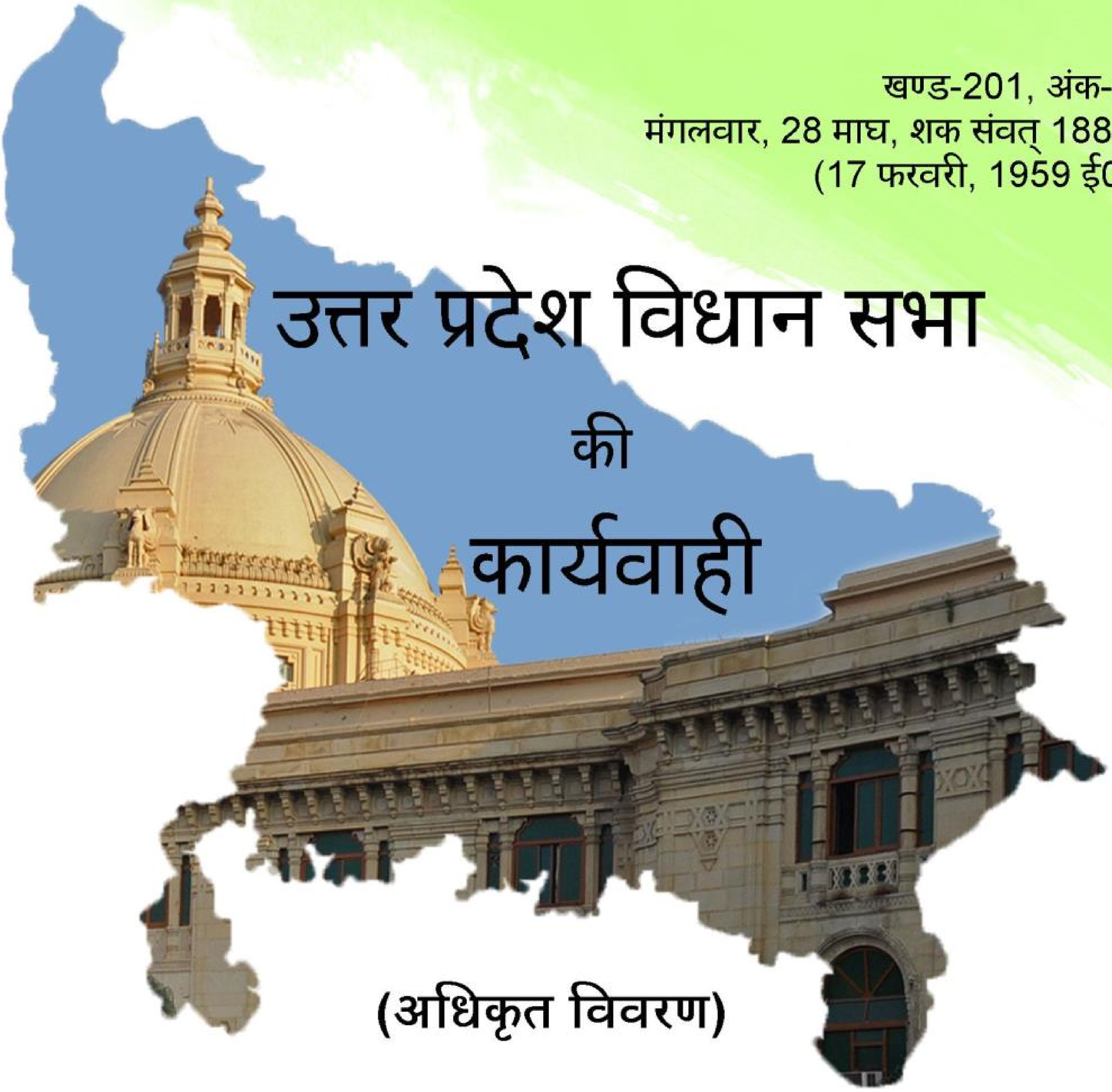

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
केतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारांचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिंगादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाद्यान्नों के सूचकांक में वृद्धि

**१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)-- क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनवरी, १९५७ के मुकाबिले में जनवरी, १९५९ में कुल खाद्यान्नों के मूल्यांकन (प्राइस इंडेक्स) में कितनी वृद्धि हुई ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जनवरी, १९५७ के मुकाबिले में जनवरी, १९५९ में खाद्यान्नों (अनाजों) के सूचकांक में उत्तर प्रदेश में ३०.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों की मूल्यांकन सूचिका के तैयार करने में कौन-कौन से खाद्यान्नों के मूल्यों की गणना की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसमें ७ चीजें गिनी जाती हैं--गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--गेहूं और चावल दोनों के अलग-अलग भावों में जनवरी, १९५७ और जनवरी, १९५९ में क्या अन्तर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गेहूं में ५३.५ और चावल में १.३ है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--किस खाद्यान्न की प्राइस इंडेक्स में सबसे अधिक वृद्धि हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गेहूं में।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या इस प्राइस इंडेक्स के छपाने की कोई व्यवस्था मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शायद उसमें दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो दे देंगे। वैसे मैं ठीक से नहीं कह सकता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--मूल्य वृद्धि के क्या कारण थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस पर तो कई बार सदन में बहस हो चुकी है। माननीय सदस्य को इस विषय में उतना ही ज्ञान है जितना कि और सब को है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---फूड ग्रेन्स के सम्बन्ध में जो प्राइस इंडेक्स का अन्दाजा सरकार ने लगाया है तो वह किन शहरों व देहातों का सर्वे करके लगाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खास तौर से कानपुर हमारे सामने रहता है।

तारांकित प्रश्न

अस्थायी पंचायत मन्त्री

*१---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पंचायतराज के सेक्रेटरियों को स्थायी करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी नहीं। पंचायत मंत्रियों को स्थायी करने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायतों के अधिकांश सेक्रेटरी कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायत सेक्रेटरी ग्राम सभाओं के व्यक्ति हैं। ज्यादातर लोग सन् १९४९-५० से कार्य कर रहे हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय---जब पंचायतों का सम्पूर्ण व्यय सरकार स्वयं वहन कर रही है तो पंचायत मंत्रियों को स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वे सरकारी नौकर नहीं हैं। पंचायतों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सरकार कुल तनख्वाह उन्हें अनुदान के रूप में दे रही है, यह दूसरी बात है कि सरकारी नौकर न होने के कारण सरकार उन्हें स्थायी नहीं करेगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है कि पंचायतराज सेक्रेटरियों को विलेज लेविल वर्कर्स की पोस्ट में मर्ज कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन विचार होता रहता है ऐसे प्रश्नों पर जब सामने आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार पंचायत सेक्रेटरियों को गवर्नमेंट सर्वेन्ट करार देने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नहीं, ऐसा विचार नहीं है।

चीनी मिल मजदूरों के लिए मकान

*२---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य की चीनी मिलों के मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिये सेवा आयोजकों को subsidy दिये जाने की व्यवस्था है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के मिलों के मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिए सेवा-आयोजकों को subsidy दिये जाने की व्यवस्था है।

*३---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी में Subsidised Housing Scheme के अन्तर्गत चीनी मिलों के मजदूरों के लिये वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में कितने मकान बने ?

श्री रामस्वरूप यादव--१०८ मकान सन् १९५६-५७ में बने। ये मकान सभी मिलों के कर्मचारियों के लिये हैं।

*४--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में वर्ष १९५५, १९५६ व १९५७ में कितना धन सेवा आयोजकों को श्रमिकों के मकान बनाने के लिये subsidy के रूप में दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल सन् १९५७ में २,५६,७२० रुपये दिया गया।

महापालिकाओं का चुनाव

*५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन नगरों में वह महापालिका के चुनाव कराने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार का विचार कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ में महापालिकायें स्थापित करने का है और इस कारण इन्हीं पांच नगरों में चुनाव कराने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन महापालिकाओं के चुनाव की कोई तिथि निश्चित की गई है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--अभी कोई निश्चित तिथि नहीं रखी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो कार्य करने के लिये नगरपालिकाओं को लिखा गया है वह कौन सा कार्य है और कब तक यह कार्य समाप्त हो जायगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उसके सिलसिले में पहले तो वार्ड्स बनाने की बात है। इसके लिये वोटर्स सूचियां तैयार हो रही हैं उसके बाद प्रबन्ध किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इनके चुनाव वे मई तक करा सकेंगे, ऐसा सम्भव समझते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--निश्चित कुछ कहना कठिन है। कोशिश यही है कि मई तक करा सकें तो अच्छा है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तिथि निश्चित न करने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जो पहले कार्यवाही करनी है वह जब तक पूरी न हो जाय तब तक तिथि निश्चित करना कठिन होगा।

श्री झारखंडेराय--इन पांचों शहरों के आस-पास का जो इलाका मिलाया जाने वाला है वह कार्य पूरा हो चुका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरे खयाल से सबका नोटिफिकेशन हो गया है; एक का विचार में था, वह भी शायद हो गया होगा।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन महापालिकाओं का जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ऐड-हाक कमेटी बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि वह कब तक इन चुनावों की तिथि का एलान कर देंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, जब इस स्थिति में होंगे तब ऐलान कर देंगे ।

*६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बधानगढ़ तथा औनेड़ी में पुल निर्माण की मांग

*७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास अल्मोड़े जिले के सल्ट क्षेत्र में बधानगढ़ तथा औनेड़ी स्थान पर पुल-निर्माण किये जाने की मांग आई है ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---बधानगढ़ गधेरा का पुल बन कर तैयार हो गया है ।

औनेड़ी स्थान पर रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण भी चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो गया है तथा आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सल्ट की जनता ने जिस जगह बधानगढ़ पुल की मांग की है वहां न बनाकर दूसरी जगह बनाया गया है ?

श्री महावीरसिंह---टेक्निकल ऐडवाइस पर जहां उपयुक्त होता है वहीं पर पुल बनाया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सल्ट की जनता की मांग जिस पुल के लिये है वह देवता-गधेरी के संगम से आगे बधान नदी पर है उसके लिये कांट्रेक्ट भी ९०,००० रु० का हो चुका है उसके बाद में उसको स्थगित कर दिया गया ?

श्री महावीरसिंह---इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो निर्मित पुल है वह क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा पहले बनाया गया है उसी से तात्पर्य है ?

श्री महावीरसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

कुमायूं डिवीजन में पैदल मार्गों पर पुल निर्माण योजना

*८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुमायूं डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पैदल सड़कों (Bridle roads) पर कौन-कौन से पुल बनाये जाने वाले हैं तथा बनाये जा रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह---सार्वजनिक निर्माण विभाग की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुमायूं डिवीजन में पैदल मार्गों पर ३४ पुलों का निर्माण सम्मिलित है । इन पुलों का विवरण तथा वर्त्तमान स्थिति सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८० पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक नैनीताल जिले के ६ पुल नहीं बने, वह क्यों नहीं बन सके ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---इसके डिसीजन होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सामान की जरूरत है वह नहीं मिलता । जिन नदियों के ऊपर पुल को बनाना है वह मालूम है । कौन-सी साइट होगी, इसका सलेक्शन सामान वगैरह मिल जायेगा तब हो जायेगा । उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--६ पुलों की साइट कौन-कौन सी हैं, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने कहा कि साइट सेलेक्शन होगा। बाकी जगह जो हैं जिन-जिन नदियों पर पुल बनाने हैं और जहां कि पब्लिक के लिये बनाने हैं वह तो मालूम है मुहकमे को। इसकी मुझे सूचना नहीं है कि कौन-सी नदी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रामेश्वर के पुल का जो जिक्र जवाब में किया है वह सड़क बन जाने पर अभी तक क्यों नहीं बना ?

श्री महावीरसिंह--जवाब में दिया हुआ है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये जो ६ पुल स्वीकृत नहीं हुये उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलों के निर्माण के संबंध में जिस सामान की आवश्यकता है वह कब तक मुहैया कर लेंगे ?

श्री महावीरसिंह--सामान एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह जो लिस्ट दी हुई है उसमें लिखा है कि ६ पुल स्वीकृत नहीं हुये। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पुल हैं और तीन वर्ष व्यतीत हो चुके लेकिन अभी तक साइट भी तय नहीं हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने जैसा कि अभी बतलाया कि साइट वगैरह जो है उसमें बहुत समय नहीं लगता। इस वक्त पहला सवाल स्टील वगैरह के मिलने का है। वह हो जाय तो हाथ की हाथ साइट देखकर बना देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पुलों की लिस्ट दी गई है, उसमें कौन-कौन से बन चुके हैं और कौन बन रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--वह तो माननीय सदस्य को जो सूचना दी गई है उसमें सब बातें बतलाई गई हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धारचूला के स्थान पर काली नदी का पुल बन रहा है या बन चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--नोटिस की जरूरत होगी।

टनकपुर-पिठौरागढ़ सड़क

*९--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर से पिठौरागढ़ मोटर रोड जो ९४ मील है कितने मील पक्की है और उसकी अनुपातिक चौड़ाई कितनी फीट है ?

श्री महावीरसिंह--इस मार्ग के ३० मील पक्के हैं तथा ६४ मील कच्चे हैं। इसकी अनुपातिक चौड़ाई १४ फीट है।

*१०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिठौरागढ़-अस्कोट मोटर रोड में कितने ऐसे पुल हैं जो टूटे हैं और वह कब तक बन जायेंगे ?

श्री महावीरसिंह--इस मार्ग में कोई भी पुल टूटा हुआ नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि यह टनकपुर से पिठौरागढ़ की सड़क काफी पुरानी है । इसके ६४ मील कच्ची रहने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---कारण तो इसका यह है कि धन की कमी है । ज्यों-ज्यों धन उपलब्ध होता है किसी भी मद से तो उससे ज्यादा से ज्यादा माडरेनाइज करते हैं, मैटिल करते है, पेन्ट करते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री इस बात को दखते हुये कि ६४ मील कच्ची सड़क होने के कारण जुलाई और बरसात के बीच पूरे दिनों में यह सड़क बन्द हो जाती है, इसको पक्का करने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---उस के पक्का होने के लिये स्वीकृति हो चुकी है और उस पर कार्य भी आरम्भ हो चुका है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सड़क को पक्की और चौड़ी कराने के लिये कितने रुपये का प्राक्कलन हुआ और वह कब तक पक्की हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह---इसके कई भाग हैं, एक तो है लोहाघाट-पिठौरागढ़ का भाग और दूसरा है टनकपुर-पिठौरागढ़ लोहाघाट । माननीय सदस्य का किस से मतलब है ?

श्री प्रतापसिंह---मेरा मतलब सार्वजनिक सड़क से है जो पूरी है ।

श्री महावीरसिंह---टनकपुर-पिठौरागढ़ मार्ग के लोहाघाट-पिठौरागढ़ भाग को पक्का करने तथा आधुनिकीकरण का कार्य केन्द्रीय सरकार की बेकारी निवारण योजना के अन्तर्गत ४ लाख रुपया की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया जा चुका है तथा इस कार्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के बजट में १ लाख रुपये का प्राविधान है । इस के अतिरिक्त टनकपुर लोहाघाट भाग (मील १७-४८) के सुधार का कार्य भी ४,३०,५०० रुपये की लागत पर स्वीकृत किया जा चुका है । इस कार्य के लिये भी चालू वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के बजट में २४ हजार रुपये का प्राविधान है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतायेंगे कि पिठौरागढ़-अस्कोट सड़क पर कितने पक्के पुल हैं ?

श्री महावीरसिंह---६ तो आर० सी० सी० के हैं, ११ पक्के पाये के हैं और २ कच्चे के हैं ।

रसड़ा नोटीफाइड एरिया

*११---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रसड़ा-नोटीफाइड एरिया (जिला बलिया) को 'सुपरसीड' करने का निश्चय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---रसड़ा नोटीफाइड एरिया को सुपरसीड करने का कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

*१२---**श्री झारखंडेराय**---यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न ही नहीं उठता ।

झांसी नगरपालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत

*१३---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---क्या सरकार के पास झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के ६ सदस्यों द्वारा सितम्बर ३०, १९५८ तथा नवम्बर १५, १९५८ को गबन तथा अन्य आरोप लगाते हुये कोई शिकायती-पत्र जांच तथा शीघ्र कार्यवाही हेतु आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । शिकायती पत्रों की प्रतिलिपियां बनवाने में जितना श्रम तथा धन लगेगा उससे उतना लाभ न होगा । सदस्य महोदय इन्हें मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हैं ।

*१४—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि उक्त दोनों शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध म अब तक कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच हो रही है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के सदस्यों द्वारा जो शिकायतें सरकार के पास अक्तूबर-नवम्बर, १९५८ में भेजी गई ह वही शिकायतें इसक पूर्व जनवरी-फरवरी, सन् १९५८ में भी भजी गई थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो चुनाव के थोड़े दिन बाद ही आना शुरू हो गई थीं, उन्हीं लोगों न वह पहल की थीं, वह शिकायतें क्या हैं वह तो पूरा थीसिस है और उनके बारे में बताना कठिन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी नगरपालिका क किन अधिकारियों क विरुद्ध यह शिकायतें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—व चयरमन के खिलाफ हैं और उसी सम्बन्ध में वहां के कुछ कर्मचारी भी उस में सम्मिलित हो जात हैं लकिन खासतौर से तो वे चेयरमैन के ही खिलाफ हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन से अधिकारी हैं जो मेम्बरों और चयरमैन क साथ सम्मिलित हो जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो निवेदन किया कि शिकायतें तो इतनी अधिक हैं कि कहीं तो आक्ट्राय क मामल ह, कहीं पिक-अप खरीदने का मामला है, किसी-किसी में अधिकारी भी उसमें आ जात हैं लेकिन वे विशेषतः प्रेजीडेंट के विरुद्ध हैं और यह शिकायतें चुनाव के थोड़े दिन क बाद ही आना शुरू हो गई थीं ।

वन विभाग के कार्यालयों को नैनीताल से न हटाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*१५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल में वन विभाग क प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका, नैनीताल के प्रस्ताव, नगरपालिका अध्यक्ष के पत्र और जनता के प्रार्थना-पत्र आये हैं । यदि हां, तो सरकार न इस सम्बन्ध म क्या फसला किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । वन विभाग का कार्य शीघ्र तथा सुचारु रूप से चलाने क लिये चीफ कन्जरवेटर का एक कैम्प आफिस थोड़े से कर्मचारियों के साथ लखनऊ में खोला गया है और कन्जरवटर टहरी वृत्त का कार्यालय हटाकर देहरादून में कर दिया गया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यही कंजरवेटर आफ फारेस्ट सन् २३ से लगातार नैनीताल में रहते थे ? यदि हां, तो अब लखनऊ में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इसके दो कारण हैं । एक तो पहले हमने यह अरेंजमेंट किया था कि बजाय इसके कि आफिस में फाइलें रहें वही चीफ कंजरवेटर के यहां जाया करें और वहां से दफ्तर में आयें और उनका डिस्पोजल एक ही फाइल पर सब हो जाया करे । इस सिलसिले में बहुत देर लगती थी, क्योंकि उनका दफ्तर नैनीताल में होता था और असेम्बली यहां होती थी । सारे काम यहां होते थे और खास कर जाड़े के दिनों में, तो यह तय किया

गया कि एक कैम्प आफिस यहां हुआ करे । दूसरी वजह यह है कि वन विभाग का बहुत सा हिस्सा जो मैदानों में है उसका वे इंसपेक्शन करने में चीफ कंजरवेटर को नैनीताल से आने-जाने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिये ताकि ज्यादा काम हो सके यह तय किया गया कि दफ्तर का एक भाग लखनऊ में रहे और यहां से वह काम करें, कम से कम ६ महीने के लिये । तो एक कैम्प आफिस लखनऊ में रहता है और बाकी दफ्तर नैनीताल में है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है जो कि कल माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि चीफ कंजरवेटर का दफ्तर रिआर्गिनाइजेशन स्कीम, पुनर्संगठन के अनुसार लखनऊ लाया गया अथवा वह उत्तर सही है जो आज जवाब दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---वही बात मैंने अब बतलाई कि रिआर्गिनाइजेशन स्कीम के मुताबिक चूंकि फाइल वहां पहले जाती थी और उसमें वक्त ज्यादा लगता था लिहाजा वह यहां लाना पड़ा । वही बात मैं आज कह रहा हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय वन मंत्री इस बात को देखते हुये कि रिआर्गिनाइजेशन स्कीम अब ड्राप कर दी गयी है, कैम्प आफिस समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर यह महसूस होगा कि उसके यहां रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी और वजह भी दी है, तो यकीनन उस पर विचार करेंगे ।

टोंस नदी पर नरौली ग्राम का पुल

*१६---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के ग्राम नरौली में जो टोंस नदी पर पुल बन रहा है उसमें कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री महावीरसिंह---लगभग ११.५० लाख रुपया ।

*१७---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त टोंस नदी का पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह---लगभग मार्च, १९६० तक पुल बन जाने की सम्भावना है ।

बटलरगंज, लखनऊ का नाला

*१८---**श्री सुरथबहादुरशाह** (जिला खीरी)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में बटलर गंज में जो नाला परागनारायण रोड के उत्तर में बहता है उसके पानी के निकास को तिलक मार्ग पर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । इसका कारण यह था कि प्रयाग नारायण रोड के उत्तर में जो बरसाती नाला बटलर रोड से होकर बहता था, उसका निकास एक तालाब से होकर था । गत वर्षा ऋतु में अत्याधिक बाढ़ आ जाने के कारण बालू जम गई और गाजीउद्दीन हैदर केनाल अपने पूर्व स्थान से हटकर उपरोक्त तालाब की पुलिया के पास से बहने लगी है । इस पुलिया को इस समय बन्द रक्खा गया है क्योंकि यह शंका है कि यदि ऐसा न किया जाय तो सम्भव है कि नहर का गन्दा पानी किसी समय बढ़ कर उस नाले से उल्टा न बहने लगे ।

*१९---**श्री सुरथबहादुरशाह**---क्या स्वायत शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में नये सीवर पाइप में बटलरगंज के पास शहर का बहुत-सा हिस्सा पानी में डूब गया था ? यदि हां, तो उस के लिए सरकार तथा म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या किया और क्या करने को सोच रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। म्युनिसिपल बोर्ड ने पानी की निकासी के लिए पम्पिंग का प्रबन्ध किया और जौपलिंग रोड पर स्थित नाले की तुरन्त सफाई करायी। स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग ने जो नये सीवर का निर्माण करा रहा है, एक मेनहोल को जो पानी के निकास के लिए अस्थायी रूप से बन्द कर के छोड़ दिया था, बाढ़ के पश्चात् स्थायी रूप से बन्द करवा दिया है।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बटलरगंज के ताल में होकर जाता है तो यह जानकर मछली पालने के लिए रोका गया या खद बखुद बालू से पटा है?

श्री रामस्वरूप यादव---यह मछली पालने के लिए तो, जहां तक खयाल है, नहीं रोका गया। पानी बढ़ गया था, बजाय इसके कि पानी और ज्यादा बढ़ जाय इस वास्ते रोका गया था।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि इस कुंड की मछलियां बेचा गयी हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी। पता नहीं म्युनिसिपल बोर्ड ने बेचीं या किसी व्यक्ति ने बंगलिया डालकर बेचीं, आपका आशय क्या है?

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या सरकार को पता है कि मछली मारने और पालने के कारण यह बांध बन्द किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक मेरी सूचना है, श्रीमन, और जो उत्तर से मैं समझ सका वह यह है कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि मछलियों की वजह से बाढ़ लाई जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तिलक मार्ग में, बटलरगंज में सड़क के किनारे एक तालाब म्युनिसिपल बोर्ड ने बनाया है और उसको तफरीह की जगह बनाने के लिये फूल पत्ती वगैरह भी लगाई हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, श्रीमन्।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मंत्री जी कहते हैं कि पानी के निकास के लिये मेन-होल बन्द किया गया था तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके कारण कितनी क्षति पहुंची?

श्री रामस्वरूप यादव---उसके कारण क्षति नहीं पहुंची है। अगर वह बन्द न किया जाता तो ज्यादा नुकसान होता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

डिवीजनल फारेस्ट आफिस गोरखपुर के अस्थायी क्लर्क

*२०---**श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Divisional Forest Office, गोरखपुर में कुल कितने क्लर्क ऐसे हैं जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्यारह (११)।

*२१---**श्री अब्दुलरऊफ लारी**---क्या वित्त मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि उप-र्युक्त अनकन्फर्म्ड क्लर्कों में कितने ऐसे क्लर्क हैं जिनका कार्य काल १० साल से भी अधिक है?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई नहीं।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या मंत्री जी बतायगे कि उनम ज्यादा से ज्यादा कितने वर्षों के कर्मचारी हैं और कम-से कम कितने वर्षों के ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं जरा इसको साफ कर दूं। सूरत यह है कि वहां १९ क्लर्क्स हैं जिनमें से ९ जगह मुस्तकिल हैं और ८ कन्फर्म हो चुके हैं। जहां तक १० का ताल्लुक है तो जब जगह ही टैम्पोरेरी हैं तो उनका कोई सवाल कन्फर्म होने का नहीं है। एक का मामला है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है इसलिये उसको कन्फर्म नहीं किया गया है। इसमें कुल एक अनकन्फर्म्ड है। यह एक वर्ष १० महीने से लेकर ७ वर्ष ५ महीने तक के ह।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि जो कन्फर्म कर लिये गये हैं वह जो अनकन्फर्म्ड रह गये ह उनके बाद के ह या साथ के ह ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मुझे नहीं मालूम।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी सरकारी नीति को घोषित करेंगे कि कितने दिनों के बाद परमानेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क कन्फर्म हो जाना चाहिये ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये कायदा तो यह है कि तीन वर्ष के बाद अमूमन हो जाते हैं। यह इसलिये रखे गये कि वहां सेटिलमेंट का काम चल रहा है। वह परमानेंट नही हैं बल्कि टैम्पोरेरी जगह बनाई गई हैं और उन्हीं पर कुछ लोग काम कर रहे हैं।

तेरही तथा रोहिन नदियों पर पुल निर्माण

*२२---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तेरही नदी, गोरखपुर जिले की रोहिन नदी के उपर पुल बनकर तयार हो गये हैं ?

श्री महावीरसिंह---जी हां।

*२३---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पुलों की अलग-अलग लम्बाई व चौड़ाई क्या है ?

श्री महावीरसिंह---तेरही नदी का पुल २६४ फीट तथा रोहिन नदी का पुल ४३० फीट लम्बा है। इन दोनों पुलों की चौड़ाई १४ फीट है।

*२४---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन पुलों पर अलग-अलग अब तक कितना व्यय किया गया ?

श्री महावीरसिंह---अब तक तेरही नदी के पुल के निर्माण में ३,६८,९५१ रु० तथा रोहन नदी के पुल के निर्माण में ७,३२,७७९ रु० व्यय हो चुका है।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पुलों को बनाने में अलग-अलग क्या एस्टीमेट था ?

श्री महावीरसिंह---गोंडा जिले में तेरही का पुल है उसके लिये ४,३२,००० रुपये की अनुमानित लागत थी और यह जो दूसरा पुल है इसके लिये बेकारी निवारण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से ५० लाख रुपया ऋण के रूप में प्राप्त धन में कुछ पुल थे उनमें यह भी सम्मिलित था।

बहराइच नगरपालिका में मेहतरों की हड़ताल

*२५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, बहराइच के सफाई कर्मचारी गत ९ अक्तूबर, सन १९५८ ई० से काम नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, नगरपालिका में दिनांक ८ अक्तूबर, १९५८ को २०५ मेहतर काम करते थे जिनमें से १८१ मेहतर दिनांक ९ अक्तूबर, १९५८ से बिना किसी सूचना के तथा बिना नोटिस दिये ही काम पर नहीं आये। उनके काम पर न आने का कारण ज्ञात नहीं था क्योंकि उन्होंने लिखित रूप से या जबानी अपनी कोई भी मांग नगरपालिका के समक्ष नहीं रक्खी। फिर भी नगरपालिका व मेहतरों में अब राजीनामा हो गया है और उसके अनुसार वह लोग काम पर आ गये हैं।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजीनामा की अन्य शर्तें क्या हैं और जो मेहतर काम पर रखे गये ह उनको पुराने ग्रेड दिये गये ह या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, राजीनामें की शरायत मर पास नहीं हैं और जिन्होंने वहां पर कोई अनियमितता नहीं की वे सभी काम पर फिर वापस आ गये हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन महतरों की मांगे क्या थीं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने यह निवेदन किया है कि उन्होंने मांगों के बारे में न कोई नोटिस दी और न मौखिक ही कोई बात कही।

बांगरमऊ टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*२६—श्री राजनारायण—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, बांगरमऊ, जिला उन्नाव के आठ सदस्यों का चयरमैन टाउन एरिया क विरुद्ध अभियोगों सहित अविश्वास का प्रस्ताव मार्च सन् १९५८ में जिलाधीश, उन्नाव व सेक्रेटरी, लोकलसेल्फ-गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिलाधीश, उन्नाव से इसकी जानकारी की गयी थी, तब उत्तर दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—उत्तर तो जहां जरूरी होता है, वहां से जानकारी के बाद ही दिया जाता है। फिर अविश्वास का प्रस्ताव मार्च, १९५८ में वैसे ही नहीं आ सकता था, क्योंकि बोर्ड ही नवम्बर, १९५७ में बना था।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी ह कि जिलाधीश, उन्नाव ने स्वय मेरे एक पत्र के उत्तर में १९ दिसम्बर, १९५८ को लिखा है कि हां, आठ सदस्यों द्वारा १३ आरोपों सहित एक प्रार्थना-पत्र टाउन एरिया, चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में १२ जुलाई, सन् १९५८ को प्राप्त हुआ था?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें उन्होंने एक प्रश्न किया है अविश्वास क प्रस्ताव क सम्बन्ध में और दूसरा प्रश्न किया है अविश्वास सम्बन्धी बातों के बारे में, जो उन्होंने कोई शिकायती-पत्र दिया हो। लेकिन बाद में यह अविश्वास का प्रस्ताव आया जो कि जनवरी, १९५९ में पास भी हो गया।

श्री राजनारायण---मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि मार्च का अविश्वास का प्रस्ताव, जिसमें १३ आरोप थे और जिस पर आठ सदस्यों के दस्तखत थे वह जिलाधीश को मिला था या नहीं। दूसरा हमारा प्रश्न आगे आ ही रहा है। दूसरे का उत्तर क्यों दे रहे हैं? जिलाधीश के पत्र की कापी हमारी फाइल में मौजूद है।

श्री रामस्वरूप यादव---जिस शिकायती-पत्र का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसकी जिलाधीश ने जांच की थी। उसमें बहुत-सी बातें सही नहीं पायी थीं, जो १३ शिकायतें वह बता रहे हैं।

श्री राजनारायण---तो जब सरकार को मालूम है कि जिस पत्र के बारे में मैं कह रहा हूं वह जिलाधीश को मिला था और जिलाधीश ने जांच भी की तो सरकार की ओर से क्यों उत्तर दिया गया कि जी नहीं, पत्र नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, स्थिति यह है कि शिकायती-पत्र जिलाधीश के पास आया था। अविश्वास का प्रस्ताव तो गवर्नमेंट के पास नहीं आना चाहिये था। अगर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो जिलाधीश को पेश किया जाता है। मार्च, सन् १९५८ के उस पत्र पर अलग से विचार हुआ। अविश्वास का प्रस्ताव बाद में आया और वह जनवरी, १९५९ में पास हो गया और अब स्थिति यह है कि उन चेयरमैन साहब ने इस्तीफा भी दे दिया है।

श्री राजनारायण---मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जब जिलाधीश के पास मार्च वाला पत्र आ गया आठ आदमियों के दस्तखत सहित तब प्रश्न के उत्तर में सरकार ने "जी नहीं" क्यों लिखा?

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री राजनारायण---जी नहीं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप जरा देखिये। आपने प्रश्न में जिलाधीश और सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिये लिखा था। जब आपने दोनों के लिये पूछा तो उन्होंने कहा "जी नहीं"। आप एक के बारे में पूछते तो वह उस प्रकार का उत्तर देते। जिलाधीश के बारे में जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायती-पत्र आया था।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय मन्त्री जी ने बताया कि बहुत-सी शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। तो क्या माननीय मन्त्री जी उन शिकायतों का जिक्र करने की कृपा करेंगे जो सही पायी गयीं?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, वह दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। वह भी प्रश्न आज आ रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, जो स्वीकार करने के अधिकारी हैं, स्वीकार भी कर लिया है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, आप देखें कि, ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में, लोक सभा में, टंडन जी के समय में यहां भी और अपने समय को भी देख लें, नियम यह है कि जब प्रश्न हो तो जो सम्बन्धित मंत्री हों उनको हां या नहीं में उत्तर देना चाहिये। हम उनका लेक्चर सुनने के लिये यहां नहीं आये हैं। वह लम्बा-सा लेक्चर दे रहे हैं। उनको हां या नहीं में साफ-साफ कहना चाहिये था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वह अविश्वास का प्रस्ताव आया या नहीं, या नोटिस मांग लें। तो जो उत्तर उन्होंने दिया है क्या वह उचित है?

श्री अध्यक्ष---आप जो कह रहे हैं, वह गलत बात है। प्रश्न मंत्री जी से सूचना के लिये पूछे जाते हैं। उन्होंने सूचना देकर स्पष्टीकरण कर दिया। इसमें लेक्चर की बात नहीं है। आप जैसा चाहते थे उस तरह उन्होंने उत्तर नहीं दिया इसलिये आप नाराज हैं। यह बात गलत है।

श्री राजनारायण---यह बात नहीं है, श्रीमन्, वह छिपाने के लिये लीपापोती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई कारण दिखाई नहीं देता। छिपाने के लिये कोई मोटिव होना चाहिये और इसमें कोई मोटिव दिखाई नहीं देता।

स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों का साक्षात्कार

*२७---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ में स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों को साक्षात्कार करने के लिये किन-किन मासों में बुलाया गया है और भविष्य में बुलाने के लिये भी कोई आदेश जारी हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों को साक्षात्कार के लिए दिनांक ९ तथा १० जुलाई, १९५८ और २ सितम्बर, १९५८ को बुलाया गया था। भविष्य में पंचायत निरीक्षक पद पर स्थानापन्न नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की कोई तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है।

*२८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त साक्षात्कारों के परिणामों की तालिका समस्त जिलाधीशों को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। ऐसी तालिका समस्त जिलाधीशों को भेजी गयी है। परन्तु इस तालिका की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी नहीं जा सकती।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत शासन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९, १० जुलाई, १९५८ के बाद २ सितम्बर, १९५८ को पुनः बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव---संचालक के सामने यह विषय आया कि जो पहले ९ और १० जुलाई को चुनाव हुआ था उस में कुछ लोग ऐसे रह गये थे जो ३० जून, १९५८ को पंचायत निरीक्षक का कार्य कर रहे थे। ऐसी रिपोर्टें जिलों से आयीं, तब दोबारा तिथि निश्चित कर दी गयी कि ऐसे लोग जो नहीं आ सके थे वे फिर आ जायं और उनको जैसा मैंने निवेदन किया कि सितम्बर के महीने में दोबारा उनको बुलाया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन साक्षात्कारों का नतीजा जो जिलाधीशों को भेजा गया उसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से उन निरीक्षकों को भी करा दी गयी है जो चुन लिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिन व्यक्तियों के ६५ नम्बर से ज्यादा आये थे उनको अवश्य जानकारी करा दी गयी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि उन में से ५३ आदमी इस वक्त पंचायत इन्स्पेक्टर के स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तालिका जिलाधीशों को भेजी गयी है उसकी प्रतिलिपि सदन में न देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह इस वजह से कि यह कन्फिडेंशियल डाकुमेंट है। उस में उन्होंने इन्टरव्यू कर के कुछ आदमियों को नम्बर दिये हैं। उन को सदन की मेंज पर रखना उचित नहीं होगा। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में मुझ से जानना चाहें तो कार्यालय में आ जायं, उनको वहां पर सन्तुष्ट कर दिया जायगा।

इलाहाबाद में कर्जन ब्रिज पर रोशनी का अभाव

*२९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के किन-किन पुलों पर जो गंगा जमुना पर बने हैं बिजली तथा रोशनी का प्रबन्ध है ?

श्री महावीरसिंह---किसी पर नहीं।

*३०---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद के कर्जन ब्रिज जो फाफामऊ ग्राम जाने के लिये बना है, पर कोई रोशनी का प्रबन्ध नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि उक्त ब्रिज पर कब तक रोशनी का प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---यह बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे प्रशासन की स्वीकृति पर निर्भर है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या निर्माण मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से उस पर रोशनी कराने के लिये कोई लिखा-पढ़ी की है ?

श्री महावीरसिंह---जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जमुना ब्रिज के ऊपर रोशनी का प्रबन्ध है, यदि हां, तो यह प्रान्तीय सरकार ने किया है या केन्द्रीय सरकार ने किया है ?

श्री महावीरसिंह---रेल और रोड दोनों की है। उसका प्रबन्ध रेलवे ने किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल रोड के लिये करता है। आपने उस रेलवे की लाइट को देखा होगा। इसलिये ऐसा समझ रहे हैं।

जिला परिषद् विधेयक

*३१---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् विधेयक सदन के सम्मुख लाने का विचार उसका कब तक है ?

श्री रामस्वरूप यादव---राष्ट्रपति की स्वीकृति आ जाने पर विधेयक पुरः स्थापित किया जायगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पुरःस्थापित करने के पहिले राष्ट्रपति की स्वीकृति की क्या जरूरत पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप यह संविधान के सम्बन्ध में प्रश्न कर रहे हैं। तो आप स्वयं संविधान का परिच्छेद देख लें।

श्री झारखंडेराय---मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव---जिस सम्बन्ध में यह अधिनियम बन रहा है उसमें यह आवश्यक होता है कि इन्ट्रोड्यूस करने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिये कब भेजा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी तिथि के बारे में तो बताना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यह भेजा जा रहा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि राष्ट्रपति के पास इस अधिनियम को स्वीकृति के लिये इसलिये भेजना पड़ा कि इसमें नियोजन का काम भी निहित है और नियोजन का काम जिला परिषदों को देने के कारण विकास की गति धीमी पड़ गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो संविधान को देखकर स्पष्ट हो जायगा । यह विकास की गति धीमी करने के लिये नहीं भेजा गया । इसको भेजने की जरूरत थी इसलिये भेजा जा रहा है ।

श्री राजनारायण---क्या इसके पूर्व जिला परिषद् का कानून जो लागू किया गया वह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के यहां रखा गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो अन्तरिम जिला परिषद् का कानून था जिसको भेजने की जरूरत नहीं थी, परन्तु जो जिला परिषद् का कानून आ रहा है उसको भेजने की जरूरत है । उसके लिये कानूनी सलाह है, इसलिये भेजा जा रहा है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या यह अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा नहीं गया है या भेजे जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भेजे जाने पर विचार नहीं कर रही है, यह तो निर्णय हो गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि कौन सा अंश संविधान का है जिसके आधार पर यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तक तो विधेयक पुरःस्थापित ही नहीं हुआ है उसके किसी अंश के बारे में तभी बताया जा सकता है ।

श्री राजनारायण---राष्ट्रपति के पास भेजने का मन्त्रिमंडल ने कब निर्णय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह जरूरी नहीं है कि मन्त्रिमंडल ने निर्णय लिया हो, लेकिन कानूनी सलाह ऐसी है कि सरकार को भेजना चाहिये । लिहाजा यह भेजा जा रहा है ।

खैर के पेड़ों का नीलाम

*३२---**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ में प्रदेश के कितने हजार खैर के पेड़ नीलाम किये गये और उनकी कीमत औसतन फी पेड़ क्या आई ?

श्री रामस्वरूप यादव----कुल ८०,३६१ खैर के पेड़ प्रदेश भर में बेचे गये और उनका औसत मूल्य ३१ रु० २ नया पैसा प्रति पेड़ था ।

*३३---**श्री नवलकिशोर**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन्डियन वुड प्रोडक्ट्स, बरेली से सरकार का कोई कन्ट्रैक्ट है ? यदि हां, तो कब से है और कितने साल के लिये है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ठेका सन् १९५० से दस साल के लिये है ।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह खैर के पेड़ प्रदेश की बरेली फैक्ट्री के अलावा अन्य फैक्टरियों को भी दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किस कीमत पर ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक फैक्टरियों का ताल्लुक है दो फैक्ट्रियां बरेली फैक्ट्री के अलावा भी हैं । एक तो तीन या चार साल से है और दूसरी का परमिट अभी दिया गया है, वह कायम हो रही है, शुरू नहीं हुई । पहली फैक्ट्री हल्द्वानी में है । उसको ४,५०० दरख्त दिये गये थे, जहां तक मुझे जबानी याद है १२४ या १२५ रुपये के दाम पर और दूसरी फैक्ट्री को भी शायद २,००० दरख्त दिये गये हैं, लेकिन इस साल जो दरख्त दिये जाने वाले हैं उनकी कीमत निर्धारित नहीं की गयी है । वह विचाराधीन है ।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस कीमत पर बरेली कत्था फैक्ट्री को पेड़ दिये जाते हैं उसमें और हल्द्वानी की फैक्टरी की कीमत में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री सैयद अली जहीर---वहां पर फी पेड़ ११४ रुपये की कीमत पर दिया गया था, लेकिन हलद्वानी वाली फैक्ट्री को १० या २० रुपये ज्यादा कीमत पर दिया गया, इस समय मुझे ठीक याद नहीं है ।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, अभी बताया गया कि जो फैक्ट्री अभी शुरू हुई नजीबाबाद में उसको भी २,००० पेड़ दिये गये हैं । वह पेड़ किस कीमत पर दिये गये हैं और वह अभी शुरू नहीं हुई है तो पेड़ क्यों दिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो इस वजह से दिये गये हैं कि उन्होंने यह कहा था कि उनकी फैक्ट्री दिसम्बर में चालू हो जायगी और उसके लिये उनको पेड़ों की जरूरत होगी और अभी भी, जहां तक मुझे इत्तला है, वह यही कहते हैं कि एक दो महीना डिले हो गया है, लेकिन बहुत जल्द उनकी फैक्ट्री चालू होने वाली है । कीमत अभी निर्धारित नहीं हुई है ।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली और हल्द्वानी की फैक्ट्रियों से ली जाने वाली कीमतों में फी पेड़ ८० और १०० रुपये का फर्क आता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, वह सही नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या वन मंत्री जी को ज्ञात है कि जो खैर के पेड़ नीलाम किये गये हैं आमतौर से वह २१४ रुपये से ज्यादा में नीलाम किये गये ? यदि हां, तो इन फैक्ट्रियों के लिये विशेष कंसीडरेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो एवरेज प्राइस बतलायी गयी है कि ३१ रुपये २ नये पैसा आयी । मुमकिन है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, और ज्यादा कीमत पर भी नीलाम हुए हों ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो २,००० पेड़ दिये गये हैं उनका दाम वह किस आधार पर तय करेंगे और वे पेड़ बिना दाम तय किये उनको दिये क्यों गये ?

श्री सैयद अली जहीर---उन से जमानत ले ली गयी है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस रेट पर उनको पेड़ दिये जायंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने बतलाया कि रेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जमानत किस आधार पर ली गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर---२०० रुपया फी पेड़ के हिसाब से जमानत ली गयी है।

बांगरमऊ टाउन एरिया के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का पत्र

*३४---**श्री राजनारायण**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, बांगरमऊ ,जिला उन्नाव के कुछ सदस्यों ने जिलाधीश को २६ अक्तूबर, १९५८ को एक तार चेयरमैन द्वारा निर्धारित समय से पूर्व मीटिंग समाप्त कर देने के सम्बन्ध में दिया था और बाद में पूरी रिपोर्ट भेजी थी ? यदि हां, तो उस तार में क्या शिकायत थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। २६ अक्तूबर, १९५८ को टाउन एरिया कमेटी, बांगरमऊ के वाइस-चेयरमैन ने एक तार जिलाधीश को भेजा था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि चेयरमैन ने निश्चित समय से पूर्व ही मीटिंग समाप्त कर दी। इस तार तथा २९ अक्तूबर को सदस्यों से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट पर एस० डी० ओ० सफीपुर द्वारा जांच कराई गई परन्तु शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया था वह उनके विरुद्ध पास हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जनवरी, १९५९ में पास हो गया है।

श्री राजनारायण---वह अभी तक अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है और उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया अथवा पहले ही ?

श्री रामस्वरूप यादव---अविश्वास के प्रस्ताव के बाद तो उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। उस के बाद में त्यागपत्र दिया।

राबर्ट्सगंज तहसील में 'कर्मनाशा' पर पुल न होना

*३५---**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कर्मनाशा नदी में राबर्ट्सगंज तहसील, जिला मिर्जापुर में पुल बनवाने की योजना इस वर्ष करने जा रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं।

श्री शोभनाथ---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कचहरी जाने वाले किसान पुल न होने की वजह से प्रतिवर्ष काफी संख्या में मर जाते हैं ?

श्री महावीरसिंह---इसकी कोई इत्तला नहीं है।

विधूना तहसील में रिजर्व जंगलों की भूमि

*३६---**श्री गरीबदास चौधरी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील विधूना, जिला इटावा में ऐसी कितनी परती भूमि है जो ग्राम समाजों से रिजर्व जंगलात के लिये ली गयी है और उसमें अभी तक जंगल नहीं लगाया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कुछ नहीं।

पंचायत विभाग, जिला फैजाबाद में हरिजन कर्मचारी

*३७– श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद में पंचायत विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा किन-किन पदों पर और उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---फैजाबाद जिले में पंचायत विभाग के कुल निम्नलिखित २४८ कर्मचारी हैं---

(१) १ सहायक जिला पंचायत अधिकारी,
(२) ९ पंचायत निरीक्षक,
(३) ९ पंचायत लिपिक,
(४) ९ चपरासी, एवं
(५) २२० पंचायत मन्त्री।

इनमें से १ पंचायत निरीक्षक तथा ७ पंचायत मन्त्री हरिजन हैं।

श्री सुखरामदास---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव के लिये इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने हरिजनों की दर्ख्वास्तें थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसमें तो सभी पंचायत के अधिकारियों के बारे में है, माननीय सदस्य का आशय किस कर्मचारी वर्ग से है, यह अगर मालूम हो जाय तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री सुखरामदास---इस चुनाव में जो इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से नाम मांगे गये थे उसमें पंचायत मंत्रियों और चपरासियों के लिये कितने हरिजनों के नाम थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायत मंत्रियों के लिये हर वर्ष लिस्ट बनती है। इस कार्य के लिये एक कमेटी होती थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, प्रेसीडेन्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत आफिसर होते थे। यह कमेटी दर्ख्वास्तें मांगती थी, इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से भी दर्ख्वास्तें आती थीं और दूसरे लोग भी भेज देते थे। कोशिश यही होती थी कि १८ परसेन्ट हरिजन लिये जायं, लेकिन कभी-कभी दर्ख्वास्तें कम आती थीं इसलिये कम हरिजनों की पंचायत मंत्रियों के पद पर नियुक्तियां हुईं।

बाराबंकी जिले में लाखूपुर जंगल में खैर के पेड़

*३८---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (१) जिला बाराबंकी, परगना सिद्धौर के अन्तर्गत मौजा लाखूपुर के जंगल में कत्थे के पेड़ जमींदारी जमाने में नीलाम होते थे ? (२) क्या उक्त जंगल की सुरक्षा करके सरकार कत्था पैदा करने की योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव---(१) सरकार को खैर के पेड़ के जमींदारी के जमाने में नीलाम की कोई सूचना नहीं है।

(२) उक्त जंगल गांव समाज के अधिकार में है। इसलिये फिलहाल सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा और कत्था पैदा करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जंगबहादुर वर्मा---इस कत्थे के जंगल से ग्राम समाज को कितनी आमदनी हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है।

बेतवा नदी पर नोट घाट का पुल बनाने की आवश्यकता

*३९---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर ऊंचा पुल बनाने के लिये भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को ८ लाख रुपया अनुदान देने को कहा है ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां।

*४०---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० एडवाइजरी कमेटी, झांसी ने भी अपनी ५ मई, १९५८ की बैठक में उक्त पुल के निर्माण-कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराने के लिये सर्वसम्मति राय से कुछ सुझाव भेजे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल---कमेटी के मंत्री ने पत्र दिनांक ७ नवम्बर, १९५८ में कुछ सुझाव मुख्य अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत किये थे। उत्तर में मुख्य अभियन्ता ने उन्हें लिख दिया था कि पुल के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है तथा स्वीकृति मिलने पर पुल का निर्माण होगा।

*४१---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---अभी ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरी लागत के बराबर धनराशि का प्रबन्ध अभी नहीं हो पाया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाक्टर सुशीला नैयर के प्रयत्न से मध्य प्रदेश की सरकार भी ४ लाख रुपये देने के लिये राजी हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल---डाक्टर सुशीला नैयर से मुझको इस प्रकार की इत्तला मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार से कोई इत्तला हमारी सरकार को नहीं प्राप्त हुई है।

*४२-४३---**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

बेजोरिया एण्ड कम्पनी से टुइस्टेड चीड़ के पेड़ों के लिये मुआहदा

*४४---**श्री नवलकिशोर**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वन विभाग के ट्विसटेड (twisted) चीड़ के पेड़ों के लिये कोई मुआहदा (lease) बेजोरिया एन्ड कम्पनी, ज्वालापुर से हो रहा है ? यदि हां, तो उसकी शरायत क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बेजोरिया ऐन्ड कम्पनी, सहारनपुर को, जो कि स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के मैनेजिंग एजेन्ट्स भी हैं, ट्विसटेड (twisted) चीड़ की लीज देने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित लीज की शर्तें अभी तक पूरी तौर से तय नहीं हुई हैं।

सड़कों का निर्माण

*४५---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक कुल कितनी मील सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित की गईं ?

श्री महावीरसिंह---२२८ मील।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितनी मील सड़कें बनीं ?

श्री महावीरसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

एटा और आसपुर के बीच सड़क का धंस जाना

*४६---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क जो कि एटा से कुरावली को जाती है वह १९५८ में हुई वर्षा के कारण आसपुर से एटा तक बैठ गई है, और एक मील सड़क पर मोटर या बैलगाड़ी आदि नहीं चल सकती है ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, आसपुर और एटा के बीच कुछ भाग में सड़क बैठ गई है ।

ललितपुर जलकल योजना पर व्यय

*४७---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नगरपालिका, ललितपुर सब-डिवीजन, झांसी में जल वितरण योजना के ऊपर कितना धन व्यय हुआ और यह धन नगरपालिका को ऋण के रूप में दिया था या सरकार ने स्वयं इस योजना को किसी ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित कराया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ललितपुर जलकल योजना का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित हो रहा है । इस योजना के लिये सरकार ने ललितपुर नगरपालिका को प्रथम पंचवर्षीय काल में १३,२२,५०० रुपये का ऋण दिया है । इस धन में से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक १०,१०,३८६ रुपया जल वितरण योजना पर व्यय हो चुका है ।

पुखरायां टाउन एरिया का नलकूप

*४८---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुखरायां टाउन एरिया के लिये उस ने जो ट्यूब-वेल बनाया है क्या उस ट्यूब-वेल वाले भूखंड में खेती होती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां । रबी, १३६५ फसली में खेती हुई थी लेकिन उसके बाद नहीं हुई ।

*४९---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टाउन एरिया का यह ट्यूब-वेल कब से बना पड़ा है और वह कब से कस्बे के लोगों को पानी दे सकेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् १९५६ में ट्यूब-वेल की बोरिंग की गयी थी । बाकी काम प्रोजेक्ट तैयार होने पर और इसे नगरों में जलकल बनाने के लिये ऋण की सहायता देने वाली योजनाओं में सम्मिलित करने के बाद पूरा किया जायगा ।

तहबाजारी वसूल किये जाने वाले कानपुर के बाजार

*५०---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में इस समय कितने बाजार "हाट" लगते हैं और उसमें से किस-किस बाजार से म्युनिसिपल बोर्ड तहबाजारी वसूल करता है ? यह सूची मय पते के मेज पर रखने की कृपा की जाय ।

नोट---तारांकित प्रश्न ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कानपुर नगर में लगने वाले बाजारों "हाटों" की सूची उनके पते के साथ सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। इस सूची में यह भी अंकित है कि किन बाजारों में तहबाजारी वसूल की जाती है और किन में नहीं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८१ पर)

*५१---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२-५३---**श्री मुक्तिनाथ राय**---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर सब-ट्रेजरी से रुपया गायब होना

*५४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत १७ नवम्बर, १९५८ को मुजफ्फरनगर सब-ट्रेजरी से कितना रुपया गायब हो गया था?

श्री सैयद अली जहीर---गत १७ नवम्बर, १९५८ ई० को मुजफ्फरनगर सब-ट्रेजरी से १४,११० रुपये २५ नये पैसे गायब हो गये थे।

*५५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या गत पांच वर्षों में वहां की किसी ट्रेजरी से रुपया गायब हुआ था? यदि हां, तो कितना?

श्री सैयद अली जहीर---इसके अतिरिक्त गत पांच वर्षों में जिले की ट्रेजरी या किसी सब-ट्रेजरी से कोई रुपया गायब नहीं हुआ था।

*५६-५७---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[१८ फरवरी, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ९३-९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६०---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*६१---**श्री शिवमंगलसिंह** (जिला बलिया)---[३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

विभिन्न विभागों के अनुदान में बचत

*६२---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में किस विभाग ने स्वीकृत अनुदान की कितनी रकम व्यय नहीं की?

श्री सैयद अली जहीर---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८२-१८३ पर)

श्री गेंदासिंह को जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---जुडिशियल आफिसर, पडरौना की तरफ से कल यह खबर आई थी कि गेंदासिंह जी, एम० एल० ए० जमानत के ऊपर छोड़ दिये गये हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जुडिशियल आफिसर ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है, सिर्फ इतनी ही सूचना है या वे जमानत पर छोड़ दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---छोड़ दिये गये हैं ।

दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---दो कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं । उनके बारे में मैंने यही निर्णय दिया है कि वे अनावश्यक हैं क्योंकि आज बजट की आम बहस प्रारम्भ हो रही है और उसमें माननीय सदस्य इन विषयों का उल्लेख कर सकते हैं । नियम ५२ के अनुसार २ विषय आये हैं, इनमें से एक श्री रामजी सहाय जी का है जिसे मैंने अनावश्यकता के आधार पर कि इतना आवश्यक नहीं है कि तत्काल ही उसकी सूचना दी जाय और बजट की बहस में उसका जिक्र हो सकता है, स्वीकार नहीं किया है । दूसरा शिवप्रसाद जी नागर का इस प्रकार है :---

"मेरे जिले खीरी से एक छोटी नदी जिसका नाम उल्ल है, उसमें नहर का पानी छोड़ देने के कारण एक लाख एकड़ भूमि जिसमें रबी की फसल खड़ी थी बाढ़ आ जाने के कारण डूब गई और नष्ट हो गई । इस समय नदी के दोनों ओर मीलों तक पानी भरा हुआ है ।" यह महत्व का है और माननीय सदस्य ने कहा है कि वह स्वयं उसकी तहकीकात कर चुके हैं । इसलिये मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री से कहूंगा कि अगर उनके पास कोई सूचना है तो कृपा करके दे दें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो कोई सूचना नहीं है लेकिन हम उसे जल्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---तो मुझे आज शाम तक सिंचाई मंत्री जी बता दें कि किस समय वह यह सूचना दे देंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---जो पानी भरा हुआ है और आगे बह रहा है उसे तो वह तार दे कर बन्द करा दें वरना बाढ़ बढ़ती जायगी ।

श्री अध्यक्ष---आप मंत्री जी से अपनी बात लिख कर कह दें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या नियम के मुताबिक जब कोई सदन का सदस्य किसी खास विषय पर अपनी बात कहे तो सम्बन्धित मंत्री बाध्य हैं कि उस सम्बन्ध में वह भी कुछ जवाब दें, जैसा कि हमारा छबेला गोली काण्ड पर प्रस्ताव था । मान लीजिये कि हम उस पर कुछ कहें, तो हम मंत्री जी को बाध्य तो नहीं कर सकते कि उसका कुछ जवाब दें ही । छबेला (गोरखपुर) गोली काण्ड में पुलिस की गोली से मरे हुए लोगों का ऊख, अरहर के खेत में छोड़ दिया गया . . .

श्री अध्यक्ष---अगर मन्त्री जी उत्तर नहीं देते हैं तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं और जो दूसरे रास्ते हैं उन्हें अपना सकते हैं ।

श्री राजनारायण---आधे घंटे का प्रस्ताव जो उग्रसेन जी के नाम से आया था उसे भी आपने इंकार कर दिया ।

श्री अध्यक्ष---आप जब पूछेंगे तो वह उत्तर देंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप स्वतः समझें कि क्या हम लोग इस प्रकार से प्रदेश की स्थिति को सदन में रख पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह आप कैसे समझते हैं कि उत्तर आपको नहीं मिलेगा ? सदन के नियमों के अनुसार ही कार्य होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आपके आदेशानुसार मैंने विवाद मांगा था और वह भी खारिज हो गया ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पारित करने के हेतु बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में संकल्प की सूचना

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स (अमेंडमेन्ट) बिल मैंने यहां इन्ट्रोड्यूस किया । बजट के जमाने में उसके विवाद के लिये समय नहीं निकल सकता है और पूरा महीना भरा हुआ है । इस विधेयक को पहली अप्रैल से पहले पास होना भी जरूरी है । तो मैं इसके मुताल्लिक एक प्रस्ताव कि ५ बजे के बाद, जिस दिन से आप इजाजत दें, १ घंटा रोजाना, ३, ४ दिन तक जब तक यह बिल पास हो, यह सदन बैठे, करना चाहता हूं । मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं ताकि यह न कहा जाय कि शार्ट नोटिस है ।

श्री अध्यक्ष---मैं सुनाये देता हूं, मेरे पास आ गया है यह है :---

"सदन के नेता निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :---

> उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (१) के अनुसार इस सदन की बैठक ११ बजे पर्वाह्न से ५ बजे अपरान्ह तक होती है । परन्तु उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को १ अप्रैल, १९५९ तक अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक पर विचार करने एवं उसे पारित करने के लिये यह सदन दिनांक १८ फरवरी, १९५९ से उक्त विधेयक पारित होने तक प्रति दिन ५ बजे अपरान्ह के पश्चात् १ घंटे अधिक बैठे ।"

यह सूचना आज दे दी गयी है, कल इस पर विचार होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---किस नियम के मुताबिक यह सूचना देने की आवश्यकता है और यह कि फिर उस पर विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---जब वह कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो नियम में यह दिया है कि किसी बैठक की कालावधि बढ़ाने के लिये बिला सूचना के वह प्रस्ताव कर सकते हैं । लेकिन वह उसी दिन की बैठक के लिये ही ऐसा कर सकते हैं । परन्तु चूंकि वह चाहते हैं २ दिन या ३ दिन रोजाना समय बढ़ाना इसलिये उनसे कहा गया कि सदन को प्रस्ताव की सूचना दे दें ताकि किसी को आपत्ति करनी हो तो वह कर सकें । आज वह प्रस्ताव नहीं लिया जावेगा, वह कल उपस्थित करेंगे । यह सूचना पहले ही उन्होंने दी है । वे चाहते हैं कि सदन की राय इस में ले ली जाय । इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है ।

श्री राजनारायण---मेरा एक निवेदन उनके पास भेज दिया जाय ताकि वह उस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष---आप कल ही निवेदन कर दें वरना अब बजट पर विवाद का समय कम हो जायगा ।

१९५९–६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९–६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिये समय विभाजन का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल पहले भाषण देंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नेता विरोधी दल के अतिरिक्त और सभी दलों के नेता अधिक से अधिक एक घंटा लें और बाकी माननीय सदस्य १५ मिनट बोलें।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति है ?

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--नेताओं के लिये १ घंटे के बजाय २० मिनट रहे और सदस्यों का १५ मिनट रहे वरना नेता लोग ही सारी तर चीज को पी जावेंगे और सदस्यों के हाथ कुछ नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---थोड़ा-सा इस पर विचार करना है कि क्या यह समय अधिक तो नहीं होगा जिसके परिणाम में बहुत से लोग न बोल पावेंगे। टीकाराम जी के सुझाव को कोई माननीय सदस्य सपोर्ट करते हैं ?

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि नेता विरोधी दल, जो मुख्य बोलने वाले होते हैं, उनके लिये हर साल की तरह टाइम की कोई लिमिट न रहे। बकिया नेता जो इधर से बोलने वाले हैं, उनको आधा घंटा और सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय रखा जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---बलदेवसिंह जी ने जो सुझाव दिया है, उसी से मैं भी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---मैं भी इससे सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आधे घंटे का समय किसी को कम तो नहीं मालूम पड़ता ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मेरा निवेदन यह है कि आधे घंटे का समय जैसा कि आप कह रहे हैं, वह ठीक ही है लेकिन यदि किसी को कहने के लिये कोई खास बातें रह गयी हों तो उनके लिये यदि आप समझें तो उसका अधिकार आप अपने पास रख लें और उसको १० मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष--इसका मतलब यह है कि विरोधी दलों के नेताओं को आधा घंटा आम तौर से रहे और यदि महत्वपूर्ण टीका हो रही हो और मैं यदि आवश्यक समझूं तो १० मिनट और दे दूं।

श्री राजनारायण--यही श्रीमन्, सदस्यों के लिये।

श्री अध्यक्ष--सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय तो है ही। इसलिये आवश्यकतानुसार ५ मिनट से अधिक अतिरिक्त समय उनको देना मुनासिब न होगा। जो नियम नेताओं के लिये लागू है वह मंत्रियों के लिये जो उसका उत्तर देंगे, उनके लिये भी लागू होगा। मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री के लिये कोई समय मुकर्रर न होगा।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, तीन नम्बर होते हैं। एक नम्बर पर लड़ने वाले को समय ज्यादा मिलता है। इसको देखकर पहले नम्बर वाले को ज्यादा समय मिले फिर दूसरे नम्बर वाले को उससे कम और तीसरे नम्बर वाले को उससे कम मिले।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---श्रीमन्, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो अभी पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस विषय में विरोधी दल के लोगों की कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता को छोड़कर सब विरोधी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने सर्वसम्मति से जो कुछ तय किया था वही गौरीशंकर राय जी ने प्रस्ताव के रूप में पेश किया था। इस खयाल से इस पर विचार कर लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह जो सुझाव आया था यह भी विरोधी दलों की ओर से ही आया था और कुछ सदस्यों द्वारा उसका समर्थन किया गया। अगर आपको वह स्वीकार हो तो मुझे दलों के नेताओं को घंटे भर का समय देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। राजनारायण जी ने भी १/२ घंटे का समय स्वीकार कर लिया है। १० मिनट उन्होंने अधिक समय मांग लिया। अब मेरे खयाल से पौन घंटा रख दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पौन घंटा रख दिया जाय और जो सदस्यों के लिए पांच मिनट का समय और रखा है वह आप और दे दें तो काम चल जायगा।

श्री अध्यक्ष---विरोधी दलों के नेताओं के लिये पौन घंटे का समय रहेगा और जिस प्रकार माननीय सदस्यों को ५ मिनट और दिये जा सकेंगे, वैसे उनको भी दिये जा सकेंगे। यही मंत्रियों के लिये रीति रहेगी।

संकल्प की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। नियम ९० में लिखा हुआ है---"शासन द्वारा संकल्प की सूचना---यदि शासन कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगा और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगा जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा।"

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने नियम अधूरा ही पढ़ा है। उसमें अन्त में लिखा हुआ है "परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे"।

श्री राजनारायण---तो मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा इस पर कोई व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष---जब तक वह प्रस्ताव पेश नहीं करते तब तक उसके ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं है। मैंने फैसला दे दिया है कि जब वे कल इसको पेश करें तब आप इस आक्षेप को उठावें।

श्री राजनारायण---तो उतना समय कल अनावश्यक ही हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष---कल तो मैं इसकी इजाजत ही नहीं देता, बगैर सूचना के। मैं तो कह देता कि अभी तक इसको किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिये तत्काल प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। इसलिये मैंने उनको पेश्तर से ही सूचना देने का आज मौका दिया था।

श्री राजनारायण---तो जो चीज आज नहीं हो सकती वह कल कैसे आ जायगी?

श्री अध्यक्ष---कल मैं इसके ऊपर व्यवस्था दूंगा।

१९५९–६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---अब माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अगले वर्ष के बजट पर विचार करना है। उस पर विचार करते समय चालू वर्ष में जो घटनायें हुईं,

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जो इस प्रदेश की दशा रही, उन्हें हम भुला नहीं सकते। हमारे लिये लाजिमी है खासतौर पर जब योजना के युग से हम गुजर रहे हैं तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान के सिलसिले में जो काम इस वर्ष में हुये और जो अभी चल रहे हैं, उन पर भी विचार करें। श्रीगणेश, मान्यवर, इस चालू वर्ष में डिस्ट्रिट बोर्ड्स को भंग करने से शुरू हुआ और यह एक असाधारण घटना हुई कि चुनी हुई संस्थायें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की थीं वे भंग कर दी गयीं और उनकी जगह पर अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण किया गया, जो कलेक्टर एक सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। जो काम, जो सेवा पहले चुने हुये लोगों के सुपुर्द थी उनसे हटा कर उनकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर रख दी गयी है।

यह सही है मान्यवर, कि हमारा उससे सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि इसी वर्ष में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट को रिपील किया गया और आज काशी विश्वविद्यालय का काम एक आर्डिनेन्स के द्वारा चलाया जा रहा है। यह भी मान्यवर, हम नहीं भूल सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का काम पुलिस की छत्रछाया में चल रहा है। यह सही है और मैंने पहले भी अर्ज किया था तथा आज भी दोहराना चाहता हूं कि कोई उपद्रव हो अथवा उस की आशंका हो तो पुलिस की मदद लेनी चाहिये उसको रोकने के लिये या दबाने के लिये। लेकिन जब से वह पुलिस के कब्जे में है, उसके भार से मान्यवर, आज ५ महीने बीत गये, क्या वहां ऐसे उपद्रव हुए कि जिससे पुलिस का पहरा आज भी जारी है? यह एक दुखदायी बात है और मेरे लिये यह जरूरी है कि मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान उस ओर दिलाऊं। मान्यवर, हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि इसी बीच में इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से कि मिलों में जो गन्ना पेरने के लिये लिया जाय उसका मूल्य १ रुपये ७ आने से १ रु० १२ आना मन कर दिया जाय। कहा यह गया कि सरकार उससे सहमत नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का उत्तरदायित्व इस सदन को है या केन्द्रीय सरकार को है। मैं यह तसलीम करता हूं कि मूल्य के निर्धारित करने की जिम्मेदारी और अधिकार केन्द्रीय सरकार का है, लेकिन किसी भी उत्तरदायी सरकार का यह कहना कि असेम्बली ने जरूर पास सर्वसम्मति से किया, लेकिन सरकार की राय उससे भिन्न थी यह शोभा की बात नहीं है। यह प्रजातंत्र के युग में एक नयी मिसाल है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी चालू वित्तीय वर्ष में पेश की।

इससे भी बढ़ कर दुर्घटना जिसका थोड़े समय पहिले जिक्र किया था समाजवादी दल के माननीय नेता ने गोली कांड का। लखनऊ नगर में गोली चली और उसकी जांच की गयी। जिस आदमी की हत्या हुई क्या वह निरपराध नहीं था? किसी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस आदमी की लखनऊ शहर के इस गोली कांड में जान गई उसका विद्यार्थियों से कोई सम्बन्ध था? न वह विद्यार्थी था और न उनसे संबंधित था, न यह शहादत है कि उसने किसी पर हमला किया। राह चलते आदमी पर गोली चली और निरपराध आदमी की हत्या पुलिस के द्वारा किसी भी सरकार के लिये अफसोस व शर्म की बात होनी चाहिये।

छबेला में गोली चली। मुझे भी वहां जाने का मौका हुआ। सुनी-सुनाई बात का न भरोसा किया जा सकता है और न कोई नतीजा ही निकाला जा सकता है, लेकिन यह अम्र मुसल्लिमा है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि उस स्थान में जहां कोई पक्की सड़क नहीं थी, जहां कोई यातायात का रास्ता नहीं था और जहां केवल पुलिस व मैजिस्ट्रेट के पास सवारियां थीं, वहां जिन लोगों को गोली लगी उनको पुलिस ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। मारना तो आसान है, जिसको चाहो भून लो। लड़ने के बाद आर्मी में दुश्मन के साथ भी यह बरताव नहीं किया जाता है जैसा कि हमारे देश में पुलिस जनता के साथ करती है। इस पर जब सोचते हैं समझ में नहीं आता कि हम कहां हैं, किस देश में हैं, कौन-सा निजाम है, क्या संविधान है, क्या कानून है, क्या मान्यतायें और प्रथायें हैं इस देश में।

एक फायरिंग स्कूल के सिलसिले में अलीगढ़ में हुई। वहां कुछ मास्टरों व लड़कों का जमाव था। लखनऊ के बारे में मंत्री महोदय ने मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के पहले कहा कि फायरिंग जस्टीफाइड थी। मैंने सुना दुनिया की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलेगी कि कोई एक यह कहे---मैजिस्टरियल इंक्वायरी भी न हुई हो---कि फायरिंग जस्टीफाइड थी। यह रुख, यह रवैया प्रजातंत्र का नहीं है। देश को उठाने का नहीं है, यह देश को गिराने का है और उसी गिरावट की पूरी झलक जो बजट अगले वर्ष के लिये पेश किया गया है उसके हर पैराग्राफ से, हर सफे से, हर लाइन से और आंकड़े से दिखाई पड़ती है। मुझे दुख होता है, कभी भी स्वभाग से, तालीम से, तरबियत से और परवरिश से भी मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि किसी की बुराई करूं। लेकिन धर्मसंकट है। एक तरफ जनता का हित है, और एक तरफ उन थोड़े से लोगों की बात है जिनको निश्चित रूप से जनता का विश्वास प्राप्त है। जिन्होंने देश की सेवा की है, जिनके ऊपर आज इस राज्य के काम चलाने की जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने सौंपी है। वे यदि गलती करते हैं तो क्या किया जाय? मजबूर होता है इनसान और वही मजबूरी मान्यवर, अप्रिय भले ही हो, मुझे भी है कि मैं उन खामियों की तरफ, उन त्रुटियों की तरफ उन भूलों की तरफ, और उस अन्याय की तरफ इस सरकार का और इस आदरणीय सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाऊं जो इस प्रदेश में हो रही हैं और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं।

मैं पेश्तर इसके कि इस बजट पर आऊं यह कहना जरूरी समझता हूं कि अनाज के भाव घोड़े की दौड़ से तेज इस चालू वर्ष में बढ़े। कोशिश की गई, कोई कसर नहीं उठा रखी गई लेकिन भाव बढ़ते ही गये। क्यों बढ़े कारण में नहीं जाता, लेकिन मान्यवर, उन भावों के बढ़ने से क्या किसी को इनकार है कि आज जितना अन्न साधारण आमदनी वाले व्यक्ति को जिसकी आमदनी १०० रु० महीने से नीचे है उसे अपने भरण-पोषण के लिये जितना अन्न मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है? कौन नहीं जानता है इस शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, औरतें, बूढ़े, बच्चे घंटों २,२ रु० के अन्न के लिये लाइन लगाकर जाड़े में, धूप में खड़े होते हैं तब भी उन्हें कभी-कभी मायूस हो कर जाना पड़ता है? यह इस साल की कारगुजारी है। फिर हम कैसे इस बात को मानें कि अगले साल जब उन्हीं बातों को दोहराया गया है तो इस प्रदेश की मान्यवर, कोई अच्छी दशा होगी?

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि उनके दो मुख्य उद्देश्य हैं---एक तो जो पैदायश के साधन हैं उन पर जनता की मिल्कियत या कम से कम नियंत्रण हो। दूसरे जो मुल्क की पैदावार है, दौलत है उसका बटवारा हो। लम्बा भाषण शायद ७० मिनट में वह पढ़ा गया था। लेकिन उसमें कहीं जिक्र नहीं कि इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या काम किये गये हैं, क्या कदम उन्होंने उठाये हैं, किस तरह से जो प्रोडेक्शन के मीन्स हैं उन पर सरकार का, जनता का नियंत्रण होगा। अभी कल या परसों इसी सदन में जिक्र आया था कि खीरी जिले में १८ लाख रुपये की कटौती किसानों से की गई कि एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री वहां लगायी जायगी। तीन साल से वह रुपया सरकार के पास है। कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी न लग सकी और अब रुपया वापस करने की बात है। कुछ वापस भी हो गया है। पीलीभीत जिले में कटौती की गई रुपया वापस अब करने की बात है, वहां भी कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी की बात को समाप्त कर दिया गया। कहा जा सकता है कि फारेन ऐक्सचेंज नहीं है। लेकिन यह रुपया तीन साल पहले कट गया था। किसान जमा करें कोआपरेटिव सोसायटी के लिये, मिसाल नहीं मिलेगी, मान्यवर, कि १८ लाख रुपया जमा किया गया और फैक्टरी नहीं चल पाई। लेकिन बड़े-बड़े सेठ साहूकारों को जिन्होंने टका नहीं जमा किया उनको ३ करोड़ रुपया कर्जा दे दिया गया। कर्जा लेने के बाद उन्होंने धन उगाहा कि कैसे उस कारखाने को चलायें। बड़ा अन्तर है, जनता के साथ यह और तीन तीन बड़े बड़े सेठों के साथ यह बर्ताव। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यही सूचक है इस बात का कि धन का बटवारा होगा? यही सूचक है इस बात का कि जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण होगा या

[श्री त्रिलोकीसिंह]

उन पर समाज का नियंत्रण होगा ? मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल दूसरी ही ओर इशारा करती हैं और जो लक्ष्य माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है उनकी पूर्ति में नहीं उनमें बाधा डालने वाली हैं।

लक्ष्य को अलग रखिये, यह गौर करें कि आखिर इस १५० करोड़ रुपये के खर्च से इस प्रदेश की जनता को क्या अगले वर्ष प्राप्त होगा। मुझे भय है कि प्राप्त कुछ नहीं होगा, कुछ देना होगा। आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे। इस युग में जो स्पुतनिक तथा ऐटम का युग है, गौर किया जाय तो १५३ करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च है। आमदनी कम होगी। यह भी एक अजीब रवैया है इस सरकार का। कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ कि आमदनी तखमीने से कम निकले और खर्च तखमीनों से ज्यादा हो। प्रोग्रेसिव एकानामी में पिछड़े हुये देश में कभी भी ऐसा हुआ है कि वह जितना रुपया उगाहना चाहे टैक्स के रूप में उससे ज्यादा साल के आखिर में मिल जाय और जितना खर्च करना चाहे, मान्यवर, उससे कम खर्च करे ?

कहा गया और मैं समझता हूं कि बड़े इतमिनान के साथ, कोई संकोच नहीं था, बल्कि दिलावरी के साथ, कि महज ९४ लाख रुपये की बचत चालू वर्ष में हो गई क्योंकि कुछ काम जो समाज सेवा के थे, मसलन शिक्षा इत्यादि, यह शुरू वर्ष में चालू नहीं किये जा सके। कौन है इसका जिम्मेदार ? बजट पास हो गया था ३१ मार्च के पहले, एप्रोप्रियेशन ऐक्ट भी पारित हो गया था। किन साहब की भूल से ९४ लाख रुपया बच गया ? अगर कुल रुपया समाज सेवा का मिलाया जाय, तो २ करोड़ रुपये से ज्यादा समाज सेवा के कार्यों में इस चालू वर्ष में खर्च कम होगा। कौन है इसका जिम्मेदार ? बहुत से काम नहीं शुरू हुए। क्यों ? असल में बात यह है मान्यवर, मुझे दुःख होता है कहने में लेकिन कहता हूं और कहता हूं पूरे इत्मीनान के साथ और यकीन के साथ कि इरादे की कमी है। करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इस सरकार के दिमाग को जकड़ लिया है चन्द बातों ने, इनरशिया जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सा हो गया है। हर तरफ निगाह डालती है, हर तरफ पैर फैलाती है, हाथ भी फेंकती है और नतीजा यह होता है कि पल्ले कुछ नहीं पड़ता सिवाय इसके कि जहां थी वहीं ऊम-ऊम के रह जाय।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, जिस जिम्मेदारी को निबाहने का उसने ऐलान किया है और उसका कर्त्तव्य भी है, उसको पूरा नहीं कर पायेगी अगर उसकी नीति इसी तरह से ढुल-मुल यकीनी की रही। कुछ बातों में फंस गये हैं। वे ही फिकरे, वही इबारत हर साल दोहराते हैं। एक ही बात सामने रख लेते हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सूबे की जनता सुन्दर भाषा के चक्कर में आने वाली नहीं है, उस को रोटी चाहिये, उसे कपड़ा चाहिये, उसको शिक्षा चाहिये और उस को बीमार पड़ने पर इलाज चाहिये। लेकिन यहां क्या है ? दिन-ब-दिन अनाज महंगा होता जा रहा है। मैं अपने निजी अनुभव से यह कह सकता हूं कि शहर के रहने वालों को तो कुछ खाने को मिल भी जाता है इसलिये कि वहां अधिकतर कोई न कोई रोजगार का सिलसिला होता ही है, लेकिन क्या कोई इस से इनकार कर सकता है कि गांव में जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी दशा दयनीय है। इस वक्त कौन-सा काम गांव में उनके लिये हो रहा है ? जो बेड़ी चलती थी वह भी पानी बरस गया बन्द हो गई, वे भूखों मर रहे हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा भाग है उनके लिये क्या इंतजाम किया गया ? शहरों में शोर होता है तो राशनिंग की दुकानें खुल गईं लेकिन गांव के गरीब लोगों की भी कोई सुनता है ?

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल के जो आंकड़े सरकार ने रखे हैं उससे आय ११९ करोड़ से कुछ अधिक होगी। गत वर्ष आय रखी गई थी १०८ करोड़, मैं लाख का जिक्र नहीं करूंगा। वह आय १०८ करोड़ से ११० करोड़ हो गई। उसके पहले १९५७-५८ में आय का तखमीना था ९६ करोड़ और वह हुई १०४ करोड़। इस साल जो ११९ करोड़ की आय है वह भी निश्चय मानिये कि १२२,१२३,१२४ करोड़ या कुछ और बढ़ जायगी। दिनों दिन बोझ जनता पर बढ़ता चला जा रहा है और उसके बदले में उसे मिलता क्या है ? जैसा कि मैंने

अभी निवेदन किया कि जो समाज सेवा के कार्य मंजूर हो जाते हैं वे भी हरसाल अधूरे रह जाते हैं और उनकी पूर्ति सरकार नहीं कर पाती ।

एक विशेष बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिक्र है और कोशिश भी है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर किया जाय । उसको कम करने के लिये जरूरी है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पूंजी लागत का व्यय है, जो इनवेस्टमेंट पार्ट आफ दि प्लान है, योजना के वह काम हैं जिनमें पूंजी की लागत हो, उन सब की वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन आंकड़े देखने से पता लगता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडीचर १९५७–५८ में ३८ करोड़ था वह १९५८–५९ में ३२ करोड़ रह गया और ५९–६० के लिये भी वह ३२ करोड़ ही रखा गया है । कमी केवल इतनी है कि उस में था ६० लाख और इस साल केवल १४ लाख ही रखा गया है । बहरहाल कम हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि किस नये स्कूल में नाम लिखाऊं और जानूं कि किस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय किये जा रहे हैं । जब पूंजी की लागत का व्यय हर साल घटता जाता है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही । यही कारण है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अनुसार गत वर्ष बेरोजगारों की संख्या १ लाख ४० हजार थी और अब वह बढ़कर १ लाख ५० हजार हो गई, इस तरह से वह बढ़ेगी तो कैसे सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में कामयाब हो सकती है । बड़ी शान के साथ कहा गया कि औद्योगीकरण के लिये कुछ कारखाने जैसे साहू केमिकल्स, सिन्थेटिक रबर के कारखाने, नकली रेशम का कारखाना । एक लोकोमोटिव कम्पोनेंट्स फैक्टरी खोली जा रही है । मैंने जानने की कोशिश की जानकारों से चौराहे की बात नहीं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोकोमोटिव कम्पोनेंट्स फैक्टरी के बारे में तो आंकड़े नहीं प्राप्त हो सके, बाकी कुल ८,२०० आदमियों को रोजगार मिलने की व्यवस्था है। गौर फरमाइये ८,२०० आदमियों को रोजगार और १,५०,००० बेरोजगार । सरकार के आंकड़ों के अनुसार और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से यह मालूम हुआ, और इस पर डींग यह है कि यह ठीक काम कर रहे हैं, कौन-सा दरबार लगाया जाय जिसमें इस किस्म की बातें सुनने की तथा बरदाश्त करने की ताकत दरबारियों की हो, मेरी तो बरदाश्त के बाहर है । मैं तो धन्यवाद देता हूं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को जिन्होंने माननीय मंत्री की इन बातों को सब्र के साथ सुना । यह हमारी कमजोरी की एक निशानी है और इस सब्र से देश का फायदा नहीं होगा, समाज नीचे जायगा हम ऊंचे नहीं उठेंगे और जो लक्ष्य हमने सामने रखे हैं उनकी प्राप्ति में निश्चय ही असफल रहेंगे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात विचार करने योग्य है कि इस वर्ष में औसत आय एक आदमी की घटी है या बढ़ी । सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् १९५५–५६ में गांव में रहने वालों की आमदनी १८९ रुपये के करीब थी । १९५७–५८ में १८३ रुपये रह गयी, महज ६ रुपये कम । शहरों में ७४३ की जगह पर ६५९ हो गयी । १९५८–५९ के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके । इससे सिद्ध होता है कि आमदनी घट रही है इस प्रदेश के रहने वालों की ।

जिक्र है, इत्मीनान दिलाया गया बड़ी खूबसूरती के साथ कि सामुदायिक विकास में ४६ फीसदी जमीन गांव की और गांव के रहने वाले लगभग ४७ फीसदी उसमें आ गये हैं और अगले वर्ष में वह ५० फीसदी से ज्यादा कायम हो जायेंगे । आखिर खेती, अन्य पैदावार, गांव में गृह उद्योग सब कम्युनिटी डेवेलप्मेन्ट के द्वारा ही तो चल रहे हैं और सामुदायिक विकास का हाल, मान्यवर, यह है कि जब लगभग ५० फीसदी क्षेत्र देहात का जिस पर सघन विकास, सामुदायिक विकास का काम हो रहा है या हो चुका है तो एक एक दाने अनाज के लिये हम तरसते हैं । क्या है कम्युनिटी डेवेलप्मेन्ट ? अगर खेती की पैदावार को नहीं बढ़ा सके तो ये है काहे का सघन विकास ? मनुष्य की जिन्दगी के लिये जो सब से जरूरी चीज है वह अन्न है, बिना खाने के कोई कौम और समाज चल नहीं सकता । कबीरदास ऐसे महात्मा ने क्या कहा था:—

"कबिरा क्षुधा है कूकरी करत भजन में भंग,
या को टुकरा डारि के सुमिरन करो निसंक ।"

[श्री त्रिलोकीसिंह]

यहां लोग भूखों मर रहे हैं। मेरी समझ में मान्यवर खाद्य समस्या को देखकर, यह समझ में नहीं आता कि सघन विकास द्वारा क्या कार्य हुआ ? अनाज की समस्या को देखकर यह आशा नहीं की जा सकती है कि अगले दो साल में या पांच साल के बाद भी अन्न की समस्या कम्युनिटी डेवेलप्मेंट या सरकार के प्रयत्नों के द्वारा हल की जा सकती है।

कहा जाता है कि बेशुमार कोशिश की गई। रबी आन्दोलन और खरीफ आन्दोलन वगैरह किये और ढाई लाख आदमियों को खेती का काम सिखाया गया। मान्यवर, सरकार के रबी आन्दोलन की हालत यह थी कि चने के लिये बीज लेने वाले को फर्टिलाइजर लेना जरूरी था। जिसके पास खेती की सिंचाई का कोई साधन नहीं है उससे कहते हैं कि वह सफेद पांस डाले। किसान साधनहीन जरूर है लेकिन अपने काम को अच्छी तरह से जानता है। अगर ढाई लाख प्रचारकों में से ५० हजार किसानों ने भी उनकी बात मानी होगी तो उनको अपने बीज का तीन-चौथाई भी नहीं मिलेगा। डाल दीजिये जौ के खेत में पांस, यह कहने वाला कौन ऐग्रीकल्चरिस्ट है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं जो कहता है कि इस प्रकार चने की और जौ की पैदावार बढ़ेगी। हमारे यहां कितने फीसदी गेंहूं के इलाके में सिंचाई होती है। केवल २४ फीसदी जमीन सिंचाई की है। ७६ फीसदी जमीन पर सिंचाई के साधन नहीं हैं और उसमें फर्टिलाइजर्स छोड़ना चाहते हैं। कहां से पढ़कर आये हैं। जिन किसानों ने इनकी बात मानी होगी तो उनका लगान तो छूटेगा नहीं क्योंकि कागज में लिख दिया जायगा कि पैदावार दुगनी हो गई मगर उसको बीज भी नहीं वापस मिलेगा। यह रबी आन्दोलन की हालत है। खरीफ आन्दोलन की क्या रूपरेखा होगी, भगवान ही जानें।

मान्यवर, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अनाज की कमी नहीं है। अगर साधारण पैदावार भी अनाज की इस देश में हो तो काफी है क्योंकि गुजिश्ता साल में ९८ लाख ८८ हजार टन की पैदावार हुई जो खराब साल समझा जाता है। अगर साधारण पैदावार में ८ या १० फीसदी की वृद्धि हो जाय तो खराब समय के लिये भी उत्तर प्रदेश में इतना अनाज पैदा होगा कि अगर बाहर कहीं आवश्यकता पड़े, ईश्वर न करे कि कहीं मुसीबत आये, लेकिन यदि कहीं पड़ोस में या दस हजार मील दूर स्थान में अनाज की कमी पड़े, तो उसका एक हिस्सा यहां से भी भेजा जा सके।

मान्यवर, कहा जाता है कि अनाज की पैदावार बढ़ाना क्या खिलवाड़ है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि कैसे बढ़ाई जाय, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे देशों में बढ़ी है, यहां से ज्यादा बढ़ी है। जिन देशों की पैदावार हम से चौगुनी थी उन्होंने पचगुनी कर दी और जिनकी पैदावार दुगनी थी उन्होंने चौगुनी कर दी। इसी बीच की बात है, यानी गत लड़ाई के बाद से अब तक की बात है। मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि युनाइटेड किंगडम में, इंग्लिस्तान में, पहले १८.४ हन्ड्रेडवेट फी एकड़ पैदावार थी और १९५७ में २४.८ हन्ड्रेडवेट प्रति एकड़ हो गई। ३३ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। कनाडा में ५.६ से १३.२ हंड्रेडवेट हो गयी। १३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। कहा जायगा कि यह बड़े फारगुलबाल देश हैं। अब मैं आता हूं अपने जैसे फटीचर देशों की तरफ। मिश्र की माली, इल्मी और हुनर की हालत कौन कह सकता है कि हम से बेहतर है ? वहां १६.१ हंडरवेट से १८.७ हंड्रेडवेट बढ़ी। भगवान हिन्दुस्तान को दिन ब दिन तरक्की दे, यहां ५.६ हंडरवेट से ५.७ हंडरवेट हुई और बीस साल में, जब कि दूसरों ने इतना ज्यादा बढ़ाया, ३३ प्रतिशत और १३० प्रतिशत तक। मिस्र तो गया गुजरा है। मुझे जाने का वहां इत्तफाक नहीं हुआ लेकिन बहुत से माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं उनको सहूलियतें प्राप्त हैं और वे अक्सर सारी दुनिया में चक्कर लगाया करते हैं। बाज-बाज तो ऐसे हैं जिनका हर साल चक्कर लगता है। वह बतलायेंगे कि वहां की हालत क्या उत्तर प्रदेश की हालत से कुछ अच्छी है, उनके पास ज्यादा जरिये हैं, उनके पास ज्यादा आमदनी है ?

हमारा हाल क्या है ? यह बड़ा प्रोग्रेसिव युग है । डाइरेक्टर ऐग्रीकल्चर हैं, डिप्टीडाइरेक्टर ऐग्रीकल्चर हैं, ऐग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, प्लान भी है । प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट्स हैं । लेकिन १९०२ में उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार थी १ हजार ५० पाउन्ड प्रति एकड़ जो तेरह मन आती है । १९०२ में जो उत्तर प्रदेश में गेहूं पैदा होता था वह १३ मन था । १९३७ में ११ मन । मान्यवर, गुस्ताखी माफ हो, इसी साल में कांग्रेस का सरकार से वास्ता हुआ था । उनके शुभ चरण सरकार में आये । उस समय भी ११ मन थी और १९५३–५४ में सवा ९ मन हो गयी । इससे तो अच्छे वही थे जो विदेशी थे । इससे अच्छा वही युग था । आज की बात लीजिये । १९०२ में ८५० पाउन्ड यानी १०·४ मन प्रति एकड़ थी । १९३१–३२ में ११ मन थी । १९४६–४७ में भी ९·८ मन थी और १९५४–५५ में आकर ठहरी ६·४ यानी यहां पैदावार घट रही है और दूसरे देशों में बढ़ रही है । इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ट्रेजेडी है । इंसान के पास वह शब्द नहीं हैं जो इस दुखदायी कथा को पूरी तरह पर और सही तौर पर बयान कर सके या लिख सके ।

माननीय मंत्री ने कहा कि वह पैदावार बढ़ा रहे हैं । लेकिन कैसे ? क्या उपाय उन्होंने किये ? कौन से उपाय से असफल हुए ? मैं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार सरकार को यह करना चाहिये कि अपनी असफलता के कारण उनको स्पष्टतः जनता के सामने रख दें । एक मिसाल है । चर्चिल ने, अंग्रेजों ने लड़ाई जीती अपनी कमजोरियों को बयान कर-कर के । हम कमजोर हैं लेकिन हम लड़ेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम लड़ेंगे, हम आसमान से लड़ेंगे, जमीन से लड़ेंगे, सात समुन्दर पार जाकर लड़ेंगे । आज जरूरत है उसी इरादे की जिस इरादे को चर्चिल ने ग्रेट ब्रिटेन को सन् १९४० में दिया था । बिना उस इरादे के हम कामयाब नहीं हो सकते । जब यह देखते हैं कि रुपया देते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि दुख हो ।

यह कहा जा सकता है कि जिन देशों के आंकड़े मैंने पेश किये हैं वहां मान्यवर, औसत जोत का रकबा बड़ा है । आजकल एक बीमारी फैली हुई है कि खेती में पैदावार इसलिये नहीं बढ़ती कि वहां छोटे-छोटे खेत हैं । यह कहने वाले को अच्छा मालूम हुआ और सुनने वाले को भी बात जंची । इसलिये मैंने जिक्र किया इजिप्ट का । उत्तर प्रदेश में औसत होल्डिंग ५·३ एकड़ है । ३ एकड़ जापान का है, इजिप्ट का है २·३ एकड़ और बेल्जियम का है ४·५ एकड़ । सारे संसार में हाइएस्ट प्रोडक्शन है बेल्जियम का । कहा जायगा कि वे बड़े सभ्य लोग हैं । यों बहस में नहीं माना जायगा । कहा जायगा कि हमारी तहजीब तो ५० हजार साल पहले की है और वह तो लंगूर थे डेढ़ हजार वर्ष पहले । लेकिन मैं सब तसलीम किये लेता हूं बहस के लिये, लेकिन हर बात को मानते हुये मैं पूछता हूं कि इजिप्ट के बारे में क्या कहना है जहां होल्डिंग है २·३ एकड़ और प्रोडक्शन पचगुना है हमसे । और चार गुना तो है हिन्दुस्तान का, उत्तर प्रदेश का ५·२ यानी सवा पांच गुना है ।

मैं माननीय सदस्यों से एक बात और निवेदन करता हूं कि वह ध्यान रखें इस बात को कि हमारा देश कोई निराला नहीं है । सारे संसार का ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में उन दो देशों, कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ता हूं, सोवियट यूनियन और चीन, क्योंकि जवाब में कहा जा सकता है कि वहां तो जबरदस्ती होती है इन दो को छोड़कर २० साल के अन्दर और खासकर १९४५ के बाद से २० परसेंट बढ़ा है । हिन्दुस्तान में नहीं बढ़ा । वह डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनमें बढ़ा है । यहां की डेमोक्रेसी में एक बाधा है कि न जबरदस्ती से काम चले और न राजी-खुशी से काम चले । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके कारण हैं क्या ?

याद है मुझे गत वर्ष एक माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं और आज भी इस आदरणीय सदन में विराजमान हैं उनकी बात । मर्ज बतलाया, लेकिन इलाज नहीं बतलाया । हालांकि यह मेरा काम नहीं है कि इलाज भी मैं ही बताऊं और ऐसे मरीज का इलाज करूं कि जो मुझको मुखालिफ कहे और मुखालिफ की तरह से पेश आवे । यह नामुनासिब है और

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मुमकिन भी नहीं। फिर भी मैं अर्ज करता हूं कि कहीं मर्ज लाइलाज न हो जाय। सरकार का फर्ज है कि वह अपनी राह बदले।

सब से बड़ी दुश्वारी और रुकावट जो अन्न के पैदावार में है वह है सिंचाई की कमी। मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दो साल पहले जब यह कहा था १९५७-५८ के बजट के सिलसिले में कि बड़ी नहरों के बनने को कम करो, खर्चा ज्यादा है और पूंजी लागत भी ज्यादा है और उसके बाद उनसे उतना लाभ भी नहीं है, उस समय कहा गया कि यह तो खुदा जाने किस जमाने की बात करता है, लेकिन अब सरकार भी माइनर इरिगेशन वर्क्स पर आ गई है। यह खुशी की बात है और उससे देश का लाभ होगा बशर्ते कि उसने छोटी-छोटी सिंचाई योजना पर कुछ खर्च किया। मैं चाहता हूं कि खेती के बारे में और सिंचाई के साधनों के बारे में जो भ्रम है कि बड़ी तरक्की हुई है उस पर गौर किया जाय। सन् १९०७ में १,०६,००,००० एकड़ जमीन पर सिंचाई इस प्रदेश में होती थी। सन् १९३९ में १,१९,००,००० एकड़ की सिंचाई हुई यानी १२।। प्रतिशत सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी हुई ३२ साल के अन्दर १९०७ से १९३९ तक।

मैं १९४६-४७ के फिगर्स पिछले साल दे चुका था। इस साल मैंने चाहा कि १९३९ का मुकाबला किया जाय और इस साल १९३९ में १,१९,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई। सन् १९५७-५८ में १,२१,००,००० एकड़ की सिंचाई हुई। महज २ लाख एकड़ का इजाफा हुआ यानी १ ८ प्रतिशत का। सन् १९३९ से सन् १९५९ तक २ फीसदी से कम सिंचाई की भूमि में इजाफा हुआ। उधर पुराने युग में १२।। फीसदी ३० वर्ष के अन्दर और अगर २० साल का ही हिसाब ले लिया जाय तो ८ फीसदी की यानी चार गुना का अन्तर। यह क्यों? नहर बहुत खोदी गई और ट्यूबवेल भी बहुत बने, लेकिन सिंचाई का रकबा कम हो गया। नहर बनी यह बात सही है हालांकि कुछ ऐसी हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। दोहरीघाट पम्प कैनाल है वहां के सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे कि बिना पानी के वह नहर आज तक है। ट्यूबवेल हैं जिन पर लाखों रुपया खर्च किया गया है परन्तु सरकार के पास इत्तिला है कि हरदोई में ऐसे कुछ कुयें बन्द पड़े हैं। खीरी जिले में भी बन्द पड़े हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बुलन्दशहर में भी बन्द पड़े हैं। हरदोई जिले में क्यों बन्द पड़े हैं? वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी ने कर्जा लेकर कुयें बनाये। चूंकि खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है इसलिये कुयें बन्द हैं। मगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की। बात यह है मान्यवर, हमारे प्रदेश में अधिकतर सिंचाई कुओं से होती है। छोटे-छोटे कच्चे और पक्के कुओं से होती है। तालाबों से होती है जिनका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९१९-२० में ५,५७,००० पक्के कुंओं से हमारे प्रदेश में सिंचाई हुई और ८,२७,००० कच्चे कुओं से सिंचाई हुई। यदि इनकी संख्या पर गौर किया जाय तो ये कच्चे कुयें ८,२७,००० से घटकर ३० साल के अन्दर ६ लाख कम हो गये। तो नहर से सिंचाई का रकबा बढ़ा। वह कच्चे कुओं से जो सिंचाई होती थी यानी ६ लाख कच्चे कुओं से जो १५ लाख एकड़ में सिंचाई होती थी वह बन्द हो गई।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

पक्के कुओं का भी मान्यवर, यही हाल है। एक जमाना था कि जब हमारे यहां १९१९-२० में ७,०९,००० पक्के कुयें थे और उसके बाद १९२८-२९ में उनकी संख्या बढ़ कर ७,८०,००० हो गयी थी। लेकिन १९५४-५५ में केवल ५,६४,००० कुओं से ही सिंचाई की जा सकी। २,१३,००० कुओं से सिंचाई नहीं की जा सकी क्योंकि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। क्या सिंचाई के कुयें पट गये थे? क्यों नहीं उन से सिंचाई की गयी? क्या वहां सब जगह नहरें निकल गयी हैं या वहां सिंचाई के साधन दोहरे हो गये। एक तरफ

साधन बढ़े और दूसरी तरफ कमी हो। अगर सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती छोटे-छोटे कुयें बना कर तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अन्न की समस्या हल नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती।

एक योजना बनी है कि चकबन्दी के इलाके में शायद ८५ लाख या ऐसी ही कुछ रकम है दी जायगी कुयें बनाने के लिये। १ लाख कुछ हजार गांव इस प्रदेश में है। फिर चकबन्दी के इलाकों के साथ ही यह योजना क्यों और फिर, मान्यवर, सरकार मदद नहीं देगी, कर्ज देगी। करोड़ों रुपया खर्च किया जाय कनाडा और अमरीका से अनाज मंगाने में। लेकिन सरकारी खर्चे पर कुयें की तामीर नहीं करायी जायगी इसका मालूम पड़ता है कि सरकार ने अहद किया है। कर्ज देंगे उसको जिसकी नानकंसालिडेटेड एरिया है, सवा छः एकड़ भूमि एक जगह है ऐसी स्कीम बनाते हैं कि जिससे ८५ फीसदी किसान फायदा न उठा सकें। किसको सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, छोटे किसान को या बड़े? वैसे तो जरूरत सबको है, लेकिन प्राथमिकता देना चाहिये उनको जो छोटी जोत वाले हैं। जो योजना सरकार ने बनायी है उसके अनुसार कर्ज उन्हीं को मिलेगा जिनकी भूमि एक स्थान पर कंसालिडेटेड एरिया में ८ एकड़ होना चाहिये और नानकंसालिडेटेड एरिया में कम से कम सवा छः एकड़। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी में यह नहीं होता है कि एक आदमी की कम से कम सवा छः एकड़ जमीन एक जगह हो जाय। २० खेत हैं बीस जगह हैं। वह ५ या ४ जगह हो जायगी, लेकिन यह नहीं होगा कि २० के बजाय १ नम्बर हो जाय जब तक कि उसकी सारी जमीन एक किस्म की न हो या पहिले ही से ऐसा न हो। कंसालिडेटेड एरिया में भी ८५ प्रतिशत किसानों को यह नहीं होगा कि एक ही प्लाट मिले। तो ऐसी योजना से फायदा क्या? और रकम भी कितनी। केवल ३० लाख मंजूर किया गया है, हालांकि अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो एलान था कि ८५ लाख रुपया खर्च किया जायगा। अगले साल क्या होगा? इसका महज अनुमान लगा सकते हैं। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि वह अपने खर्चे से कुयें बनवाये।

इस सिलसिले में एक ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुराने कुवों की बरबादी के बहुत से कारण हैं। जमींदारी विनाश कानून में एक दफा रख दी गयी थी कि जमींदारों के वे कुयें भी उसकी मिल्कियत रहेंगे जो किसी बाग में हों या किसी दूसरे के खेत में या आबादी में हों। अगर वह किसान के खेत में है तो उसका मालिक जमींदार है। जमींदार ने उसी समय में उनकी मरम्मत कराना बन्द कर दिया। हजारों कुयें बिना मरम्मत के हर साल टूटे जा रहे हैं और उनकी मरम्मत के लिये सरकार ने कोई इतजाम नहीं किया। यह खाद्य का मामला है। मेरी निश्चित राय है कि अगर कुयें सरकारी तौर पर नहीं बनते हैं और पुराने कुयें और पुराने जमींदारों के कुयें सरकार अपने हाथ में ले कर शीघ्र उनकी मरम्मत नहीं कराती, उनको ठीक तौर से नहीं रखती तो सिंचाई की समस्या हल नहीं हो सकती। अगर केवल सिंचाई के साधन हो जायं तो ५० प्रतिशत अन्न की पैदावार में बढोत्तरी हो जाय।

तालाबों का भी मैं हल्का सा जिक्र कर दूं। जो माननीय सदस्य पूर्वी क्षेत्र से आते हैं उनके लिये यह आंखों देखी बात है। पहले तालाब सिंचाई के बहुत थे, लेकिन अब उन में से आधे से ज्यादा या तो पट गये हैं या उनमें खेती होने लगी है या उनका रूप तालाब का नहीं रहा। उन से सिंचाई नहीं हो सकती है या फिर थोड़ी सी होती है। बरसात में हाथ दो हाथ पानी आ जाता है और महीने दो महीने में सूख जाता है। कुछ साल हुए एक लाख रुपया इसके लिये निकाला गया था। और पुण्य स्मृति के बाबा राघवदास जी ने उस समय सारे प्रांत का दौरा किया था ताकि तालाबों की दशा को सुधारा जाय, लेकिन कुछ विशेष हो नहीं पाया। उन्हें सिंचाई योग्य बनाने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भले ही अन्य बड़ी योजनायें बनी हों। अभी भी सरकार के दिमाग में कुछ नहीं है ऐसी दशा में खाद्य की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और लखनऊ की भाषा में सब बंटाधार हो गया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि पुराने जमाने का जो स्टैंडर्ड था, जो मयार था इस सरकार का आज भी स्तर वह नहीं है। मैं संस्कृत पढ़ा नहीं हूं, लेकिन उसका अनुवाद मैंने पढ़ा है और समझा भी है। माननीय सदस्य अगर देखना चाहते हों तो देख सकते हैं नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज के पास गये तो उन्होंने बहुत सी बातें पूछीं। महाभारत क सभा पर्व में यह लिखा है। उनमें एक बात यह भी थी कि हे धर्मराज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे राज्य में खेती महज वर्षा के ऊपर ही निर्भर हो? यह मैं महाभारत के जमाने की बात अर्ज कर रहा हूं। आज कितनी खेती ऐसी है कि जो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है? ७६ फीसदी। जो स्तर नारद जी का ५००० साल पहले था आज इस सरकार का वह भी नहीं है। यह गौरव की बात नहीं है। यह दुःख की बात है। इसलिये कि इसका असर सब पर पड़ता है। हम मेहनत करते हैं लेकिन भूखे रहते हैं। मैं मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी ने सन् १९४६ के मई महीने में मंसूरी में यह बात कही थी कि वह सरकार जिनके जमाने में एक मजदूरी करने वाले को भरपेट अन्न वस्त्र न मिले, उस सरकार से अनारकी (अराजकता) बेहतर है। एनारकी हड़भोंग है, अराजकता है। यह महात्मा के शब्द हैं उस समय के जब कि अप्रैल, १९४६ में कांग्रेस की सरकारें स्थापित हो गई थीं। यह नहीं कि पुराने जमाने में कहा हो। उसी महात्मा ने कहा कि ऐसी दशा में शांतिमय सत्याग्रह से सरकार को हटा देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। क्या आज इस सरकार का यह दावा हो सकता है कि इस प्रदेश के रहने वालों को पर्याप्त मात्रा में अन्न और वस्त्र प्राप्त है। न ये नारद की मानें, न ये महात्मा की मानें, न इंग्लिस्तान की मानें, न अमरीका और रूस की माने, खुदा मालूम कि किसकी मानते हैं और क्या इन्हें देश की जनता का ध्यान है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिये। मुझे आशा है कि यह आदरणीय सदन बहुत बड़ी रकम बिना किसी वाद विवाद के इस कार्य के लिये मंजूर करेगा। ५ करोड़, १० करोड़ की रकम इस काम पर सरकार को तुरन्त लगाना चाहिये। और १९५९-६० में यह सरकार सिंचाई के कुओं की तामीर करेगी मैं कहता हूं और इसलिये कहता हूं कि उधर के बैठने वालों की जिम्मेदारी इस प्रदेश की दशा को सुधारने में ज्यादा है, कि अभी समय है, मौका है, उसको वह हाथ से न जाने दें, इसमें उनकी भी भलाई है और इस प्रदेश की समस्त जनता और सारे देश की भलाई है।

अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये श्रीमन्, एक दूसरा साधन भी है और वह है अच्छा बीज। मुझे दुःख है कि इतने प्रयत्न के बाद भी धान का केवल ९ फीसदी बीज इस प्रदेश में इस्तेमाल होता है, जबकि पंजाब में १०० फीसदी है। गेहूं में केवल २० फीसदी है, इसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई? मालूम हुआ कि कुछ नहीं। जरूरत है कि अच्छे फार्मों को सब्सीडाइज्ड करके उनसे अच्छा बीज सरकार मोल ले ले और आज अगर अच्छा बीज चालू कर दिया जाय और उससे बुवाई हो तो पैदावार में वृद्धि हो सकती है।

मैंने दो साल पूर्व भी खाद की बात कही थी आज भी दोहराता हूं कि अमोनियम सल्फेट इत्यादि से काम नहीं चलने का। तो हो सकता है वह समय आयेगा जबकि अमोनियम सल्फेट जमीन को सैचुरेट कर दे और उन इलाकों में जो हालत हुई जहां नहर की सिंचाई से ५०-६० वर्ष बाद नीचे से रहे ऊपर आ गई और अच्छी जमीन बंजर होती जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि आर्टिफिशियल मैन्योर से १५-२० वर्ष के बाद ऐसी ही दशा इस कारण भी हो जाय। बिना सिंचाई के फर्टिलाइजर काम नहीं करता। ऐसी हालत में गांव वालों को खाद बनाने के लिये सुविधायें होनी चाहियें। कम्पोस्ट की योजना बिल्कुल नाकामियाब रही है। हो सकता है कि शहरों में या कुछ म्युनिसिपल एरियाज में वह चल गई हो, लेकिन गांवों में जहां उसे चलना चाहिये था नहीं चल पाई।

मान्यवर, जरूरत इस बात की है कि किसान मवेशियों का गोबर खाद में इस्तेमाल करें, लेकिन उसे रोटी पकाने का दूसरा साधन उपलब्ध करना होगा और जितनी जल्दी यह किया

जाय अच्छा है। मैं माननीय राजस्व मंत्री का मश्कूर हूं कि एक दिन उनसे बात हो रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ की कि जितने ऊसर बन्जर हैं, जो कामन लैंड्स हैं गांवों में, और पंचायत की मिलकियत है उन पर किसान को इजाजत होनी चाहिये और प्रोत्साहन दिया जाय कि वह दरख्त लगा सकें। ऐसा पहले था कि जमींदार की इजाजत लेने के बाद लगा सकते थे, लेकिन पंचायतों के बनने के बाद--हो सकता है कि यों अब भी सहूलियत हो--लेकिन इस ओर आज कम है, अगर सरकार की यह नीति हो और उसकी तरफ से एलान किया जाय तो मुझे यकीन है कि कुछ हद तक जलाने की लकड़ी प्राप्त करने में कुछ सहूलियत पैदा होगी। इसके सिवाय और कोई साधन, मान्यवर, नजर नहीं आता।

यह मेरे सौभाग्य की बात है कि माननीय सहकारिता मंत्री इस समय विराजमान हैं। किसान की गर्दन को महाजन से छुड़ाने के लिये कोई भी कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। सरकार की तरफ से लगभग ३ प्रतिशत और यही ३ प्रतिशत कोआपरेटिव की तरफ से किसानों को कर्ज दिया जाता है और महाजनों की तरफ से दिया जाता है ७५ फीसदी। मालूम है वह कितना सूद उन लोगों से लेता है? वह अदालत में नहीं जाता है, वह रुपया देता है जब जब किसान को इन्तिहाई जरूरत होती है। वही किसान सरकार के पास जाता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है उसको पूछने वाला कौन है, यही किसानों की सरकार।

मुझे इस कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि इस सरकार ने इस प्रदेश के किसानों के साथ दगा किया है। बराबर यह कहा गया कि जो जोते बोवे वही जमीन का मालिक है, लेकिन जब स्वराज्य हो गया तब कहा गया कि जो दस गुना दे, वह मालिक। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने दस गुना दिया और जमीन के मालिक बने। जरूरत इस बात की है और अगर अन्न की पैदावार बढ़ाना है तो जोतने बोने वाले को जमीन का मालिक बनाना होगा। एक ओर ३०, ४० फीसदी का ब्याज महाजन लेता है और दूसरी तरफ सरकार पूछती है कि हैसियत क्या है। क्या तुम भूमिधर हो? अगर उसने कहा कि नहीं, तो कहा कि जमानत लाओ। किसान को कर्ज मिलना चाहिये जरूरत के लिये, उसकी हैसियत के अनुपात से नहीं। हैसियत से कर्ज दिया जाता है अगर वह फालतू खर्च के लिये हो। जब वह खाने, पहनने और इलाज के लिये न हो। इसलिये किसान को जरूरत पर कर्ज मिलना चाहिये। इसके लिये समाज की मूल्यताओं को बदलने की आवश्यकता है, कर्ज देने का मयार बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा धक्के खायेंगे, कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे लेकिन कदम पीछे पड़ेगा और तरक्की नहीं कर सकेंगे और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त न कर सकेंगे। मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सरकार की चेष्टा है कि अनाज का व्यापार भी अपने हाथ में ले। ढाई महीने से सरकार चावल खरीद रही है महज डेढ़ लाख टन, लेकिन अभी केवल २५–३० हजार टन ही खरीद पायी है जब कि व्यापारी के लिये यह लाजिमी है कि वह दो तिहाई सरकार को दे। किसान से सीधे अनाज लेंगे, तब नहीं मिलेगा। अनाज के व्यापारी जब फसल पकने भी नहीं पाती तब उस पर रुपया किसान को देते हैं और फिर मन माने भाव पर से उससे खरीदते हैं। क्या उनकी फसल पर उन्हें रुपया देते हैं? यह पिछड़ा हुआ देश है। इंगलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में जो कि आगे बढ़े हुए हैं देश, वहां किसान को फसल पर कर्ज दिया जाता है। जहां किसान यहां के मुकाबिले में सम्पन्न हैं वहां भी उसे कर्ज मिलने की विशेष सुविधा है। वहां निम्नतम मूल्य भी निश्चित है कि इस भाव से कम पर यदि उसका अन्न नहीं बिकेगा तो सरकार उसे ले लेगी। यहां क्यों नहीं है कि निम्नतम मूल्य निर्धारित हो। क्या बाधा है मेरी समझ में नहीं आता . . . . .

एक सदस्य--लूट लो।

श्री त्रिलोकीसिंह--सिवा इसके जैसा कि उन्नाव जिला के माननीय सदस्य ने कहा कि लूट लो। लूट नहीं किसानों को लूटवा दो। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि अन्य देशों

[श्री त्रिलोकीसिंह]

में यह इसलिये होता है कि यदि निम्नतम मूल्य से भाव नीचे गिरे तो सरकार उसमें बाधा नहीं डालती बल्कि उस मिनिमम प्राइस पर वह सब अन्न खरीद लेती है। यहां तीन साल पहले सन् १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने एक स्कीम चलायी कि सरकार १० रु० मन से गेहूं का भाव न गिरने देगी। भाव गिरने नहीं पाये और सरकार ने खरीदा भी नहीं। इस प्रकार क्या किसानों को लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। किसान हमारे समाज की रीढ़ है, आज मुफलिस है, आज परेशान व कंगाल भी है, जो मेहनत करता है लेकिन खाना भरपेट नहीं पाता, भूखा रहता है फिर भी सरकारी लगान अदा करता है। उसकी दशा को यदि सुधारना है तो उसे हर प्रकार की सहूलियत देना इस सरकार का प्रथम कार्य है और सारे कार्यों के उपर इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन आज इसका कहीं जिक्र नहीं है, नामोनिशान नहीं है और फिर अन्न की समस्या कैसे सुधर सकती है, यह मेरी समझ के बहर है।

एक बात और है जिसकी तरफ इस सदन का ध्यान दिलाये बिना मैं नहीं रह सकता और वह है लैंड रेकर्ड्स की। आज कागजदेही कि कितनी जमीन है? उसका क्षेत्रफल क्या है? कौन सा प्लाट नम्बर है? किसके पास है? इसके रखने और मुरत्तब करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। स्वराज हुये ११, १२ साल हो गये। इस सरकार का सिलसिला, हुकूमत का दौर, सन् १९४६ से शुरू हुआ, लेकिन गौर किया जाय मान्यवर, जहां जहां चकबन्दी हुई है क्या यह बात नहीं पायी गयी कि ७५ फीसदी इन्दराजात गलत पाये गये हैं? क्या कोई भी सरकार इस तरह के गलत कागजात के ऊपर गर्व कर सकती है? मेरी समझ में नहीं आता कि ७५ फीसदी के इन्दराज गलत वे, दौड़ते दौड़ते तहसीलों में गिरगिर पड़ते हैं, महज सेहत इन्दराज के सिलसिले में।

एक सदस्य--यह आप की बिरादरी की खूबी है।

श्री त्रिलोकीसिंह--एक माननीय सदस्य कहते हैं कि यह मेरी बिरादरी की खूबी है। अपनी बिरादरी पर मुझे गर्व है, उसमें होने का मुझे शर्म नहीं। मेरी बिरादरी ने इस समाज की सेवा उस समय में की है जब कि न रेल थी, न तार था, न डाक था। जब निरीक्षक भी कम थे। और उस जमाने में भी लैंड रेकर्ड्स में ७५ फीसदी गलती नहीं हुई है। यह बिरादरी का सवाल नहीं है, अगर बिरादरी का सवाल भी हो तो मैं ऐसे लोगों में नहीं हूं कि उनके लिये याचना करने सरकार की ड्योढ़ी पर जाऊंगा। लेकिन लैंड रेकर्ड्स में ७५ फीसदी गलतियां हैं, क्या यह किसी बिरादरी का ठेका है कि सिवा उसके और कोई कागजातदेही को ठीक ही नहीं कर सकता? यह शर्म की बात है लेकिन इस तरह की बात इस आदरणीय सदन में कही जाय। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि ऐसी नीच बात इस आदरणीय सदन में कहना शोभा नहीं देती। (शर्म-शर्म की आवाजें) सोचिये कि इस तरह से लाखों और करोड़ों किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और दोबारा तेबारा कहता हूं कि ७५ फीसदी किसानों के लैंड रेकर्ड्स में गलतियां हैं। इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ७५ फीसदी गलतियां कागजात में आज भी हैं चकबन्दी बेइलाके को छोड़ कर। यह क्या है? मेरी निश्चित राय है कि कागजातदेही की दुरुस्ती हो नहीं सकती अगर गांव सभा की सुपुर्दगी में नहीं दिए जाते। यहां जो लोग बैठे हैं उनको यह कहने का हक नहीं है कि गांव सभा का इन्तजाम खराब होगा। जो भी हो ७५ फीसदी खराब नहीं होगा यह मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूं। मैं देखूंगा उस माई के लाल लेखपाल को जो जब गांव सभा कागजातदेही को रखेगी तब इन्तखाब देने के लिये कुछ नाजायज रकम मांगे। लेकिन सब काम अपने हाथ ले लें, जैसे शनीचर का पेट जो मिला रख लिया और जब काम नहीं बना तो दाहिने और बायें हाथ मारा। यह ठीक नहीं है।

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर लीजिये थोड़े दिन और खिलवाड़, ज्यादा दिन नहीं है। रहने दीजिये कागजात जैसे हैं वैसे ही....

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---मैं तो समझता था कि कोई शेर पढ़ने वाले हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह---शायर की तबियत भी हर एक को देख कर मौजूं नहीं होती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को मजाक में मत लीजिये। जमीन से लगाव होता है। चकबन्दी की योजना शुरू कर दी। जब चकबन्दी की योजना चालू हुई तब जितने लैंड इम्प्रूवमेंट्स थे हो गये और अजीब योजना मजरुआ आराजी के रकबे में कमी हो गयी लेकिन मालगुजारी में इजाफा हो गया। जब कि कहा जाता है कि एक एक इंच जमीन पर अनाज बोओ तब मजरुआ जमीन का कम होना अन्याय है। दोनों बातें असंगत हैं।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस प्रकार काम नहीं चल सकता। इस आदरणीय सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था सर्वसम्मति से कि गन्ने का भाव १ रुपये १२ आना मन कर दिया जाय, वह गन्ना जो मिलों को दिया जाता है। उस तरीके से जिस पर सरकार की भी छाप है। भारत के खाद्य मंत्री ने एक बयान दिया कि गन्ने के भाव कैसे बढ़ा सकते हैं जब कि गन्ना का भाव उतना नहीं बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सा मंतक था ?

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खेती में कुल जितना रकबा है उसमें ३/४ अन्न में है और १/४ है कामर्शियल क्राप्स (वाणिज्यकारी अन्न)। किसी प्रदेश की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये कि ३/४ के अन्न की कीमत इस १/४ के बारबर है। कहीं कामर्शियल क्राप की तुलना की जा सकती है फूड क्राप से ? चूंकि गेहूं का भाव गिरा लिहाजा गन्ने का भाव कैसे बढ़ा दें। जाहिर है कि जो नान फूड क्राप्स हैं, किसी भी देश में देखा जाय, श्रीमन्, उनका मुकाबला अन्नके मूल्य से नहीं किया जा सकता।

इस सदन में सर्वसम्मति से एक मांग स्वीकार हुई उस पर इस सरकार ने क्या जोर लगाया भारत सरकार से। क्योंकि इस सरकार का कर्त्तव्य है कि असेम्बली द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकृत हो उसे वह कार्यान्वित करे और यदि उसके कार्यान्वित करने में किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है तो उसके लिये इसरार के साथ वह और अगर कहा उसको नामंजूर हो तो क्या कोशिश की इसको प्रकट करे। लेकिन क्या कोशिश की गई। भारत के खाद्य मंत्री ने एक बयान दे दिया, हमने भी उसको कथा की तरह सुन लिया, जैसे वह वेद वाक्य हो। लेकिन वह बात गलत है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में हवाला दिया है कपास की उपज का। यह सभी को मालूम है कि कानपुर के सूती कपड़े के कारखाने खतरे में हैं। कपड़ा नहीं बिक रहा है। उन्हें कपड़ा बनाने में ज्यादा लागत आने का एक कारण यह भी है कि कपास उनको दूसरे प्रदेशो से मंगानी पड़ती है, वह महंगी पड़ती है। मैं अर्ज करूं कि उत्तर प्रदेश में १९१९–२० में १२ लाख एकड़ में कपास की खेती हुई थी और १९५४–५५ में १,२०,००० एकड़ रह गई। ९० फीसदी हो गई. . . .

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---१९४५–४६ और १९४६–४७ में कितनी थी ?

श्री त्रिलोकीसिंह---अपना भाषण समाप्त करने के बाद बतलाऊंगा। १९१९–२० और १९५४–५५ के आंकड़े मैंने दिए हैं। इतना अर्ज कर दूं मेरे पास नार्मल आंकड़े हैं और नार्मल पांच साल पहिले नहीं बदलता है। १९४५–४६ में इससे कुछ थोड़ा ही घट बढ़ रहा होगा। नार्मल १,५०,००० एकड़ है मैं मशकूर होऊंगा यदि मन्त्री महोदय मेरी सेहत कर देंगे। ९० फीसदी कपास के क्षेत्र में कमी हुई है। अगर हमें इस उद्योग को बचाना है तो कपास की कृषि को सरकारी सहायता होनी चाहिए। भाषण दें, कुछ बीज बांट दें, इससे काम नहीं चलेगा। जो किसान भूखों मर रहा है और जिसके माल की निम्नतम मूल्य निर्धारित नहीं है कहीं ऐसा न हो कि वह कपास बोए और बाजार में उस को उचित दाम न मिले। गरीब किसान इसको बरदाश्त करने को तैयार नहीं है।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

सन् की बात भी कही गई। लेकिन क्या कोई कारखाना जूट का यह सरकार खोल सकी? पूरे तराई क्षेत्र में सन पैदा हो सकता है। कितनी वृद्धि हुई है १९४५-४६ के बाद से? मैं मशकूर होऊंगा माननीय कृषि मंत्री का अगर वह बाद में बतला देंगे कि सन की खेती का क्षेत्रफल १९४५-४६ में कितना था और अब कितना है। जूट की कृषि में सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया? जरूरत है इस बात की कि अन्न की पैदावार को बढ़ाया जाय। हमारी सारी एकोनामी खेती की पैदावार पर निर्भर है और उसी में कपास, जूट और ईख आती है। यह नहीं भूलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में ईख की पैदावार ३५० मन फी एकड़ है जब कि दक्षिण भारत में, गुजरात में जहां वर्षा औसत उत्तर प्रदेश की वर्षा के लगभग बराबर ही है वहां इससे साढ़े तीन गुनी पैदावार का औसत है। ईख का उद्योग भी थोड़े ही समय चल सकेगा। अगर पैदावार नहीं बढ़ायी जाती, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया ईख के सिलसिले में कि पैदावार बढ़ाने में लगाया जायगा, लेकिन लगाया कहां पर? कुछ सड़कों को पक्का कर दिया गया। पैदावार को बढ़ाने में क्या वृद्धि हुई १० साल के अन्दर तो मालूम होगा कुछ नहीं। सारे हिन्दुस्तान के औसत को उत्तर प्रदेश गन्ने की पैदावार को नीचा करता है बजाय बढ़ावे के। यह किसी भी प्रदेश के लिये शोभा की बात नहीं है।

एक मजाक की बात है मालूम नहीं क्यों इसका बजट स्पीच में जिक्र है। माननीय वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि कुछ नये बागात लगाये गये। यह भी कहा कि पुराने बागात को पुनर्जीवित किया। मालूम नहीं रिजुविनेट किसी इंजेक्शन से हुआ। रिजुविनेशन के मानी साफतौर पर है कि पुराने बाग को काट कर नये लगाना। एक तरफ तो वन महोत्सव कि पेड़ लगाओ, बिना पेड़ के वर्षा कम हो जायगी, दूसरी ओर उनका काटना। कुल रकबा १३ लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में बागों का है। इसमें से २,४६५ एकड़ का पुनर्जीवन हुआ। इस क्रम से १०० वर्ष में रिजुविनेशन हो सकेगा। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं नम्रतापूर्वक कि इन बातों में सरकार को नहीं पड़ना चाहिये। सोचें तो रिजुविनेशन बन महोत्सव के खिलाफ। बड़े-बड़े बाग काट दिये गये और लकड़ी बेच दी गयी और उनकी जगह लगेंगे कलमी आम के पेड़ जिनकी लकड़ी का मूल्य कुछ है नहीं। इस तरह अगर कोई काम यह सरकार करना चाहेगी तो मुझे अफसोस है कि वह नहीं कर सकेगी।

मैंने यह अर्ज किया कि गांव सभाओं को कागजात देही के मुरत्तब करने और रखने की जिम्मेदारी द दी जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र ऊपर से नहीं शुरू होता है बल्कि नीचे से शुरू होता है। चूंकि हमने गुलामी के बाद स्वराज्य पाया इसलिये यहां ऊपर से शुरू हुआ है। अधिक अख्तियार सेन्टर ने ले लिया। उसके बाद प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का हाल मैं बयान कर चुका हूं कि तोड़ दिये गये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इन ग्राम सभाओं को एक सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट नहीं बनाया जाता है, जिम्मेदार नहीं बनाया जाता है कि गांव के विकास की जिम्मेदारी उनकी है, तब तक न योजना पूरी होंगी और न इस प्रदेश की दशा में वास्तविक सुधार होगा। आज क्या है? अगर किसी का बाप मर जाय तो साल भर तहसील दौड़े तब उसका नाम बजाय बाप के लिखा जाय। बाप का बाप गया और साल भर तहसील में दौड़ना पड़ा। यह काम गांव में क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कहा गया कि गांव समाज के सदस्य अल्हड़ हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि पढ़े-लिखे कम अल्हड़ नहीं होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें नहीं भूलना चाहिये कि थोड़े दिनों पेश्तर इसी सरकार ने गांव पंचायतों को ५०० रु० तक के दीवानी के मुकदमे करने के अधिकार दिये हैं, जो अधिकार मुंसिफों को भी नहीं देते हैं। जो सीनियर जुडिशियल आफिसर, स्माल काजेज कोर्ट के जज खफीफा करते हैं। जो ५०० रु० के दीवानी मुकदमे करते हैं वह खाता खतौनी नहीं रख सकते? लगान नहीं वसूल कर सकते हैं। वह उस गांव के स्कूल के अध्यापक की निगरानी नहीं कर सकते हैं जो उनके बच्चों को पढ़ाता है? लेकिन नहीं, अध्यापकों की निगरानी करेंगे डिप्टी इंस्पेक्टर पाठशालाओं के। यह क्या है? विकेन्द्रीकरण की दुहाई देते हैं। जब

तक इन गांव सभाओं को नहीं जिम्मेदार ठहराया जायगा गांव की पैदावार बढ़ाने के लिये, उसका खाता खतौनी रखने के लिये जिसका तहसीलदार, कानूनगो मुआयना कर सकते हैं—लगान वसूल करें और तहसील में जमा कर दें, स्कूल का इंतजाम करें, चौकीदार भी उन्हीं का हो, तब तक समाज नहीं ऊंचा उठ सकता है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इसी सिलसिले में कि पुलिस का क्या हाल है । माननीय गृह मन्त्री जी विराजमान हैं और दूसरे कुछ मंत्री भी मौजूद हैं वह बतायें कि कितनी शिकायतें उनके पास ऐसी आती हैं कि सरकार के कर्मचारियों ने जनता को पीटा हो, चाहे डंडे से, घूसे से या किसी और तरह से । क्या माननीय गृह मंत्री के पास ऐसी शिकायतें आती हैं या नहीं ? अगर वह यह कहें कि सब शिकायतें निराधार हैं तो सोचना होगा कि सहकारिता के कर्मचारियों के खिलाफ क्यों शिकायतें नहीं आतीं ? पुलिस विभाग के खिलाफ ही यह बुग्ज लिल्लाही क्यों है ? जो चोर को पकड़े, बदमाशों को पकड़े, कातिलों को पकड़े उससे जनता को यह नफरत क्यों कि वह रोज शिकायत करे कि अमुक थानेदार ने उसे डंडे से पीटा । रोज कत्ल होते हैं । पकड़े जाते हैं चालान होते हैं और फिर भी लोग छूट जाते हैं । क्या कारण है ? कारण यह है कि पुलिस है सरकार की । क्या जरूरत है सरकार को पुलिस की ? पुलिस होनी चाहिये जनता की, वह उसी की रक्षा के लिये है । जब जनता की रक्षा होगी तभी सरकार की रक्षा होगी । अंग्रेजों ने पुलिस बनाई । उन्हें अपना राज्य यहां कायम रखना था, लेकिन यहां किसका राज्य, बड़े-बड़े पांचवे साल उखड़ जाते हैं । पुलिस नाम है जनता के लिये है, उसकी रक्षा के लिये है मगर है सरकार की रक्षा के लिये । मेरा सुझाव है कि जनता के राज्य में पुलिस का विकेन्द्रीकरण जल्द से जल्द होना चाहिये और उसे स्थानीय निकायों के सुपुर्द होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि जिस तरह स्काटलैंड यार्ड काम करता है उतना ही कार्य सरकारी पुलिस का होना चाहिये साधारण पुलिस सरकार की नहीं होनी चाहिये । किसी भी सभ्य देश में सरकार की पुलिस नहीं है । प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां सरकार की ही पुलिस है ।

मैंने पिछले साल भी कहा था और अब फिर दोहराये देता हूं कि यहां न्याय तथा शासन का प्रथक्कीकरण जो एक में चले जाते हैं होना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने गत वर्ष कहा था कि यह तो लिबरल की बात है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब इतिहासकार लिखेगा तो क्या वह महात्मा गांधी को लिबरल लिखेगा, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक को लिबरल लिखेगा, लाला लाजपतराय को लिबरल लिखेगा और क्या पंडित मोतीलाल नेहरू को लिबरल लिखेगा ? कांग्रेस के प्रस्ताव हैं कि न्याय और प्रशासन करने वाली शक्ति अलग-अलग होनी चाहिये । उनका प्रथक्कीकरण होना चाहिये । हजार कोशिश करें लेकिन इस तरह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और जो सरकार भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती वह सरकार कहलाने के काबिल नहीं । इस मुल्क में पहले रिश्वत लेने वाले को सजा होती थी, लेकिन अब देने वाले को भी सजा है, कहीं और देने वाले को सजा नहीं है । लेकिन इन के कार्यालय में हर बात में संशोधन हो गया है । कारण यह है कि जब रिश्वत के मामले में कुछ जनता के चहीते भी पकड़े गये, चहीते यानी "बिलवेड आफ पब्लिक" वह पकड़े गये तो संशोधन हो गया कि रिश्वत देने वाले को भी सजा दी जाय । जिस के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत हो उसे तो कहा जाय कि जांच होगी, लेकिन जो रिश्वत देने वाला है उससे कहा जाय कि आप हवालात में चलिये । किस देश में रिश्वत देने वाले को सजा होती है, इस तरह से रिश्वत और बढ़ेगी । पुलिस अपने हाथ में रखिये, प्रशासन तथा न्याय अपने हाथ में रखिये । कहा जाता है कि न्याय अलग है, जुडिशियल आफिसर काम करते हैं, वह तो अलग हैं । वही बात है कि रखे हैं घर में और कहते हैं कि हम से कोई वास्ता नहीं । (हंसी) । जब उनकी नियुक्ति सरकार करती है और वह जिलाधीश के अधीनस्थ रहते हैं तो वह अलग कैसे हैं ? क्यों नहीं उनको हाईकोर्ट के अधीन किया जाता है ? फिर नहीं करेंगे । क्यों ? कहते हैं कि वह हमारी कहां है ? वह तो दूसरे की है । इस तरह से काम नहीं चल सकता । संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में लिखा हुआ है, उन्हें किसी लिबरल ने नहीं

[श्री त्रिलोकी सिंह]

बनाया । उसमें उसी संस्था के सदस्य ज्यादा थे जो उधर हैं । तो इसमें जिद की बात नहीं है, इससे समाज की भी रक्षा होगी, उधर और इधर बैठने वालों की रक्षा होगी ।

किसी सरकार का काम नहीं चल सकता अगर उसके पास योग्य और ईमानदार कर्मचारी नहीं हैं । ईमानदारी के लिये यह जरूरी है कि उनको पर्याप्त मात्रा में वेतन मिले । वह नहीं मिलता, सरकार खुद स्वीकार करती है और फिर भी उनकी नौकरी अस्थायी । यहां तक कि १२–१२, १४–१४ वर्ष के कर्मचारी हैं, अस्थायी । जब चाहा एक महीने के नोटिस से निकाल दिया । सरकार के कर्मचारी अगर स्थायी नहीं होते, जिनकी गर्दन पर हर वक्त तलवार लटकती है कि जिस वक्त चाहें निकाल दिये जायं वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं । ट्रांस्पोर्ट अस्थायी, सारे सामूदायिक विकास के कर्मचारी अस्थायी उनकी असफलता का बड़ा भारी कारण यह है कि जितने कर्मचारी हैं वे सोचते हैं कि खुदा मालूम किस वक्त हुक्म आ जाय कि अपने घर बैठो । चकबन्दी के कर्मचारी भी अस्थायी । जो नया विभाग है वह अस्थायी । सेक्रेटेरियेट में आधे से ज्यादा कर्मचारी अस्थायी । पहले जहां एक आदमी १० फाइलें देखता था वह अब ५ भी नहीं करता । क्यों करे ? मालूम नहीं कब निकाल दिया जाये । रिश्वत लेने के लिये एक प्रोत्साहन यह भी है । चकबन्दी के विभाग में तो छूट दे दी गयी है । कहा गया कि सीधे यूनिवर्सिटी के स्नातक लेंगे । जब उसे ४ वर्ष के बाद निकाल देंगे तो १० वर्ष का इन्तजाम तो अपने लिये वह कर ही लेंगे । उसको सरसरी अधिकार देंगे कि जिसका नाम चाहे लिख दे जिसका चाहे काट दे । मेरे नाम के बजाय नारायणदत्त तिवारी का नाम लिख दे । वह रहते हैं नैनीताल और मैं रहता हूं काकोरी जिला लखनऊ में । जो चाहे लिख दे । जब ४ बरस में मुकदमा लड़ूंगा तब मेरी सुनवाई होगी । तो सरसरी अधिकार देना लैंड रेकार्डस में उन लड़कों को जो कल यूनिवर्सिटी में थे जिनको जब चाहें निकाल दें यहां तक कि जिसकी शिकायत करो उसे निकाल देंगे । मैंने तो न ऐसा मुहकमा देखा, और न ऐसा मंत्री । उन्होंने एलानिया कहा कि जिसकी शिकायत करो उसको निकाल देंगे । तो कहीं अच्छा काम हो सकता है ? १०० रु० तक के वेतन वालों के ढाई रुपया मंहगाई में बढ़ौत्तरी कर दी । बड़ी रकम दी । बराहे करम अनाज की कीमत कम कीजिये, ढाई नहीं २० रु० आप ले लीजिये । यह क्या खिलवाड़ है । असन्तुष्ट कर्मचारियों से न कोई काम हुआ है और न हो सकता है ।

मैंने गांव सभा के बारे में यह कहा था, मेरी निश्चित राय है, कि गांवों में एफ० आई० आर० थाने में न लिखकर ग्राम सभा में लिखी जाय और उसका मंत्री या उसका जो प्रधान होगा वह उसको थाने में भेज दे । फिर थानेदार आवें, जांच करें । सारा गोल-माल प्राथमिक सूचना में होता है । मैं जो कहता हूं वह वे नहीं लिखते हैं । दफा वह लगायेंगे, और हमारी बात सुनते तक नहीं । यदि कोई चाहे ५० एफ० आई० आर० मंगा कर देख ले । एक आदमी पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, एक जुमला ठीक नहीं बोल सकता, लेकिन रिपोर्ट देखिये तो मालूम होगा कि किसी आलिम ने लिखी है । कहीं देख लीजिये, क्योंकि पहले मुंशी अथवा दारोगा सुनते हैं तब उनको लिखते हैं, जिसका नाम चाहें जोड़ दें, जिसका नाम चाहें घटा दें । यह रोजमर्रा की बात है और जिन माननीय सदस्यों के तजुर्बे में यह न आया हो, "हाथ कंगन को आरसी क्या" कल ही इसी शहर लखनऊ में तजुर्बा करा दूंगा । मैं यह निर्विवाद बात कह रहा हूं । इन्कार भले ही कोई करे लेकिन उसका इलाज करना चाहिये । इन्कार कीजिये मेरी दवा से, नखरे भी कर लीजिये, लेकिन खुदा के लिये, इंसान के लिये और समाज के लिये मेरी बात मान लीजिये । इंकार करते रहिये लेकिन अमली रूप में मेरी बात को मान लीजिये ।

श्रीमन्, मैंने बड़ा वक्त ले लिया । फिर भी ७–८ मिनट और लूंगा । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा का मामला ऐसा है जिस के बारे में बड़े गर्व से बयान किया गया कि १९४६ के मुकाबिले में इस साल ३ करोड़ के बजाय १६ करोड़ का खर्च हो गया । लेकिन यदि यह बयान करते कि उस समय कितने आदमी थे तो राज फाश हो जाता । १९४६–४७ में आमदनी २९ करोड़ की थी और एजूकेशन के बजट पर पूरे बजट का १०·१८ प्रतिशत रखा गया था,

लेकिन १९५९–६० में यह १६ करोड़ है जिसमें से ३ करोड़ ३० लाख रुपया प्लानिंग का है जिसका खासा हिस्सा केन्द्रीय सरकार से आता है। यह सरकार नहीं देती। अगर इसको निकाल दिया जाय तो यह महज बजट का १० प्रतिशत रह जाता है। शिक्षा का व्यय, जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती गयी वह भी बढ़ता जाना चाहिये था।

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ५ करोड़ से अधिक रुपया प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च होता है। इस आदरणीय सदन के जितने माननीय सदस्य हैं उनके कितने बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं या वे भेजना पसन्द करते हैं। ज्यादा रुपया जिस काम में खर्च होता है वहां कोई अपने बच्चे भेजना पसन्द नहीं करता है क्योंकि अगर बच्चे को सफेद कपड़े पहनाकर भेजते हैं तो शाम को उसके वापस आने पर मालूम होगा कि तेली के कोल्हू में बैठकर आया है। इन स्कूलों में बैठने तक की जगह नहीं है लेकिन नये स्कूल खोलते चले जा रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि दस साल के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा को देश व्यापी कर देना है। यह कागज पर होना है या सचमुच मैं चाहता हूं कि सरकार असलियत की तरफ देखे कागजी घोड़े न दौड़ाये। खोल दिये जायं और स्कूल और पुराने गिरते चले जायें। नहरें बन रहीं हैं, चाहे कुयें गिरते चले जायं पुराने स्कूल मास्टरों को ३/४ महीने तक अक्सर तनख्वाह नहीं मिलती है। उन्हें खत्म हो रहे हैं लेकिन नये खुल रहे हैं चपरासियों के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती है लेकिन कहते यही हैं कि और खोलेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन ही शिक्षा की नीव है क्योंकि ७५ फी सदी बच्चे इससे आगे नहीं पढ़ते हैं। उनको अगर बोध नहीं कराया गया, समझदार नहीं बनाया गया और इस काबिल नहीं किया कि उन्हें अक्षरज्ञान भी हो सके तो यह सारा रुपया व्यर्थ में जाता है। जरुरी है कि मौजूदा प्रारम्भिक स्कूलों की दशा सुधारें न कि नये-नये काम बढ़ाते चले जायं। ऐसा न हो कि न यह सुधरे और न वह सुधरे। मास्टरों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी होगी और शायद उनकी भी वही तनख्वाह हो जायगी जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की है। हमें कोई वजह नहीं मालूम होती है कि ऐसा क्यों न किया जाय। पहले ही कह देना चाहिये था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। यहां भी वही दिक्कत है कि नये-नये स्कूल खोलते जा रहे हैं, और पुराने स्कूलों का क्या हाल है?

मान्यवर, मैंने यह कहा कि उद्योग के सम्बन्ध में जो सरकार का प्रयत्न रहा है वह नहीं के बराबर है। अगर हमको इस प्रदेश का औद्योगीकरण करना है तो विद्युत् योजनाओं को बढ़ाना पड़ेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में भी यूटिलाइज एक किलोवाट इनर्जी १२० आदमियों पर होगी। इससे औद्योगीकरण नहीं हो सकता। कोई भी बड़ी योजना रिहन्द डैम के अलावा और है नहीं और रिहन्द डैम से भी जो बिजली निकलेगी वह जो बड़े-बड़े कारखाने, इलाहाबाद, बनारस और मिर्जापुर आदि में बन रहे हैं वहीं पर खत्म हो जायगी। अगर कहीं अल्म्युनियम फैक्टरी आ गयी तो जनता के लिये सम्भवतः कुछ भी नहीं बचेगा। कहा गया था कि गोंडा, बहराइच तक बिजली पहुंच जायगी। लेकिन वह सब समाप्त हो गया। योजना के युग में इतना खसारा, इतना खोखलापन। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैंने कुछ गन्ने के भाव के बारे में कहा। सरकार की नीति है कि गृह उद्योगों को तरजीह दी जायगी लेकिन मुझे मालूम है, मैंने अख्बार में पढ़ा कि इस सरकार ने यह आज्ञा निकाली है कि केन रिजर्व्ड एरिया में खांडसारी नहीं बन सकती। खांडसारी गृह उद्योग है। अगर रिजर्व्ड एरिया में खांडसारी वाले मंहगे दामों पर भी गन्ना खरीदें तो किसान नहीं बेच सकता और सस्ते दामों पर मिल को बेचेगा। कहा जाता है कि हड़तालियों की हड़ताल से ३१ गन्ना मिलों पर प्रभाव पड़ा। अगर असेम्बली के प्रस्ताव के बाद अगर उन्होंने गन्ना देने से इनकार कर दिया तो वे हकबजानिब थे। सरकार ने क्या किया? उनके कर्मचारी गांव-गांव गए और जिसे पाया पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। जिन किसानों ने असेम्बली का कहा माना उनकी हड़ताल को सरकार ने कहा कि गलत है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के लिये इस असेम्बली से बड़ी और कौन संस्था हो सकती है?

[श्री त्रिलोकीसिंह]

आज ही जिक्र आया था कत्थे का । छोटे-छोटे कत्थे के व्यापारियों को अगर कत्थे के पेड़ बेचे जायं तो नीलाम किया जायगा और अगर कोई कत्थे का बड़ा कारखाना लगा दे तो सस्ते दाम तय हो जायेंगे । यह गृह उद्योग है ? यह क्या है अगर सोडा ऐश फैक्टरी लगानी है तो डेढ़ करोड़ रुपया दे दिया । लेकिन अगर गर्की का भूमि है जिसमें लाखों एकड़ जमीन डूबी है जिससे खेती के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है उसके लिये रुपया नहीं है । अनुमानित आय से अधिक आय । एक सेठ को दे दिया रुपया, जिसमें महज तीन हजार आदमी रखे जायेंगे और जिससे कम से कम एक लाख आदमियों का भला होगा उसके लिये डेढ़ करोड़ रुपया उनके पास नहीं है । यह किसकी तरफ हैं ? सेठ कहता है कि हमारी तरफ नहीं हैं । सरकार की राय में सेठ की बात माननी चाहिये क्योंकि करोड़पती है । किसान का यह हाल है । तो है किस की तरफ ? माननीय राजस्व मंत्री नहीं उपस्थित हैं नहीं तो एक शेर सुना देता ।

मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले कुछ स्टेट ट्रेडिंग और फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैंने एक दिन स्टेट ट्रेडिंग के बारे में जिक्र किया था । बड़ों-बड़ों के दिमाग में उससे भ्रम पैदा हो गया । उन्होंने कहा कि यह तो समाजवाद के विरोध में बात कर रहा है । समाजवाद के हक में क्या बात है ? अरहर की दाल मिले १ रुपये सेर । अगर कोई प्रोफेसर हो, कोई सम्पादक हो अखबार के या कोई बड़े विद्वान या तपस्वी हों तो बात दूसरी, लेकिन क्या यही समाजवाद है कि दाल बिक रही है १ रुपये सेर और गेहूं का भाव है १ रुपये का एक सेर डेढ़ पाव ? क्यों बिका ? इसलिये कि राष्ट्र को स्टेट ट्रेडिंग का नारा दे दिया और पूछा गया कि इसका रूप क्या होगा ? तो खाद्य मन्त्री फरमाते हैं कि इसका रूप क्या होगा यह अभी तय नहीं है ? वाह रे, यह सरकार बात कह दी कि तस्वीर दिखाई जायगी और जब तस्वीर देखने आया तो यह कहा जाता है कि अभी तस्वीर बन नहीं पाई । यह बात क्या है ? यह खिलवाड़ है । जो कुछ मैंने उस दिन कहा था आज फिर उसको दोहराये देता हूं और यह बात समाजवाद की कह रहा हूं, समाजवाद के खिलाफ बात नहीं कह रहा हूं कि अगर सर्विस कोआपरेटिव सरकार की सफल हो जायं तो स्टेट ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है । स्टेट ट्रेडिंग के माने इजारा मोनोपोली नहीं है । मैंने उस दिन भी कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग है तो खुले बाजार में खरीदिये जाकर । इंगलैंड की सरकार खुले बाजार में खरीदती है, अमेरीका की सरकार खुले बाजार में खरीदती है और कैनाडा की सरकार खुले बाजार में खरीदती है और यहां की सरकार स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर जबरदस्ती करना चाहती है ।

यहां लोग भूखों मरे जा रहे हैं और महात्मा की दुहाई दी जाती है । आन्दोलन प्रजासोशलिस्ट पार्टी ने और कुछ और दलों ने आन्दोलन चलाया था कुछ समय पूर्व । कहा गया कि यह तो लुटेरे हैं । यह अन्न की समस्या को बढ़ाना चाहते हैं । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गांधी जी ने यह बात सन् १९४६ के मई महीने में मंसूरी में कही थी । मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ दूं :

"If in spite of collections of foodgrains in the depots, the hungry cannot get it, they can offer peaceful Satyagraha."

यह राष्ट्रपिता की बात है । सरकार कहती है कि फसल अच्छी हुई । दो साल डेढ़ साल के बाद खरीफ की फसल अच्छी हुई है । फिर भी नौबत यह आई कि एक दाना न मिले । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार की फूड पालिसी यही रही और अगर इसको बदलते नहीं तो न मैंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है और न मेरा ज्ञान उस सिलसिले में है लेकिन निःसन्देह कह सकता हूं कि अन्न की समस्या या महंगाई काबू के बाहर हो जायगी । खरीफ की फसल अच्छी हुई लेकिन दाम बढ़े, रबी की फसल उससे अच्छी हो लेकिन दाम बढ़ेंगे और रोके नहीं रुकेंगे । महज नारे बाजी में सारा काम खत्म नहीं करना चाहिये ।

इसी से मिला हुआ फैमिली प्लानिंग का सवाल है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं हैं उनके ही विभाग से इसका वास्ता है । मैं परिवार नियोजन का हामी हूं । इस सिलसिले में मैंने कुछ व्यावहारिक रूप से भी किया है । जब यह सही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक उम्र पाने के बाद जबकि उनसे इस किस्म का अंदेशा नहीं किया जा सकता था तब इस बात

को स्वीकार किया है। हालांकि यह भी बात सत्य है कि जब वह इसे मानते भी नहीं थे तब भी वह मेरे ही बराबर रहे और कोई फर्क मुझमें उनमें न रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को गुमराह करना है और किसी सरकार के लिये यह कहना बड़ी शर्म की बात है कि चूंकि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं इसलिये सारी योजना असफल हुई। हम अनाज की पैदावार बढ़ाते चले जाते हैं और ये खाये जाये हैं, हम स्कूल खोलते जाते हैं और ये पढ़ने वाले पैदा होते जाते हैं। जो सरकारें फैमिली प्लानिंग की हामी भी हैं वे अपनी किसी योजना की असफलता की वजह यह नहीं बतलाती कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मैं अधिक जनसंख्या वाले देशों की बात कहता हूं। यूनाइटेड किंगडम में ५३५ प्रति वर्ग मील आबादी है। जापान में ५९० प्रति वर्ग मील आबादी है उत्तर प्रदेश में ५५७ की आबादी है। बर्थ रेट के लिये मैं यह निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले समय में आबादी बढ़ी है और सन् १९४१ और १९५० के बीच में ८.३ पर थाउजेन्ड बढ़ी है जबकि यू० एस०ए० में १५ फी हजार और रूस में १७ फी हजार बढ़ी है। गौर किया जाय तपेदिक के मरीज के लिये दवा नहीं है। वह इन्फैक्शन फैलाता है। एक तरफ तो सरकार की मंशा है कि कालरा न फैलने पावे और प्लेग न फैलने पावे लेकिन तपेदिक का मरीज गांव गांव, गली गली, स्ट्रेप्टोमाइसीन का इन्जेक्शन लेकर तपेदिक को फैलाता फिरता है। तपेदिक इन्फेक्शस डिसीज है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यहां पर लखनऊ के अस्पताल में ७० बेड हैं और ४०० उम्मीदवार उसके दाखिले के लिये मौजूद रहते हैं लेकिन फैमिली प्लानिंग के डाक्टर बढ़ते चले जाते हैं। यह क्या तमाशा है? हमारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में दौलत है इन्सान और इन्सान की ताकत। अगर इन्सान की तादाद को कम करना चाहते हैं तो इन्सान की ताकत कम होगी तो फिर क्या कोई योजना देश को आगे बढ़ाने की हो सकती है? यदि किसी देश में इस प्रकार की योजनाओं को कोई महत्व भी दिया जाता है तो वह केवल उनकी तफरीह के लिये है। लेकिन जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की बात है यहां पर उसको असल रूप दे दिया गया है कि बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिये बच्चों को न कोसिये। जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। उनके लिये अभी से कुछ कहना बेकार है। मैं निहायत अदब से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि लाखों में कहीं एक ऐसा जीनियस पैदा होता है। कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई जीनियस इस बर्थ कंट्रोल के चक्कर में हमारे देश में ऐसा पैदा न हो जो देश का भला कर सके। मैं दुख के साथ यह बात कहता हूं कि इस तरह की बातों से किसी को संतोष नहीं होगा। मेरे दोस्त इस बात को याद रखें कि उन अंग्रेजों का शुक्र है नहीं तो अगर ५०, ६० साल पहले परिवार नियोजन की योजना चलती तो आज यहां पर जो मूर्तियां विद्यमान हैं उनमें से सम्भवतः आधी भी दिखाई न देतीं।

जनता का विश्वास उधर के बैठने वालों को प्राप्त है। उनके लिये यह गर्व की बात है, यह मौका फिर आगे मिले या न मिले उनका यह कर्त्तव्य है कि देश के लिये, जनसेवा के लिये और समाज के कल्याण की तरफ ध्यान दें।

मैं एक बात की तरफ और इशारा करता हूं समाज कल्याण के सिलसिले में। प्रास्टीट्यूशन बंद किया गया। अच्छी बात है। कोई भी इसका हामी नहीं रहा। जो इसमें शरीक भी थे वे भी उसूली तौर पर इसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन प्रास्टीट्यूशन बन्द करने से पहले उन स्त्रियों के होम्स बना लेने चाहिये। स्त्रियों की दशा हमारे प्रदेश में बड़ी शोचनीय है। हर प्रकार से उनकी उपेक्षा की गयी है। आज उनके लिये स्कूल खोले जायं तो मास्टर नहीं मिलतीं, दाइयां नहीं मिलतीं, नर्सें नहीं मिलतीं, उनको उद्योग का काम सिखलाने वाली स्त्रियां नहीं मिलतीं, डाक्टर नहीं मिलतीं। यह बड़ा भारी जखीरा था। प्रास्टीट्यूशन एक एकोनामिक प्राब्लम है, कोई पैदायशी नहीं। जो मजबूर थीं वे इधर गयीं। यह तो इतना बड़ा भंडार था कि जिसमें सैंकड़ों दाइयां, नर्सें, मास्टर, ग्राम सेविकायें और ग्रामलक्ष्मियां बन जातीं। हजारों आदमियों के घर आबाद हो जाते, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यह जबरदस्ती नहीं बन्द हो सकता। जैसे टी०बी० फैल रहा हो, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, वही हाल इसका भी होगा इसलिये आवश्यकता है कि समाज कल्याण में इसको प्राथमिकता दी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

जाय। अगर माननीय वित्त मंत्री तजवीज करें और १ करोड़ रुपया इन स्त्रियों के ऐसे होम्स बनाने के लिये तयार हों जिनमें उनकी योग्यता, स्वभाव आदि के अनुसार शिक्षा दी जा सके और उनके लिये नये रास्ते खोले जा सकें तो समाज का कल्याण होगा और हमारे प्रदेश के माथे पर जो एक बड़ा कलंक है वह दूर हो सकेगा।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों और श्रीमन् का बहुत आभारी हूं कि जो अनुमानित समय मैंने सोचा था डेढ़ घंटे का उससे ज्यादा समय मैंने लिया, लेकिन जिस गौर के साथ सब ने सुना है उसके लिये मैं आप के और आप के द्वारा पूरे आदरणीय सदन के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब १० साल के बजट के तजुर्बे और बजट पर कहे गये भाषणों को सुनने के बाद और खास तौर से अभी दो घंटे का नेता विरोधी दल का भाषण सुनने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि इस राज्य का ही बजट नहीं, किसी भी राज्य का बजट ऐसे निर्मल जल के समान है कि उसमें जो आदमी झांकेगा उसी की सूरत की झलक दिखलाई देगी। श्रीमन्, बजट एक ऐसी चीज है और खास तौर से आज कल के जमाने में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का बजट कि जिसे जो जिस भावना से देखेगा उसको बजट वैसा ही दिखाई देगा। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने दो घंटे के भाषण के प्रस्तावना में पांच छः बातें कहीं। उन्होंने जिला बोर्ड भंग किये जाने की बात कहीं, उन्होंने हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, और वहां पुलिस के पहरे की बात कही, गन्ने के मूल्य की बात उन्होंने कही और लखनऊ में हुए गोलीकांड की बात कही। श्रीमन् इन बातों को पहले भी कहा जा चुका है उनका उत्तर भी दिया जा चुका है और मुझे विश्वास है कि यदि आवश्यकता समझी जायगी तो सरकार की ओर से मंत्रिगण इन बातों का उत्तर फिर दे देंगे, किन्तु जैसा मैंने कहा कि जिस भावना से इस बजट को देखा जाय उस भावना की ही झलक इसमें पाई जा सकती है। उसका एक प्रमाण है जो कि माननीय नेता विरोधी दल के शब्दों से स्पष्ट है। श्रीमन्, उनके शब्द हैं कि बजट की हर एक लाइन से, हर पैराग्राफ से, हर सफे से और हर आंकड़े से यही झलक आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार देश को उठाने की नहीं वरन् देश को गिराने की बात करती है। श्रीमन्, जहां तक उनकी कुछ आलोचनाओं का प्रश्न है, कुछ बातों में मैं उनसे सहमत हूं। जहां तक सरकार के कार्यों में कुछ कमी का प्रश्न है मैं बहुत जगह उनसे सहमत हूं किन्तु यह कहना कि बजट के हर एक शब्द से, हर एक लाइन से, हरएक सफे से तथा हरएक आंकड़े से यही साबित होता है कि सरकार का यह बजट इस देश को उन्नति की ओर नहीं बल्कि गिराने की ओर ले जाता है। श्रीमन, मैं इसके सिवाय और क्या कहूं कि जब वह सरकार को केवल काले रंग में पोतने के लिये ही इस बजट को देखते हैं तो अवश्य ही इस बजट में उन्हें एसी ही बातें मिलती हैं जिससे वे यह कह सकें कि यह सरकार केवल काले रंग में पोतने के लायक ही है और किसी लायक है ही नहीं। नेता विरोधी दल का दो घंटे का भाषण था, लेकिन मुझे तो सिर्फ १५ मिनट ही मिले हैं, इसलिये मैं बहुत विस्तार में तो उत्तर न दे सकूंगा। मेरा यह निवेदन है कि जहां पर उनको यह मायूसी देख पड़ती है कि सरकार की सारी योजनायें गलत हैं, कुछ मायूसी वास्तव में इस सदन के बाहर भी है, लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि सरकार की योजनायें गलत हैं, बल्कि इसलिये कि सरकार की नीति और उसकी योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभी बहुत कुछ सुधार की गुंजायश है।

श्रीमन्, हम समाजवादी योजनाओं को लेकर आगे गढ़ रहे हैं, हमारा दावा है कि हम देश को समाजवाद की ओर ले जा रहे हैं किन्तु जिसके लिये हम समाजवादी समाज की स्थापना कर रहे हैं क्या यह देहात का गरीब व्यक्ति हमारी समाजवादी योजनाओं और हमारे दावे पर विश्वास करता है, इसमें हमें बहुत शक है। इसका कारण श्रीमन्, जैसा मैंने अभी निवेदन किया यह है कि हमारी योजनाओं और हमारी नीति के नीचे जाकर कार्यान्वयन में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने उत्पादन पर जनता के

नियंत्रण की बात कही और देश की संपत्ति के बटवारे की बात कही। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बजट में उनको कोई ऐसी झलक ही नहीं मिली जिससे इसका प्रयत्न साबित होता हो। यह सही है कि सरकार को इस ओर अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है लेकिन क्या उस ओर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे देश के उत्पादन पर जनता का नियंत्रण हो और जिससे देश की संपत्ति का बटवारा हो। उन्होंने इन दोनों निराधार शिकायतों को केवल इसलिये कह दिया कि जिला खीरी में अभी तक एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी नहीं बन पाई। हो सकता है कि उसका कोई खास कारण हो, शायद वे जानते होंगे और सरकार जानती होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां खीरी में एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी नहीं बनी तो क्या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं बनी है और क्या बन नहीं रही है, मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर वे दें।

श्रीमन्, मैंने इम्प्लीमेन्टेशन की बात कही थी। मैं नेता विरोधी दल से सहमत हूं, पूर्णतया सहमत हूं कि अगर सरकार अपने इम्प्लीमेन्टेशन को ठीक कर दे, अगर सरकार अपनी उस मशीनरी को ठीक कर दे जिसके द्वारा सरकार की नीतियों तथा योजनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन नीचे जाकर होता है तो हम को बहुत कुछ लाभ हो सकता है और वह जनता जिसके उन्नति के लिये हम समाजवाद का दावा भरते हैं उसको भी कुछ विश्वास हो सकता है कि सरकार कुछ उसकी भलाई की ओर जा रही है। श्रीमन्, कहा जाता था, और बहुत हद तक सही था कि जमींदारों के जमाने में बड़ा शोषण होता था, ठीक है, होता होगा बहुत उत्तम हुआ कि उसका विनाश हो गया। किन्तु क्या उससे समाज से शोषण उठ गया? क्या किसी गरीब को वही रक्षा हासिल है या न्याय हासिल है जो कि होना चाहिये? मैं न्यायालयों की बात नहीं कहता बल्कि मैं सरकार के उन अफसरों तथा कर्मचारियों की बात कहता हूं जिनके पास गरीब जनता अपनी रक्षा और न्याय के लिये जाती है। हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है अपने उन सरकारी कर्मचारियों और अफसरों में जिनके द्वारा हमारी नीति और योजनायें देहात तक जाती हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जहां तक इन लोगों का प्रश्न है मुझे उनकी मेंटेलीटी में बहुत कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ता है। उदाहरण तो इतने होंगे कि १५ मिनट क्या १५ घंटे भी काफी नहीं हैं। लेकिन आज जब हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि देश में संकट की स्थिति आ गई है 'डू आर डाई' (Do or die) का प्रश्न आ गया है, तो मैं नहीं देखता कि कौन सरकारी कर्मचारी या अफसर डू आर डाई की भावना से काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे क्षेत्र में एक कस्बा बिस्वा है जहां केन यूनियन है। इस केन यूनियन में कोआपरेटिव नलकूप बनाये गये लेकिन आज ४ वर्ष हो गये हैं और एक भी उनमें चालू नहीं है। इसी तरह से सरकार द्वारा एक प्रयोगात्मक योजना बनी कि कुछ ग्रामों में ९०० रुपये फी कुएं की सबसीडी देकर कुंवें बनवाये जावें और वहां बनवाये जावें जहां १० कुवें बनाने के लिये लोग तैयार हों। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिये अधिकारियों को मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम नहीं मिला कि जहां वे इस योजना को चलाते। ग्राम मिला तो कौन? एक ग्राम बरगदिया जहां नहर की आबपाशी है, इस ग्राम में नहर तथा नहर के गूलों से दस-दस गज के फासले पर कुओं का निर्माण किया गया है जब कि निकट ही सैकड़ों एकड़ की आराजी एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। यह भावना डू आर डाई की भावना नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल का यह कहना कि आशा की कोई झलक ही नहीं है उचित नहीं। आशा तो रखनी ही चाहिये।

हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिये माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सरकार की योजना केवल एक तफरीह है। हो सकता है कि ओवर-पापुलेशन से नेता विरोधी दल न घबराते हों, परन्तु जो देश पूरे तौर से तो क्या अंशतः भी इंडस्ट्रियेलाइज न हो पाया हो वहां पर बढ़ती हुई जन-संख्या से सरकार ही क्या हर एक को घबराना चाहिये। एक ओर कहा जाता है कि बेकारी बढ़ रही है और दूसरी ओर कहा जाता है कि फैमिली प्लैनिंग सरकार की केवल एक तफरीह है। और मिल मालिकों को कुछ सहायता इसलिये दी जाती है कि उनके पास कांग्रेस की मदद के लिए रुपया है। आज यहां पर तो नहीं कहा गया, लेकिन हमेशा और जगहों पर यह कहा

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जाता है कि कांग्रेस सरकार मिल वालों को इसलिये सहायता देती है कि उनसे इलैक्शन के लिये पैसा लेती है। श्रीमन्, यदि उद्योगों के प्रसार के लिए उद्योग पतियों को सहायता के रूप में कर्ज न दिया जाये तथा देश को इंडस्ट्रियलाइज न किया जाय और फिर यह भी कहा जाय कि बेकारी बढ़ रही है, तो समझ में नहीं आता कि बेकारी बगैर देश को इंडस्ट्रियलाइज किये कैसे दूर हो सकती है जमीन तो अब और भार सहन कर नहीं सकती वह यह कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पर रोक लगे और पब्लिक सैक्टर को बढ़ाया जाय। हम देखते हैं कि उस ओर भी हमारी सरकार प्रगतिशील है। लेकिन जितना होना चाहिये उतना जल्दी नहीं हुआ है और न हो सकता है।

माननीय वित मंत्री ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सेवाओं के प्रसार की बात कही। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हम लोग जानते हैं और आभारी हैं कि स्वतंत्रता के बाद ३ करोड़ से अब १६ करोड़ का बजट है। हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा के प्रसार में सरकार कितनी प्रगतिशील है, लेकिन प्रश्न यह है कि १६ करोड़ रुपया खर्च करने पर भी क्या ग़रीब जनता और किसान के बच्चे उच्च शिक्षा पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी यह दुर्लभ है। मैं समझता हूं कि ये १६ करोड़ भी बेकार हैं, जबकि हमारा ग्रेजुएट कहता है कि राधाकृष्णन चीन के प्रेसीडेंट हैं।

जहां तक चिकित्सा जन-स्वास्थ्य की बात है, हम जानते हैं कि देहातों में अस्पताल खुलने जा रहे हैं और जितना हो सकता है किया जा रहा है, लेकिन फिर प्रश्न वही आता है इम्प्लीमेंटेशन का। ८ करोड़ का हमारा जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा का बजट है और सरकार चाहती है कि और आगे क़दम बढ़ाये। लेकिन हमको कभी-कभी अखबार में पढ़ने को मिलता है कि कोई ग़रीब मरीज सरकारी अस्पताल के सामने के गेट पर पड़ा-पड़ा मर गया और उसकी चिकित्सा नहीं हो सकी इसी तरह जहां तक अन्य सामाजिक सेवाओं की बात है, हमें मालूम है कि प्रसार खंडों में अभी भी ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जहां लोग तालाबों का गन्दा पानी पी रहे हैं। इसके मानी यह नहीं होते कि सरकार हरिजनों के लिये कुछ कर ही नहीं रही है या सरकार उनके लिये कुछ नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार के काफी रुपया खर्च करने पर भी अभी ऐसी जगहें हैं जहां गलत इम्पलीमेंटेशन होने से उनको उतना लाभ नहीं पहुंच पाता है जितना पहुंचना चाहिये।

सामुदायिक विकास के बारे में भी माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत कुछ कहा है। यह काम वहां के ग्राम सेवकों पर निर्भर है। दुख की बात है कि उनके रहने का भी कोई प्रबंध नहीं है। यह ठीक है कि उन्हें देहात में, अपने क्षेत्र के गांवों में, रहना चाहिये किन्तु वहीं उनके लिये कोई उचित प्रबंध तो होना चाहिये। मैंने सुना है कि बिहार में कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप भी किये गये हैं और ग्राम सेवकों को क्वार्टर्स दिये हैं। आप जानते हैं कि बी०डी०ओ० और ए० डी०ओ० के रहने के लिये ब्लाक हेडक्वार्टर पर इन्तजाम किया जाता है और उनके वेतन से १० फीसदी काट लिया जाता है। इसी तरह कोई प्रबंध ग्राम सेवकों के लिये भी हो सकता है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक में और अन्य विभागों में जो समन्वय होना चाहिये वह नहीं है। जहां तक तहसील का प्रश्न है वहां तो उल्टे ब्लाक के साथ असहयोग है। मैंने तो तहसील के कर्मचारियों को देहात के लोगों से यह कहते हुये सुना है कि अगर वे तकावी के लिये ब्लाक के द्वारा जाते हैं तो बुरा मानते हैं और देर करने की कोशिश करते हैं। खरीफ तथा रबी आन्दोलन के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि आखिर यह सामुदायिक विकास क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में दो आन्दोलन हो चुके हैं और तीसरा खरीफ आन्दोलन होने जा रहा है। मैं बड़े दुःख के साथ माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि मेरा यह अनुभव है कि इन रबी और खरीफ के आन्दोलनों में विरोधी दलों के लोगों ने तनिक भी सहयोग नहीं दिया।

अभी ग्राम सहायकों के ट्रेनिंग की बात कही गयी। ट्रेनिंग जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हो रही है, जितनी ज्यादा होनी चाहिये, नहीं हो रही है और उससे जितना लाभ होना

चाहिये, वह नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा अनुभव यह है कि जितने लोगों को ट्रेनिंग दी गयी है उनमें कुछ फीसदी ऐसे भी लोग हैं जो उस रास्ते पर चले हैं जो उत्पादन बढ़ाने के लिये लोगों को बताया गया है। मैं यह जानता हूं कि इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह भी माननीय सदस्यों का अनुभव होगा कि जिन गांवों में एक एकड़ भी रबी या खरीफ आधुनिक ढंग से बोयी गयी है और उसके नतीजे गांव वालों ने देखे हैं कि उनमें दुगना तो अवश्य ही पैदा हो गया है, तो लोगों ने उसको अपनाने का प्रयत्न किया है। पहले जब हम गांवों में जाते थे तो कोई सुनना भी पसन्द नहीं करता था कि धान की जापानी ढंग की खेती कैसी होती है। लेकिन अब जिन जगहों पर लोगों ने यह देखा कि जापानी ढंग की खेती कैसी होती है वहां लोग वैसी खेती करने के लिये तैयार हो रहे हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ा मजाक उड़ाया और कहा कि जिस तरह से इन आन्दोलनों में बताया जाता है अगर उस तरह से खेती की गयी तो बीज भी वापस नहीं आयेगा। मुझे जाती अनुभव है और इन ट्रेनिंग्ज को मैंने देखा है, कि कहीं भी किसी से यह नहीं कहा गया कि जहां सिंचाई के साधन न हों वहां भी इस खाद को डाल दिया जाय और जहां खाद नहीं डाली जानी चाहिये वहां भी खाद डाल दी जाय। हां, यह हो सकता है काश्तकार से कि यह कहा गया कि बीज के साथ खाद भी लो, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया होगा जैसे नेता विरोधीदल का कहना है कि चने के खेत में इसी प्रकार का खाद डाला जाय जिससे बीज भी वापस न हो।

श्री त्रिलोकी सिंह—यह शर्त लगायी गयी थी कि बीज के साथ खाद लेना आवश्यक होगा। यह तो बाद को गवर्नमेन्ट ने नोटीफाई किया और मेरे कहने पर नोटीफाई किया था कि खाद लेना आवश्यक न होगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—पहले जो सरक्युलर निकला वह गलत मालूम हुआ और आप के कहने पर दूसरा सर्क्यूलर निकाल दिया गया, इससे यह साबित होता है कि आप की जो बातें सुनने वाली होती हैं, वे सुनी जाती हैं, जो मानने वाली होती हैं, वे मानी जाती हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में जो-जो बातें कह कर इस सरकार का बखान किया है उसको कसने के लिये उन्होंने ही उस भाषण के शुरू में एक कसौटी दी है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें प्रोडक्शन के साधनों पर समाज का कब्जा होगा। अब हमें इसी कसौटी पर कसकर माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को देखना है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब बहुमत की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला यह बजट होगा। उन्होंने जिस बहुमत का जिक्र किया है उसमें मजदूर, किसान और मध्यवर्ग के लोग आते हैं। इन्हीं तीनों की दृष्टि से हमें इस बजट पर विचार करना है। लेकिन सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें जो कुछ बताया है इसी दृष्टि से हम उसको शून्य पाते हैं। किसानों का मसला हम सब से पहले अपने सामने रखें जो आज ७० प्रतिशत से ऊपर इस राज्य की सीमा में बसते हैं। उन ७० प्रतिशत किसानों के लिये, उनको कृषि के साधन प्रस्तुत करने में और कृषि के पैदावार की उचित कीमत दिलाने में और उनके ऊपर किसी तरफ से किसी प्रकार का दबाव न पड़े, इस तरफ सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किये गये हैं, उनको यदि इस दृष्टि से तौला जाय तो अभी कल ही प्रश्नोत्तर के समय माननीय कृषि मंत्री जो सहकारिता के भी मंत्री हैं, उन्होंने बीज के सम्बन्ध में यह बतलाया कि सरकार किसानों को शुद्ध बीज प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है इससे निराशा हाथ लगती है। आज सभी कृषि प्रधान देशों में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये बीज सब से प्रमुख साधन है जिसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से अभी कल इसी सदन में मंत्री जी ने इन्कार किया है। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार को किसानों की मदद के लिये जितना आगे जाना चाहिये, नहीं जा रही है। सरकार ने किसानों के पास जो प्राइवेट साधन थे उनका अपहरण कर लिया है। जमींदारों के बीज भंडार जो पहले हर गांव में रहते थे, जमींदारी समाप्त होने के बाद वे बीज भंडार भी खतम हो गये और उनके स्थान पर जिन बीज भंडारों की स्थापना की गयी है उनके ठीक चलाने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किया जा रहा है वह

[श्री मदन पांडेय]

लोक-कल्याणकारी राज्य के लिये नहीं, बल्कि एक विशेष वर्ग के लिये किया जा रहा है। जिसके पास काफी पहले से ही है, उसके पास और अधिक जाय, सरकार का कदम उसी तरफ अग्रसर हो रहा है।

दूसरी बात मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में अभी माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत कह दिया है। लेकिन फिर भी मैं एक दो चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। हमारे यहां सिंचाई के लिये नहरों, कुवों, ट्यूबवेल्स आदि का निर्माण किया गया है, लेकिन जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा बहुत से कुयें तथा ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो बिजली के अभाव में, इस वक्त तक सूखे पड़े हैं। ऐसे उदाहरण काफी हो सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो ग्रांट्स पर जिस समय विवाद होगा, मैं उन्हें प्रस्तुत भी करूंगा।

सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हमारे यहां नहरें सिंचाई के लिये बनी हैं। और जगह का तो मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है लेकिन पूर्वी जिलों में जो नारायणी नहर १ करोड़ रुपये की लागत से बनी है उस पर एक धोबहा नाला पड़ता है। वहां पर ११, १२ लाख रुपये की लागत से साइफन बना कर भी नदी तक पानी पहुंचाने का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिसका नतीजा यह होता है कि तीन चार हजार एकड़ की लहलहाती फसल जो नदी व नहर के बीच पड़ती है हर साल बर्बाद हो जाती है। इस तरह से किसानों को बजाय फायदा होने के उलटा नुक्सान होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों की तरक्की के लिए कोई सफल प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

इसी तरह से अखबारों में निकला है कि गंडक योजना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसके बहुत शीघ्र ही लागू होने की भी बात है, लेकिन उसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है जिससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि सिंचाई के सम्बन्ध में जितना प्रयत्न सरकार की तरफ सिंसेरिटी के साथ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

एक बात और इस सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का दाम १ रु० १२ आ० मन हो। उस सम्बन्ध में जिस बजट की मंजूरी आज हमसे मांगी जा रही है वह पुलिस के काम में खर्च करने के लिये भी है। वही पुलिस जिसने छबेला के अन्दर किसानों पर गोलियां चलायीं, जिनमें ५ आदमी मरे और कई घायल हुए। उन किसानों का कसूर यह था कि उन्होंने इस सदन की मांग को पूरा करने की मांग की कि गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० मन दी जाय। अगर सरकार की तरफ से पैदावार की उचित कीमत नहीं दी जायगी तो जो लोग अपने खेतों में मेहनत कर के पैदा करते हैं, वे अपनी उपज को कभी भी नहीं बढ़ायेंगे। सरकार इस तरह से लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की तरफ नहीं अग्रसर हो रही है।

दूसरा तबका है मजदूरों का जिसकी तरफ सरकार को अपनी नीति कार्यान्वित करने का उचित मौका मिलता है और संसार के जो और मुल्क हैं उनके सामने हम मजदूर हित में क्या करने जा रहे हैं यह सिद्ध करने का भी मौका मिलता है। इस सम्बन्ध में मुझे दुख है कि बजट भाषण के सिलसिले में जो दूसरे माननीय सदस्य उधर से नेता विरोधी दल का जवाब देने के लिये खड़े हुये हैं उन्होंने जिक्र भी नहीं किया कि मजदूरों की एक बड़ी तादाद आज कराह रही है। रामपुर में रजा तथा बुलन्द शुगर मिल के ३,५०० मजदूर इस सरकार तथा मिल मालिकों की तरफ से किये गये जुल्मों के शिकार हो रहे हैं। २ फरवरी से उन मिलों में हड़ताल चल रही है और इस सम्बन्ध में उफ तक नहीं की जा रही है। मैं तो कहता हूं कि इस बजट में जो धनराशि मांगी जा रही है वह किसान और मजदूरों के हित के लिये नहीं मांगी जा रही है बल्कि पूंजीपतियों के लिये मांगी जा रही है, किसान व मजदूरों पर गोली चलाने के लिये मांगी जा रही है। अतः यह बजट अस्वीकृत होना चाहिये।

जिस समय कोई आन्दोलन छिड़ता है तो यह सरकार कहा करती है कि इन्होंने हमसे पहले नहीं कहा और कहने के पहले ही यह आन्दोलन छेड़ दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि आज २ महीने से ऊपर हो गये यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने चीनी उद्योग के मजदूरों की तरफ से सरकार के सामने मजदूरों की मांगें रखीं और इसी १५ फरवरी से आम हड़ताल का ऐलान था जिसे वापस ले लिया गया और अब फिर सरकार से अपील की गयी है। लेकिन सरकार की मजदूर विरोधी नीति के कारण उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और फलस्वरूप उस फेडरेशन के प्रेसीडेंट प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, वाइस प्रेसीडेंट, मुकुन्दसिंह और ट्रेजरर मैं ही हूं, इन तीनों आदमियों ने सरकार की उपेक्षात्मक नीति के कारण और मजदूरों के साथ अन्याय पर अन्याय होते रहने के कारण १ मार्च से आमरण अनशन करने का निर्णय किया है। मैं सरकार से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि उक्त चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की सरकार के पास कोई मांग आई है या नहीं और अगर आई है तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

मैं इस अवसर पर अमृत पत्रिका के उन ६०० मजदूरों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बेकार पड़े हैं और जिसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार यह सिद्ध करने के लिये कि उसकी नीति मजदूर विरोधी नहीं है इस सम्बन्ध में प्रकाश डालने की कृपा करेगी।

नदियों और बांध के सम्बन्ध में भी काफी बड़ी रकम मांगी गयी है। हर जगह की तो मैं नहीं जानता लकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है गंडक नदी पर बांध बांधते समय इतनी भंयकर गलतियां की गयी हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, यद्यपि बार-बार सरकार का ध्यान उन गलतियों की तरफ दिलाया गया है। इस नदी के द्वारा रास्ता बदल जाने का खतरा रहता है और गांव के गांव डूब जाते हैं लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा इस स्कीम के लिये एक भी पैसा देना उस खतरे को और बढ़ाना है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री व सम्बन्धित मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाय। जो भैसहा गांव कटा है और धोबहा नाला कांड है उसके सम्बन्ध में सरकार प्रकाश डाले और विश्वास दिलाये कि जो पैसा मांगा जा रहा है उससे इन त्रुटियों को दूर किया जायगा।

कपड़ा उद्योग के मजदूरों की सन् १९५५ में ८० दिन की शानदार हड़ताल चली, लेकिन उनके साथ इंसाफ आज तक नहीं हुआ। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नई चीनी मिलें खोलने के लिये लाइसेन्स दिये जा रहे हैं। लाइसेन्स दिये जाने का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २५ लाख टन चीनी का हमारा लक्ष्य है उसमें से साढ़े २२ लाख टन की पैदावार तो हो चुकी है और अगर पुरानी मिलों के प्लान्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाय और मजदूरों के साथ जो अन्याय होता है उसे दूर किया जाय तो नई चीनी मिलों के खोलने से जो फारेन एक्सचेंज में रुपया जायगा वह भी बच जायगा और लक्ष्य भी पूरा होगा। वह रुपया दूसरे उपयोगी कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे, उचित तरीके से इसकी व्यवस्था करे तो उम्मीद है कि जो मौजूदा सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी का लक्ष्य है यानी २५ लाख टन चीनी प्रोड्यूस करने का, वह इससे पूरा हो जायगा।

अब मुझे एक तीसरे बड़े उद्योग के सम्बन्ध में कहना है। बीड़ी उद्योग के बारे में कई बार मैंने प्रश्नोत्तर किये। बीड़ी मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में मैंने सरकार से बार-बार अपील की कि उनका सेन्सस कराया जाना चाहिये, उनकी कंडीशंस आफ सर्विस की जांच होनी चाहिये लेकिन व्यर्थ। मैं उद्योग मन्त्री और वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनकी बहुत बड़ी तादाद है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि इस उद्योग में केवल ७२ लाख की केपिटल लगी हुई है और करीब ३७,००० मजदूर इसमें काम करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि इस उद्योग में ५०,००० से ऊपर ही मजदूर काम करते हैं क्योंकि सरकार के पास गणना उन्हीं मजदूरों के सम्बन्ध में आयी हुई थी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ५०,००० से ऊपर इन मजदूरों साथ जिस प्रकार की उपेक्षा का व्यवहार किया

[श्री मदन पांडेय]

जा रहा है उस से जो गरीबी है वह तड़प-तड़प कर कह रही है कि इस बजट के लिए एक पैसा भी मन्जूर न किया जाय। वे जिस हालत में कारखानों में काम करते हैं मैं चाहता हूं कोई भी मन्त्री एक बार मेरे साथ चल कर देखें कि वहां इन्सान के बैठने लिये व्यवस्था नहीं है। फैक्ट्री ऐक्ट से बचने के लिये एक-एक कारखाने को तोड़कर ८, ८ जगह मजदूरों को बैठाया जा रहा है। फैक्ट्री ऐक्ट को लागू करने के लिये जो इंस्पेक्टर जाते हैं उनका मालिकों से समझौता हो जाता है। वह एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था कर देते हैं लेकिन उनको उस दिन की तनख्वाह मिले या न मिले इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसलिये इस फैक्टरी ऐक्ट से मजदूरों की तकलीफ बढ़ जाती है और जिस वक्त उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे कारखाने के ऊपर फैक्ट्री ऐक्ट लागू हो रहा है तो वह डरते हैं और उससे बचने के लिये वे मालिक के साथ सहयोग करने लग जाते हैं। तो इतने मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको सरकार रोके।

चीनी मिलों के मजदूरों की ४ डिमान्ड्स हैं, मैं उन्हीं के सम्बन्ध में पुनः कहना चाहता हूं। यह सरकार कहती है हम मजदूरों के हित में जो भी समझौता कराते हैं मिल मालिकों से वह कुछ लोग नहीं होने देते। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की तरफ से जो ४ डिमान्ड्स हैं उनमें सब से पहली मांग मतगणना की है, इसका एक इतिहास है। १९५० में बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने यह स्वीकार किया था कि चीनी उद्योग में जो भी काम करने वाली फेडरेशन्स हैं उनमें से कौन अधिक प्रतिनिधि मूलक है उसकी गणना करा ली जाय। आई० एन० टी० यू० सी० और यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के बारे में गणना हुई जिसमें ७१ प्रतिशत मत तो यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मिले और २९ प्रतिशत मत मिले आई० एन० टी० यू० सी० को और इन दोनों फेडरेशन्स के बीच में यह तय हो गया था कि जो यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन है वही प्रतिनिधि मूलक है और उसी के पीछे चीनी मिल मजदूरों का बहुमत है। लेकिन होता क्या है कि सरकार आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि को ही मान्यता देती है और हर कमेटी में उसी को स्थान दिया जाता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके लिये सरकार को जितना भी कोसा जाय थोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य के २ मिनट रह गये हैं। अगर और समय की आवश्यकता है तो पहले से कह दें।

श्री मदन पांडेय--मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार मतगणना के बाद भी उससे इन्कार कर के अगर यह सरकार चाहे कि चीनी मिल मजदूरों के साथ अन्याय करती रहे तो यह नहीं होगा। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि अगर यह शुबहा हो गया है कि अब शायद आई० एन० टी० यू० सी० का बहुमत हो गया हो, तो दोबारा मत गणना करा ली जाय और जिसको अधिक मत मिलें उसे मान्यता प्रदान की जाय।

दूसरी डिमान्ड बोनस के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सन् १९५१ में एक फैसला किया था जिसके अनुसार उत्पादन के आधार पर बोनस फिक्स किया गया था। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० ने एक समझौता कर लिया और आज १०० में से ६० रुपया उनको दिलाया जा रहा है। यह एक ऐसी चीज है कि कोई मजदूर विरोधी सरकार ही कर सकती है। यह मांग चीनी मिल मजदूरों की वाजिब हैं और उनके लिये १०० के १०० की व्यवस्था होनी चाहिये।

तीसरी बात रिटेनर के सम्बन्ध में है। चूंकि चीनी मिलों की पर्याप्त संख्या बिहार में भी है, इसलिये यहां का और वहां का मामला एक ढंग पर सोचने की कोशिश होती रही है। इसी आधार पर आज आई० एन० टी० यू० सी० और मिल मालिकों के बीच एक समझौता कर के तत्सम्बन्धी यहां का जो विवाद था उसको वापस कर लिया गया क्योंकि बिहार के मजदूरों का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसी को मान लिया जाय। बिहार के मजदूर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे मानने के लिये बाध्य हैं, लेकिन इस बीच रिटेनर उनको मिलता

है। तो जिस दर से वहां मिलता है, उस समझौते को अगर आई० एन० टी० यू० सी० और सरकार यहां लागू करती है, तो यहां भी वह मिलना चाहिये था लेकिन उसके बारे में व्यवस्था नहीं की गई। आज बिहार का मजदूर रिटेनर पाता है लेकिन यहां का मजदूर नहीं पाता है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

चौथी बात इस सम्बन्ध में मुझे जो कहनी है वह है इंक्रीमेन्ट के संबंध में। अभी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ढाई रुपया और पांच रुपया बढ़ा दिया गया। इस सम्बन्ध में जितना असंतोष है वह सब को मालूम है। उस असंतोष का कारण क्या है यह भी मालूम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से लोगों की इन्कम के सम्बन्ध में प्रकाशित की गई उस में बताया गया है कि १८ परसेन्ट आमदनी बढ़ी है। १०० से ११८ हुई है। चीनी मिल के मजदूरों या सरकारी कर्मचारियों के सामने जो समस्या है वह यह है कि १८ परसेन्ट जो इन्क्रीज है वह मिल रही है या नहीं। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को ढाई रुपये और पांच रुपये दिये गये हैं और नाकाफी है उसी प्रकार चीनी मिल मजदूरों की मांग है कि २५ परसेंट इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इन सब मांगों को यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने रखा है। मैं उन मांगों को फिर दोहराता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी पर्याप्त समय है अ.र १ मार्च से पहले सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क होगी और ऐसा कदम उठायेगी जिससे इस तरह का भयानक कदम उठाने की फेडरेशन को जरूरत न हो और अनशन के आरम्भ होने पर यह न कहा जाय कि पहले उनसे कहा नहीं गया और यह बात हो गई।

*श्री कालीचरण अग्रवाल (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जो आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने आदरणीय सदन के सम्मुख जो बजट रक्खा है मैं उसका स्वागत करता हूं। स्वागत केवल इसलिये नहीं कि यह बजट सर्वांग सुन्दर है अथवा इससे कोई सुन्दर बजट दूसरा बन नहीं सकता परन्तु आदर मैं इसलिये करता हूं और स्वागत इसलिये करना चाहता हूं कि वास्तविक जो स्थिति है और जो वास्तविक प्रश्न हैं उनके अनुकूल है और जो हमारे सामने परिस्थिति है उसके अनुसार है। इससे सुन्दर बजट हो सकता है, हम बहुत सी ऐसी कल्पनायें कर सकते थे कि जिस से एक नया स्वर्ग हम अपने इस प्रदेश में बना लेते और उन स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़कर हम उस स्वर्ग को अपने प्रदेश में लाकर उतार देते। लेकिन सदन को और खास तौर से विरोधी पक्ष के साथियों को यह जान लेना चाहिये कि बजट के २ रूप होते हैं, उसका एक आय का रूप होता है और दूसरा खर्च का रूप होता है। आज जो बजट प्रस्तुत है उसमें सरकार की तरफ से कोई नया कर नहीं लगाया गया है और हमें इसी दायरे के अन्दर सोचना है कि उस के अन्दर हमने अपने एडजस्टमेंट्स किस तरह से किये हैं और किस तरह से उस को बनाया है ताकि हम सब दिशाओं में प्रगति कर सकें और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें।

मैं एक निवेदन यह भी करूंगा कि हमारे दूसरे पक्ष के भाइयों ने कहा है कि यह बजट एक प्रतिक्रियावादी बजट है, इसमें कोई प्रगति की झलक नहीं है और जनता को इस से किसी तरह की कोई प्रेरणा या स्फूर्ति प्राप्त नहीं होती है। कौन सा ऐसा सदस्य है कि जो यह नहीं चाहता कि उसका घर बहुत सुन्दर हो, कौन सा ऐसा सदस्य है जो यह नहीं चाहता कि उसके बच्चों के लिये अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध हो, कौन ऐसा सदस्य है जो यह नहीं चाहता कि उसको जीवनयापन की सभी सामग्री और सुविधा प्राप्त हों लेकिन केवल कल्पना के स्वप्न में ही रहने से किसी भी प्रकार की पूर्ति नहीं हो सकती, उसके लिये तो हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। यदि कोई सदस्य चाहता है कि उसके घर में तमाम सुविधायें प्राप्त हों तो उसको अपनी आय को भी बढ़ाने का उपाय सोचना होगा और वह तरीके सोचने होंगे कि किस तरह से हम अपनी घर की आय में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

वृद्धि करें। जबतक आय नहीं बढ़ती तब तक हम अपने उन स्वप्नों को एक वास्तविक रूप नहीं दे सकते और वह स्वप्न हमारे केवल स्वप्न ही रह जायंगे। जब हम उसी कुटुम्ब की तरह अपने प्रदेश को देखते हैं तो उसकी उन्नति और विकास के लिये जो योजनायें और बातें हमारे सामने लाई जाती हैं वे बहुत सुन्दर हैं और हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मूल प्रश्न यह है कि हम उन को कार्य रूप में कैसे परिणत कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिये।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है बताना कि कौन सी योजना चलाई जाय या कौन सी दवा दी जाय जब कि मरीज सुनने को ही तैयार नहीं है। वह मेरे साथ जेल में रहे हैं और मैंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, बहुत सी बातें उन से सीखी हैं लेकिन मैं उन से अदब से कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का या डेमोक्रेसी का मार्ग यह नहीं है। सब देशों में जहां जनतंत्र है वहां पर सरकार और विरोधी दल के बीच में एक समन्वय होता है, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल मिलकर देश के हित में कार्य करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको इस बजट की तमाम बातें बुरी लगीं, कोई बात उन को पसन्द नहीं आई जिसकी वह दाद देते। उन्होंने परिवार नियोजन पर भी कुठाराघात किया और हंस कर टाल दिया लेकिन जो विशाल समस्यायें आज हमारे सामने हैं वह हंसी मजाक और व्यंगमय तरीके से नहीं सुलझ सकतीं, वह केवल टीका टिप्पणी और भाषणों से हल नहीं हो सकतीं। हमें जो हम कहते हैं उनको वास्तविकता का रूप देना होगा और मिलकर सोचना होगा कि किस तरह से यह समस्यायें सुलझ सकती हैं। उन्होंने केवल व्यंग की बातें कहकर टाल दिया, वह मेरे गुरू रहे हैं, मुझे खेद होता है। उन्होंने बताया कि सन् ३७ में प्रोडक्शन इतना था और वह सन् ३० के मुकाबले में गिर गया, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी के कदम सन् ३७ में आये तो पैदावार गिर गई। वह सन् ४६ की बात भूल गये कि जब कपास बिल्कुल पैदा नहीं होती थी और सन् ५४–५५ में पैदावार कपास की बढ़ाई गई। सन् ३७ में तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी उसी पार्टी में थे जिसके सब्ज कदम से सारा सदन हरा हो रहा है, उसका प्रमुख कार्य था। सन् ३७ में ही नहीं, १९४२ में उन्होंने इस आदरणीय पार्टी को जो उनकी थी, उसको छोड़ा। तो सन् ३७ की आज यह बात कहना कि "सब्ज कदम" जबकि वह उस समय उसके सर्वे-सर्वा थे, यह सुन्दर और गुड टेस्ट की चीज प्रतीत नहीं होती।

आज देश के अन्दर बड़ा निर्माण का कार्य हो रहा है। आज हम भारत माता के उस विशाल मंदिर को बनाने जा रहे हैं जिसके निर्माण में हम सब को अपना सहयोग देना है। देश के अन्दर आज महायज्ञ हो रहा है जिसके अन्दर सब को अपनी आहुति देनी है। एक-एक ईंट और गारे की परात को लेकर उसमें सहयोग देना है। अगर जनता के चुने हुये प्रतिनिधि चाहे ३३ फीसदी या ६६ फीसदी हों, वह यह सोचते हैं कि हमारे बीच में एक खाई है और दोनों के पक्ष अलग-अलग हैं तो मैं समझता हूं हम एक साकार रूप उन योजनाओं को नहीं दे सकते हैं जो हिन्दुस्तान के हित में हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि वह देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश-द्रोह करते हैं। यह कड़ा शब्द जरूर प्रतीत होगा, लेकिन जहां जहां जनतंत्र की बात कही जाती है, अमेरिका की, बेल्जियम की या दुनियां के अन्य देशों की, जहां पर देश को जननी का रूप दिया गया है तो वहां पर ऐसी बातें नहीं होतीं। वहां रोज रोज कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आते। वहां बहस विचार-विमर्श के लिये की जाती है, टीका-टिप्पणी ही नहीं की जाती।

त्रिलोकीसिंह जी ने चर्चिल का जिक्र किया कि चर्चिल ने इंगलैंड को लड़ाई से बचाया। वह भूल गये कि जब वहां हाउस में वाद-विवाद हो रहा था इंगलैन्ड की वैदेशिक पालिसी का तो लेबर पार्टी की ओर से उस पर टीका-टिप्पणी की गयी। मुझे वह शब्द याद आते हैं, मैं उस समय एम० ए० में इतिहास का विद्यार्थी था। तो यह कहा गया कि

"वी वेयर आफ वाल्यूबिल विलेंस"। "विलेन" शब्द तो बहुत खराब है और पार्लियामेंटरी भी नहीं है। तो हमारे सामने यह बात भी है कि टीका-टिप्पणी से ऐसी समस्यायें हल नहीं होतीं। यह आवश्यक है कि सब उसमें मिलकर कार्य करें। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें दूसरी भावनायें भी आप देखें। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास धन की राशि थी उसके अन्दर हमने क्या किया है, इसके ऊपर आप विचार करें। हमने चतुर्मुखी योजनायें आपके सामने रखी हैं जिसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। हमने उन गरीब और दुखी सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जिनको १०० रुपये से कम मिलता है ढाई रुपये महीने बढ़ा दिया है। जिनकी तनख्वाह १०० रुपये से २०० तक थी उनका वेतन अस्थायी रूप से ५ रुपया माहवार बढ़ा दिया गया है और हमने उन कर्मचारियों को जिनको मंहगाई का भत्ता मिलता है उसको तनख्वाह में शामिल कर दिया है। स्कूलों में डिग्री कालेज तक जो स्कूल हैं उन सब का वेतन सरकार बढ़ाने जा रही है और उसके ऊपर पूरे तौर से हम लोग गौर कर रहे हैं। माननीय त्रिलोकीसिंह ने शिकायत की कि उनको यहां पर घोषित नहीं किया गया। ये ऐसी समस्यायें हैं जिन पर थोड़ा सा विचार करना है। मेरी माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बतलाया कि हमारे शिक्षा मंत्री इस ओर अपना ध्यान रखते हैं।

कहा जाता है कि यह ढाई रुपया और यह बढ़ती हुई महंगाई! यह तो बिल्कुल बेकार सी बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है! मैं आप से निवेदन करूं कि केवल ढाई रुपया बढ़ने से हमारा बजट २१८ लाख तक बढ़ जाता है। हम तो चाहते थे कि बजट के अन्दर दुगनी, तिगुनी तनख्वाह कर दें और अगर आप कहते कि चौगुनी कर दो हम भी ढपोरसंख की तरह कह सकते थे कि हम पंचगुनी कर देंगे। लेकिन हमें आर्थिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखना चाहिये, क्योंकि ढाई रुपया बढ़ाने से २१८ लाख बढ़ जाते हैं। तो १५ रुपया बढ़ा दें तो करोड़ों रुपयों तक वह संख्या पहुंच जायगी। अब प्रश्न यह है कि यदि हम टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि टैक्स बढ़ाना अच्छा नहीं है। और आपको जनता को भड़काने के लिये अच्छा मौका मिल जाता है। आज लोग स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। लोग कहा करते थे कि जनता टैक्स के बोझ से मरी जा रही है और यह भी चाहते हैं कि नई नई योजनायें चालू की जायं तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

हमारी मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस तरह से समुद्र को सुखाने के लिये सूर्य सुखाता है, उसके पश्चात् वह भाप बनकर उठता है और बादल बन जाता है, जो पानी लिया जाता है वह फिर वर्षा के रूप में वापस दे दिया जाता है, उससे अच्छी खेती होती है, अच्छी फसल होती है, उसी तरह से हम जो जनता से टैक्स लेते हैं उसको दूसरे रूप में जनता को ही अदा कर देते हैं। यही सिद्धांत होना चाहिये। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कहा है कि हमारी योजनायें जिनको हम चलाना चाहते हैं वह जनता को समृद्धिशाली बनाने वाली हैं। दूसरा पहलू यह है कि जो हमारी आय वसूल होती है वह हमारी समृद्धि और गरीबी की द्योतक है। अगर जनता हमें कर दे सकती है तो उससे जनता को अवश्य लाभ होगा।

मैं निवेदन करूं कि हमने औद्योगीकरण की बात को माना है। इसके लिये हमने यह किया है कि जो बिक्री-कर है उससे हमने इंडस्ट्रीज को मुक्त कर दिया है। इसके अलावा हमने प्रांतीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल बोर्ड की भी स्थापना की है जिससे हमें बड़ा लाभ होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रांत कृषि प्रधान प्रांत है। हमारे यहां के ७२ फीसदी लोग खेती पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और यहां पर ९० लाख परिवार किसानों के रहते हैं। यदि तमाम भूमि को देखा जाय तो कुल ५ करोड़ ७ लाख एकड़ भूमि है जिसमें बंजर, नदी आदि भी शामिल हैं। यदि अपने यहां जमीन का

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

बटवारा किया जाय तो मुश्किल से एक परिवार के पास पौने छः एकड़ जमीन आती है जिसमें नदी, बंजर आदि सभी शामिल हैं। यदि बंजर और बेकार भूमि को छोड़ दिया जाय और ऐसे काश्तकार जो भूमिहीन हैं उनको शामिल कर लें तो केवल ४ एकड़ जमीन मिल सकेगी। एक परिवार को अगर हम ५ आदमियों का मान लें और फिर बटवारा किया जाय तो मुश्किल से एक के हिस्से में ४-५ बीघे जमीन आती है।

हमने नागपुर सेशन में सीलिंग को निश्चित किया है। हमारे समाजवादी भाई जो नारा लगाते थे उसको हमने माना है। केवल फर्क इतना है कि जिस बात का वह नारा लगाते हैं हम उसको उचित समय पर कार्य रूप में परिणत करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने श्रम से, अपने त्याग से, अपने पसीने की कमाई से देश को ऊंचा उठायें और समृद्धिशाली बनायें।

जमीन की समस्या उस समय तक हल नहीं होगी जब तक कि हम तीन बातों को पूरा न कर सकेंगे। उस समय तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक हम इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी बढ़ती हुई आबादी को कम करना होगा। अभी जूनियन हक्सले ने कहा है कि इस देश की आबादी ४५ साल में दुगनी हो जायगी। उस समय आपकी यह सब योजनायें बेकार हो जायंगी। त्रिलोकीसिंह जी भले ही इसका मखौल उड़ा लें। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात यह कि हमने समाज कल्याण राज्य के लिये इस बजट में क्या किया है? जो कुछ हमने इस संबंध में किया है वह भी बड़ा भारी है। आपने कबाल टाउन्स में अस्पतालों की योजना रखी है, सरोजिनी नायडू अस्पताल में केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें पचास बेड्स देना चाहते हैं। आपने एक लाख रुपये का अनुदान तय किया है। ४ हजार रुपये जेलों में म्युजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देने के लिये रखा गया है ताकि कैदी अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सकें। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए १,४२५ नये स्कूल खोले जा रहे हैं। २३० फीमेल क्वार्टर्स बनवाये जा रहे हैं जिनके लिये आज किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। ३० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के अन्तर्गत होंगे, खोले जा रहे हैं। ७ टी० बी० क्लीनिक्स की व्यवस्था की जा रही है। कुष्ठ रोग के लिये क्लीनिक खोलने के लिये एक लाख रुपया रखा जा रहा है।

खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने ५ हजार टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कपास का उत्पादन बढ़ा कर एक लाख गांठ और तिलहन का उत्पादन ८६,८४,००० टन करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये खली तथा खादों के अतिरिक्त ५५.१९ लाख मन उन्नत बीज तथा २,५६,००० टन उर्वरक बांटे जायेंगे। आइये, हम और आप सब मिलकर जिस समाजवाद की कल्पना हमने की है, जिसको अवाड़ी प्रस्ताव में पास किया और जिसका अंतिम स्वरूप नागपुर के अधिवेशन में निर्धारित किया, जिसके लिये आप बड़ी डींग मारा करते थे, हम सब मिल कर उसकी पूर्ति करें। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं। हम और आप मिलकर इस देश के अन्दर एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था कायम करें जहां पर कोई ऊंचा-नीचा न हो जहां पर हर एक आदमी सीना तान कर चल सके और हर आदमी सुखी हो। जब हम अपने लक्ष्य की पूर्ति इस प्रकार कर सकेंगे तो एक समय वह भी आ सकता है जब कि देवता लोग भी यही कहेंगे "गायन्ति देवाःकिल गीतिकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे" वही देवता हमारे देश की ओर आंखें लगा कर देखा करते थे और वही भगवान हमारे देश में जन्म लिया करते थे। आज संस्कृति और धर्म की दुहाई देने वाले नेताओं से मेरा निवेदन है कि उनको वास्तव में धर्म की ऐसी स्थापना करनी चाहिये। जयहिंद।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट को पेश करते हुये माननीय वित्त मंत्री ने १२१ करोड़ रुपये की मांग की है। गत वर्ष खर्चे की मांग ११२ करोड़ थी। इससे पहले माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने १९४६ का हवाला दिया जबकि यह मांग २९ करोड़ की थी और सन् १९३७ के बारे में जबकि कांग्रेस का सबसे पहले मंत्रिमंडल बना उसका मैं स्वयं हवाला दे सकता हूं। तब यह मांग १२ करोड़ थी। ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया त्यों त्यों खर्च की मांग बढ़ती चली गयी। आज इस बढ़ती हुई मांग को देखकर हमें कुछ दुख होता है। यदि इस बजट में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने की किसी भी योजना का समावेश किया गया होता तो हम इतने बढ़े हुये खर्चे को भी जनता की पीठ पर लादने के लिये तैयार हो जाते कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की भावना प्रदर्शित करते हुये और समाजवादी समाज की व्यवस्था करने की आकांक्षा रखते हुये भी वित्त मंत्री इस बजट में कोई भी योजना ऐसी नहीं दे रहे हैं जिसके द्वारा समाज में फैली हुई बुराइयों को रोकने का किंचित मात्र प्रयत्न करने की आशा भी दिखलाई देती हो। यह खर्चा नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। जनता खर्चे के बोझ से दबती चली जा रही है। महंगाई से, भष्टाचार से जनता की कमर टूट रही है और आये दिन इस खर्चे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुण कपि रूप दिखावा"। इस बजट के खर्चे की मांग उसी रूप से बढ़ती चली जा रही है; आये दिन सरकार का मुंह फैलता जाता है और बजट की मांग उसी रूप से बढ़ती चली जा रही है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इसमें कौन सुरसा है और कौन हनुमान ?

श्री देवनारायण भारतीय---यह अब आप अनुमान लगा लीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---कवि का अनुमान तो मैं लगा रहा हूं।

श्री देवनारायण भारतीय---कुछ अपनी बुद्धि भी खर्च कीजिये कि कौन सुरसा है और कौन हनुमान।

तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कि खर्चे का बजट जनता के ऊपर लादा जा रहा है। यदि इसमें कोई भी जन-कल्याण की योजनायें होतीं तो हम इस खर्चे को बरदाश्त करने के लिये तैयार होते लेकिन आज उसी पुरानी लकीर को पीटना जिस आधार पर पुराने बजट हमारे सामने प्रस्तुत किये जाते रहे हैं अंग्रेजी शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल के बाद भी उसी आधार पर यह प्रस्तुत बजट भी आज हमारे सामने उपस्थित है और उसमें एक बढ़े हुए खर्चे की मांग हमारे सामने रखी गयी है। अगर इस बजट में आदमनी में से कुछ बचा करके जनहित के कार्यों के लिये खर्च बढ़ाया गया होता तब भी हमारे लिये कुछ सुभीते की बात होती कि हम उस खर्च को स्वीकार करें लेकिन हम तो देखते हैं कि कोई भी औचित्य ऐसा हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस बजट को पेश करते हुए सदन के सामने पेश नहीं किया कि हम इस खर्चे को स्वीकार करें।

मुझसे पहले बोलते हुए माननीय अग्रवाल जी ने सरकारी पक्ष में एक दलील दी कि इस बजट का समर्थन करना चाहिये क्योंकि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अग्रवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को भूल गये कि आज से २ महीने पहले कोर्ट फीस ऐक्ट और स्टाम्प ऐक्ट द्वारा जनता पर लाखों और करोड़ों रुपये का टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। यदि वे माननीय वित्त मंत्री जी की चतुराई पर बधाई देते तब तो मैं कोई आक्षेप नहीं करता परन्तु इस बजट के लिये माननीय वित्त मन्त्री जी को कोई नया टैक्स न लगाने के लिये बधाई दी जावे तो मैं उनको इसका पात्र नहीं समझता।

माननीय वित्त मन्त्री ने खाद्य समस्या का कोई भी हल इस बजट में नहीं निकाला। आज जबकि प्रान्त में १ सेर ४ छटांक और ६ छटांक अनाज बिक रहा है और १ सेर से कम की दालें बिक रही हैं ऐसे समय में इस बजट को पेश करना मैं जनता के साथ खिलवाड़ करना समझता हूं। आज जो भी बजट पेश होता उसमें इस बात का खयाल होना चाहिये था कि खाद्य समस्या की पूर्ति

[श्री देवनारायण भारतीय]

कैसे हो । आज महंगाई के कारण खाली पेट रह करके हम में से लाखों और करोड़ों हमारे प्रान्त की जनता भूखे सो जाया करती है उसके पेट भरने का भी कोई उपाय इस बजट में है ? माननीय वित्त मन्त्री जी ने इसका कोई भी सुझाव अपने बजट में पेश नहीं किया है । मैं तो श्रीमन्, इस खाद्य समस्या को आजकल की सबसे बड़ी समस्या समझता हूं । मैंने जो कुछ भी इतिहास पढ़ा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि विश्व के इतिहास में किसी भी समय में और किसी भी देश में अन्न की महंगाई उस सीमा पर नहीं पहुंची जैसी कि आज हमारे प्रान्त में है । क्या यह मंत्री जी के लिये कोई गर्व करने की बात है ? हम समझते हैं कि जो महंगाई आज है वह हमारे देश में जब अकाल घोषित हुआ तब भी वह महंगाई नहीं रही । हमारे देश में क्रान्ति हुई, अराजकता हुई । हमारे देश में युद्ध हुआ, जिसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं, १८५७ का, उस समय भी हमारे देश के अन्दर अन्न का भाव बहुत ऊंचा था जिसके मुकाबिले में आजकल के भाव देखकर हमको कपकपी आती है । इसे जाने दीजिये, मैं अपने जीवन काल की बात कहता हूं कि मेरी ६० वर्ष की अवस्था है । मैंने अपने जीवन काल में एक रुपये का ३२ सेर गेहूं बिकते देखा है । मैंने श्रीमन्, एक रुपये में एक मन के ऊपर दाल बिकते देखी है और आज जब मैं देखता हूं कि सवा सेर का अन्न बिकता है और १ सेर से कम दाल बिक रही है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज हमारी जनता जीवित कैसे है ! सन् १८७७ ई० के अकाल में अन्न का भाव ५ सेर से नीचे नहीं गिरा था जब कि अकाल घोषित हुआ था और लाखों प्राणी भूखों मर गये थे । आज कैसे हमारे प्रान्त की जनता जीवित है यह बड़े आश्चर्य की बात है ! उस खाद्य समस्या के साथ मखौल करना हमारी सरकार के लिये उचित नहीं है । अंग्रेजी सरकार ने खाद्य समस्या के साथ बंगाल में मखौल किया था और हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस खाद्य समस्या के साथ मखौल करने का परिणाम यह हुआ कि सन् १९४७ में अंग्रेजों को भारतवर्ष छोड़ना पड़ा। आज खाद्य समस्या का कोई उचित हल न निकालकर हमारी वर्तमान सरकार आगे अपने लिये उसी मार्ग का अवलम्बन तो करने के लिये नहीं जा रही है ? मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि राजकीय अधिकारों की प्राप्ति के लिये जो क्रान्ति होती है वह दबाई जा सकती है, लेकिन भुखमरी और खाद्य समस्या के कारण जो क्रान्ति होती है उसको गोलियों से, लाठियों से और पुलिस से दबाया नहीं जा सकता है । इसलिये अभी मौका है और मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि वह इस खाद्य समस्या को वार फुटिंग पर एक आन्तरिक युद्ध की चेतावनी समझे । एक आक्रमण तो बाहर से होता है जिसके लिये हमारी सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकार चिन्ता करती है, वह उसकी जिम्मेदारी है लेकिन एक युद्ध पेट के अन्दर उठने वाली ज्वाला का होता है जो आज घर-घर, नगर-नगर, ग्राम-ग्राम और हमारे प्रान्त के कोने-कोने में छिड़ा हुआ है । यदि इस युद्ध को शान्त करने के लिये सरकार ने इस खाद्य समस्या को हल नहीं किया तो मैं समझता हूं कि वह ज्वाला इतनी प्रज्वलित होगी कि यह सरकार तो क्या इससे बड़ी-बड़ी सरकारें उसमें भस्म हो जायंगी ।

मैं आपके द्वारा श्रीमन्, योजना की बात भी कुछ कहना चाहता हूं । हमारी दूसरी योजना के भी प्रायः तीन वर्ष बीत चुके हैं । इन दोनों योजनाओं में हम कहां तक आगे बढ़े और कहां तक हमने अपनी खाद्य समस्या को हल किया, यह प्रयत्क्ष बात है जिस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । अंग्रेज जब १९४७ में भारतवर्ष से गये थे तब ४ सेर का गेहूं बिकता था । अरबों रुपया इन योजनाओं पर खर्च किया गया । मैं पूछ सकता हूं कि वह ४ सेर का गेहूं, जो अंग्रेज छोड़कर गये थे कहां गया ? इन दो योजनाओं के समाप्त होने पर और अरबों रुपया खर्च करने पर भी आज हमारे यहां १ सेर ४ छटांक और १ सेर ६ छटांक का गेहूं बिक रहा है । क्या यही इन योजनाओं की सफलता है ? हमारे देश में अरबों रुपया खर्च करते हुये और दो योजनाओं के पूरा होने के बाद भी महंगाई इतनी बढ़ गई कि देश में भूखे मरने की नौबत आ गई है । मैं समझता हूं कि हमारी योजनायें बिल्कुल असफल रही हैं । हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये कि योजनायें हमारी ऐसी बने जिनसे हमारे यहां अन्न के भाव सस्ते हों, महंगाई कम हो, भुखमरी कम हो, हमारी बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो तब तो हम समझेंगे कि

इन योजनाओं से हमारे देश के लिये कुछ अच्छा परिणाम हुआ लेकिन यदि योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद हमारे देश में भुखमरी और महंगाई इतनी ही तेजी से बढ़ती जाये, जैसी कि बढ़ रही है, तो मैं समझूंगा कि वे योजनायें हमारे देश के लिये कल्याणकारी साबित नहीं हुईं। हमारी सरकार को इसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। माननीय खाद्य मंत्री ने कल परसों प्रश्नों का उत्तर देते हुये और खाद्य समस्या की आलोचना का उत्तर देते हुये इस सदन में अपनी असमर्थता प्रकट की कि "हमने जो कुछ किया वह हम कर चुके, इससे अधिक इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।" खाद्य मंत्री का उपरोक्त कथन प्रकट करता है कि वे अंधेरे में चल रहे हैं और सरकार के पास इस समस्या को हल करने की कोई योजना नहीं है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, थोड़ा समय मुझे और देने की कृपा करें। तो मैं यह कह रहा था कि सरकार की असमर्थता इस बात को प्रकट करती है कि कोई ठोस कदम उनके पास नहीं है जिसे उठाकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। उन्होंने सस्ते गल्ले की साढ़े ४ हजार दूकानें प्रान्त में खोल रखी हैं लेकिन महंगाई को नहीं रोक सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार घाटा उठा कर के विदेशों से अन्न मंगाकर इतनी दुकानें तो खोल सकती है और उनकी आंखों के सामने यहां का जो वाणिज्य समाज है, व्यापारी समाज है वह सस्ते गल्ले की दूकानें होते हुये भी तेजी के भाव पर गल्ला बेंच रहा है और उसके लिये हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं इसको समझ नहीं पाता कि यह क्या बिडम्बना है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमारे देश के व्यापारियों से कोई भीतरी समझौता किये है जिसको वह जनता के सामने लाना नहीं चाहती अथवा वह क्यों अपने को कमजोर समझती है और क्यों व्यापारियों को मजबूर नहीं करती कि व्यापारी समाज भी खाद्यान्नों को सस्ते भाव पर बेंचे। इसके लिये हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने अनेकों बार सुझाव दिया कि आज सरकार निश्चय कर दे कि फसल पर जिस भाव पर अन्न बिकेगा—फसल पर किसान अन्न बेंचने के लिये मजबूर होता है और ११ महीने वह किसान कन्ज्यूमर बनता है और उन्हीं व्यापारियों से खरीदता है—उस पर एक आना फी सेर का मुनाफा व्यापारी ले सकता है और बाकी ११ महीने अन्न को उसी भाव पर व्यापारी बेचे और अधिक मुनाफा न ले तो मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या का कुछ हल हो सकता है। लेकिन ऐसा न करके सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा करोड़ों रुपया घाटा उठाती है जिससे जनता का भला भी नहीं होता बल्कि इन दूकानों से गल्ला ब्लैकमार्केट से निकल कर फिर जाकर उसी तेजी के भाव पर उन्हीं व्यापारियों की दूकानों पर बिकता है। यह मेरा अनुभव है इसलिये मैं समझता हूं कि इस समस्या का हल सस्ते गल्ले की दूकानों से नहीं होगा और मैं इसका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो राजकीय व्यापार की योजना चलाई उसके बारे में मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं और आज भी दोहराता हूं कि यह राजकीय व्यापार की योजना भी सफल नहीं होगी। यह योजना मार्केटिंग विभाग के द्वारा चलाई जा रही है इसमें भ्रष्टाचार का जितना बोलबाला है, इससे राजकीय व्यापार तो उतना चल नहीं रहा जितनी महंगाई बढ़ रही है और ब्लैक मार्केटिंग और भ्रष्टाचार बराबर तरक्की कर रहा है। मेरा अनुभव है कि प्रत्येक नगर से दूसरे नगर में बराबर गल्ला चोरी से जाता है और उसके द्वारा मार्केटिंग विभाग के कर्मचारी रिश्वत ले लेते हैं और आज वे गल्ले की महंगाई बढ़ाने का एक साधन बन रहे हैं।

अन्त में मैं थोड़े से सुझाव देकर अपना कथन समाप्त कर दूंगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह महंगाई को रोकने के लिये मैंने जो भाव के नियंत्रण की बात कही उस पर अमल करे और वह निश्चित कर दे कि फसल पर खरीदे हुए अन्न पर एक आना सेर से ज्यादा मुनाफा कोई भी व्यापारी वर्ष में नहीं ले सकेगा। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य का संतुलन भी होना चाहिये। अगर आप किसानों के अन्न को तो सस्ता कर दें लेकिन जिन चीजों को वह खरीदता है उनके भाव को तेज रहने दें तो किसान को घाटा हो जायेगा।

[श्री देवनारायण भारतीय]

इसलिये जहां एक ओर अन्न की महंगाई को दूर करने का प्रयत्न करें वहां दूसरी ओर जिन वस्तुओं को किसान खरीदता है उनका भाव भी उसी के अनुसार घटाने का प्रयत्न करें और कारखाने की बनी हुई वस्तुओं का मूल्य भी लागत से डेढ़ा से ऊपर न बढ़ने दें। यह सोशलिस्ट पार्टी की नीति है और इसको अगर सरकार माने तो इसके द्वारा खाद्य समस्या का हल हो सकता है।

मैं यह एक सुझाव और दूंगा कि कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई की दर को इतना कम कर दिया जाय कि प्रत्येक किसान सिंचाई कर सके। पहले तो सिंचाई के साधन ही बहुत कम हैं और जितने साधन हैं भी उनकी दर महंगी होने के कारण किसान उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिये मैं विनय करूंगा कि इस खाद्य समस्या के हल के लिये सिंचाई की दरों को कम कर दिया जाय। अन्त में मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो भी कानून बनाये, जो बजट बनाये उसमें ८० परसेन्ट जो किसान हैं, जो खेती के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं उनके सुख और सुविधा का ध्यान रखे तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। जनता की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा किये बिना आज का बजट सफल नहीं हो सकता है, और न जनता उसका समर्थन ही कर सकती है। जब तक उसका समर्थन जनता द्वारा प्राप्त नहीं होता तब तक विरोधीदल और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी उसका समर्थन नहीं कर सकती, उससे समर्थन पाना असंभव है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिलोकीसिंह जी के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उन्होंने अपने बजट भाषण में आज कुछ कान्क्रीट प्रपोजल्स रखे हैं। लेकिन उन्होंने जो निराशा की भावना का प्रदर्शन किया उसको मैं नहीं समझ पाया। हुजूरवाला, आप अगर कोई बात कहेंगे तो हम क्यों न सुनेंगे—

जज्बये इश्क सलामत है तो इंशाअल्ला,
कच्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बंधे।

अगर आप देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर सुझाव देंगे तो इधर के बैठने वाले भला उन सुझावों को क्यों मंजूर न करेंगे बल्कि वे तो उनको प्राप्त करने के लिये आपकी खुशामद करेंगे ताकि आपसे ऐसे सुझाव मिल सकें। आधुनिक डेमोक्रेसी में विरोधीदल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और विरोधीदल एक अंकुश की तरह से काम करता है। लेकिन वह अंकुश उस वक्त लगाया जाना चाहिये जब कि सरकार रास्ते से अलग जा रही हो। लेकिन अगर वह सही रास्ते पर जा रही हो तब भी उसको अंकुश केवल तंग करने के लिये लगाया जाय तो इस अंकुश का नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिये अगर विरोधीदल इस भावना से प्रेरित होकर कांन्क्रीट प्रपोजल रखे, सजेशन्स दे तो वह देश की भलाई में उतना ही सहायक हो सकता है जितना कि कोई और। फिर उसका प्रपोजल मानने में भी किसी को देर नहीं लग सकती।

श्रीमन्, कहा जाता है कि झूठे तीन तरह के होते हैं। एक लायर, दूसरा डैम लायर और तीसरा स्टैटीशियन। लायर को पकड़ा जा सकता है, डैम लायर को पकड़ा जा सकता है, लेकिन स्टेटीशियन को नहीं पकड़ा जा सकता। किसी का कम्पेरीजन करने के लिये यह मुनासिब होता है और उसका यह प्रिन्सिपल भी है कि जब दो चीजों को कम्पेयर किया जाय तो उनका बेस रिड्यूस कर लिया जाय यानी उनका बेस ईक्वल कर लिया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक कम्पेरीजन ठीक नहीं हो सकता। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कनाडा की मिसाल दी कि वहां का खेती का प्रोडक्शन पर एकड़ बहुत ज्यादा बढ़ा है और हिन्दोस्तान में बहुत कम बढ़ा है। मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि कनाडा की जमीन नयी जमीन थी। यह सब जानते हैं कि नयी जमीन पहले-पहल जब तोड़ी जाती है तो उससे कुछ सालों तक रिटर्न अच्छा मिलता है। हिन्दुस्तान की जमीन पुरानी है जिस पर हजारों वर्षों से खेती हो रही है, उस जमीन से उस तरह का रिटर्न पाने की उम्मीद हम नहीं कर सकते।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि माननीय सज्जन जो बोल रहे हैं वे 'मैं' और 'कि' तो हिन्दी में कह रहे हैं और बाकी सब अंग्रेजी में कहते हैं। क्या वे अंग्रेज हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हिन्दोस्तान की जमीन से हम उस तरह बहुत ज्यादा रिटर्न पाने की आशा नहीं कर सकते। इसलिये कनाडा से हिन्दोस्तान की तुलना नहीं की जा सकती। जब इस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गयी है और उसको बढ़ाने के लिये सरकार कहती है कि खाद की जरूरत है तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी कहते हैं कि उस खाद से खेत बेकार हो जायंगे। श्रीमन्, देशी खाद जितनी होगी उतनी ही तो दी जायगी और दी जाती है। यह सही है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से गोबर को जलाया जाता है जिसके लिये और मुल्क वाले कहते हैं कि हिन्दोस्तान के लोग नोटों को जलाते हैं। माननीय त्रिलोकीसिंह का सुझाव बिल्कुल सही है कि सरकार को चाहिये कि गोबर जला कर जो लोग ईंधन की जगह उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको रोकने की कोशिश करे तो खाद की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। लेकिन फिर भी काफी जमीन ऐसी रह जायगी जिनमें बगैर विलायती खाद, अमोनियम सल्फेट वगैरह डाले हुए जमीन की उपज शक्ति नहीं बढ़ेगी।

तो सवाल आज यह पैदा होता है कि आज की जो बर्निंग टापिक है उस खाद्य समस्या को कैसे हल किया जाय, इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये जरूरी है कि हम कुछ विभागों का आपस में सहयोग करें। कृषि, कोआपरेटिव, इर्रीगेशन और बिजली---जब तक इस चार विभागों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम इस फूड प्रोबलम को हल नहीं कर सकते हैं। यह सही है कि मुल्क में बड़ी-बड़ी योजनायें सिंचाई की बनायी गयी हैं और बनायी जा रही हैं लेकिन साथ ही साथ छोटी योजनाओं के लिये भी इस बजट में प्रोविजन है, वे भी बनायी जा रही हैं। तो छोटी योजनायें और बड़ी योजनायें साथ-साथ नहीं चल सकेंगी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि छोटी योजनाओं को चलाने के लिये बड़ी योजनायें बन्द कर दी जायं, लेकिन कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें सबका सहयोग न हो। हमारे यहां आगरा जिले की बाह तहसील में करीब ६० ट्यूबवेल्स बने लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं पहुंच पायी। बिजली के बगैर वे नहीं चल सकते हैं तो फिर इन दोनों डिपार्टमेंट्स का जब तक आपस में समन्वय नहीं होगा कृषि की योजना सफल नहीं हो सकेगी। आगरे की बिजली कम्पनी का क्या हाल है। वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये पुकार है कि पावर मिले। सरकार भी चाहती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। हर आदमी चाहता है कि वह छोटा हो या बड़ा, कोई ऐसा नहीं है जो न चाहता हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न हो, लेकिन आज आगरे की बिजली कम्पनी एक यूनिट बिजली भी देने के लिये तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार उसके लिये क्या कदम उठाने जा रही है। अगर हमको खाद्य समस्या को हल करना है तो यह इतनी जबरदस्त समस्या है कि उसके हल करने के लिये चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स के खर्च में कमी करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़े, तो खाद्य समस्या अवश्य हल हो जायगी और तभी दूसरी समस्याओं की तरफ हम अपना ध्यान लगा सकते हैं।

अभी नागपुर कांग्रेस ने खाद्य समस्या को हल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है, जमींन के बारे में, को आपरेटिव फार्मिग के बारे में और स्टेट ट्रेडिंग के बारे में। कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का एक प्रस्ताव देश के सामने रखा था लेकिन उसकी कोई रूपरेखा नहीं रखी थी। आज नागपुर कांग्रेस ने कम से कम एक नक्शा तो मुल्क के सामने रखा कि समाजवादी ढांचा यह होगा। कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये हम अपनी खाद्य समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं।

एक सदस्य---कोआपरेटिव फार्मिंग का नक्शा क्या है, उसे जरा माननीय सदस्य समझा दें।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि सदन का डिकोरम है कि बगैर स्पीकर की परमिशन के उनको नहीं बोलना चाहिये । कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये सरकार को अपनी लैंड पालिसी बदलनी पड़ेगी । यह नहीं हो सकता कि बड़ी यूनिट भी हो और छोटी यूनिट भी हो । सेवा ग्राम का सन्त विनोबा चिल्ला रहा है कि जमीन की मिल्कियत नहीं चल सकती । जब तक जमीन की मिल्कियत खतम नहीं होगी तब तक कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं होगी । सन्त विनोबा की यह आवाज है और कोआपरेटिव फार्मिंग को सफल कराने के लिये भी यह लाजमी है कि हम अपने नजरिये को बदलें और एक ऐसी लैंड पालिसी अख्तियार करें जिसमें कि जमीन का मालिक कोई न हो । जमीन हो सारे देश की और उस पैदावार का मालिक वह हो जो काम करे तब कोआपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है । सीलिंग से कोई समस्या हल नहीं होने की । लैंड की सीलिंग मुकर्रर कर दी ५० एकड़, ३० एकड़ । एक आदमी लैंडलेस है, वह फार्मिग करता है । उसको अपने लेबर के हिसाब से मजदूरी मिल जायगी लेकिन वह आदमी जिसके पास जमीन ज्यादा है वह ज्यादा पायेगा । तो कोई इंसेटिव नहीं हो सकता कि वह कोआपरेटिव फार्मिग में काम करे । हमको सोचना होगा कि कैसी व्यवस्था हम कायम करें लैंड रिफार्म के सम्बन्ध में जिससे प्रोडक्शन बढ़े ।

श्रीमान्, केवल खेती से मुल्क का भला हो जायगा हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है । खेती से अन्न पैदा होगा लेकिन खेती करने वालों के लिये इतनी जमीन नहीं है कि केवल खेती से वे गुजारा कर लें । इस मुल्क में इस किस्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिससे किसान को उसके घर पर मजदूरी मिल सके । अगर यह आशा की जाय कि किसान शहरों में जा कर मिलों में मजदूरी भी करें और वक्त पर आकर अपनी फसल को उगावे, तो यह मुमकिन नहीं है । अगर वेस्टर्न टाइप पर हम अपने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते हैं तो मेरी नाकिस राय में वह कामयाब नहीं हो सकती । यहां तो हम काटेज इंडस्ट्रीज के जरिये से, गांवों में बिजली पहुंचा कर, काश्तकारों की अर्निंग केपेसिटी बढ़ा कर अपने देश का उत्थान कर सकते हैं ।

इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में जो इंडस्ट्रीज मेन पावर से नहीं चल सकती हैं उनको जरूर मशीनों से चलाया जाय लेकिन जो हाथ से चल सकती हैं जिनमें किसानों को उनके घर मजदूरी मिल सकती है उनके काटेज इंडस्ट्रीज को जरूर मुल्क में प्रोत्साहन दिया जाय ।

जब आदमी के पास खाना हो तब सवाल पैदा होता है उसकी सुरक्षा का । लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनसे ला ऐण्ड आर्डर की पोजीसन कुछ अच्छी नहीं मालूम होती हैं । क्राइम्स की पुलिस रिपोर्टों की संख्या २४,२२२ है और इनमें जितने मुकदमों की पुलिस तफतीश करती है उनमें ८,३६४ मुकदमों का चालान होता है और ५,०८५ मुकदमों में सजा होती है । नतीजा यह हुआ कि २१ प्रतिशत हीनस क्राइम्स के अभियुक्तों को सजा मिलती है । यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं है । इसके लिये इम्प्रूवमेंट करना होगा इंवेस्टिगेशन और प्रासिक्यूशन एजंसीयों में और जरूरत पड़ेगी तो कानून को भी बदलना पड़ेगा ताकि इतने आदमी न छूट सकें ।

इस सम्बन्ध में मैं आगरा जिले की अवस्था का भी जिक्र करूंगा, इसको मैं भूल नहीं सकता । अभी पिछले महीने में २ गांवों से २–२ लड़कों को डाकू उड़ा ले गये और १ गांव में ४ आदमियों को गोली से मारा गया लेकिन वहां की हालत आज तक ठीक नहीं है । वहां के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट से बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि धौलपुर का इलाका जो आगरे से लगता है वह राजस्थान में है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते । मैं कहता हूं कि आज कोई ब्रिटिश सरकार की हुकूमत तो है नहीं । हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से प्रार्थना कर सकते हैं कि धौलपुर के एरिया में जो राजस्थान में पड़ता है हमको ज्वाइंट कमांड मुकर्रर करने की इजाजत दे ताकि डाकुओं को पकड़ा जा सके । मध्य प्रदेश की सरकार सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के जरिये से अपने यहां के जंगलों को साफ कर रही है । माननीय मंत्री भी गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोशिश करके सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन

के जरिये अपने यहां के जंगलों को साफ करा सकते हैं। इससे दो प्राबलम्स हल हो जायंगे। एक तो वहां काश्तकारी के लिये जमीन मिल जायगी, दूसरे डकैतों का जो डर है वह कम हो जायगा।

श्रीमन्, ला ऐंड आर्डर के साथ-साथ मनुष्य की चिकित्सा का भी सवाल पैदा होता है। चिकित्सा में मुझे खुशी है कि यह जो बहुत पुरानी मांग थी कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय। इस साल सरकार ने बन्द कर दी। लेकिन जो तनख्वाहें डाक्टरों की रखी गई हैं वे इतनी कम हैं कि उन पर अच्छे आदमी मेडिकल कालेजेज में नहीं मिल सकते जिससे मेडिकल ऐजुकेशन को हानि पहुंच सकती है। मेडिकल कालेज के प्रोफेसर की तनख्वाह १,००० रु० से १,४०० रु० और २५० रु० नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स रखी गयी है जब कि आई० ए० एस० की तनख्वाह ८५० रु० से २,२५० रु० तक है। तो जरूरत इस बात की है कि इन डाक्टरों की तनख्वाहें जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की मनाही होगी अच्छी रखी जायं जिससे अच्छे आदमी आ सकें।

जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ताल्लुक है उसमें प्राइवेट सेक्टर को तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये लेकिन पब्लिक सेक्टर में कोई विशेष काम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में खासतौर पर आगरा डिवीजन में नहीं किया गया। फीरोजाबाद कांच के लिये मशहूर है। जरूरत इस बात की थी कि वहां पर पब्लिक सेक्टर में ग्लास शीट्स की इंडस्ट्री कायम की जाय तो अच्छा हो। मैं समझता हूं आइन्दा जब कभी इंडस्ट्रीज के ऐलोकेशन का सवाल पैदा होगा तो इस ओर ध्यान दिया जायगा। कहा जाता है कि फारेन ऐक्सचेंज नहीं मिलता है इसलिये मशीनरीज नहीं मिल पाती हैं। मैं समझता हूं हमारा केस सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने डिफाल्ट से जाता है। वहां हमारा कोई केस प्लीड करने वाला नहीं है। और स्टेट्स को करोड़ों रुपयों का फौरन ऐक्सचेंज मिल जाता है लेकिन हमको नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री, जो हमारे प्रदेश के एम० पीज० हैं उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे और मुझे खुशी है कि इस दिशा में उन्होंने कदम उठाया है और एक मीटिंग भी काल की है।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष में नया कर नहीं बढ़ाया है और मैं आशा करता हूं कि जो बजट पेश किया है उसको सदन स्वीकार करेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, अपने वयोवृद्ध अनुभवी श्वेत केशी, विधि मर्मज्ञ वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर मुहम्मद तुगलक की प्रवृत्ति को स्वीकार किया है उसके लिये आपके द्वारा उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है—"हमारे अन्तिम लक्षण के बारे में शक की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन अगर कोई थी तो वह अब नागपुर के हाल के कांग्रेस सेशन के फैसलों के कारण पूरी तौर से दूर हो गयी होगी"। अब ठिकाने आ रहे हैं। मुहम्मद तुगलक ने भी ऐसा ही किया था।

एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। रोमन लेटर्स के छापने के लिये पाश्चात्य देशों ने टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किया और अपने अक्षरों के समान ही मशीनें बनायीं। लेकिन यहां चूंकि मशीन में अक्षर फिट नहीं होते इसलिये अक्षरों को ही तोड़ दिया। हिन्दी के अक्षरों को इसलिये बदल दिया कि टाइपराइटर की मशीन में फिट नहीं होते। पाश्चात्य देशों ने मशीन को बनाया था अक्षरों के लिये यहां मशीन के लिये अक्षर बनाये और जब किताबों में गड़बड़ होने लगी तो उन्हें वापस कर लिया। मुहम्मद तुगलक ने राजधानी बदली थी उससे केवल वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव पड़ा था इन्होंने अक्षरों को बदला जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पर प्रभाव पड़ा। यदि कहीं बदले हुए अक्षर ही रहे होते तो प्राचीन पुस्तकें समाप्त हो जातीं, भूत पर प्रभाव पड़ता। वर्तमान और भविष्य पर था ही। और सुनिये मुहम्मद तुगलकी इस शासन की तीसरी कड़ी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत कानून में ऐसा है कि धोबी के गदहे पर टैक्स लगता है। अगर कोई

[श्री राजेन्द्र सिंह]

धोबी गांव में रहता है तो उसे पंचायत टैक्स गदहे पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही धोबी शहर में आकर बस जाय तो टैक्स से बरी हो जायेगा। देहात के गदहे पर टैक्स, शहर के गदहे पर टैक्स माफ। और सुनिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा शासन, यह कांग्रेस सरकार संयुक्त परिवार की प्रथा को समाप्त करने जा रही है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन सम्पूर्ण गांव की प्रथा को लागू करने जा रही है। कहते हैं कि साथ-साथ परिवार में रहने से जो एक ही व्यक्ति के संबंधी हैं, किसी व्यवसाय को पूर्णरूपेण नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांव भर की खेती मान्य है। परिवार की खेती मान्य नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ठीक नहीं जंचता लेकिन सम्पूर्ण गांव की खेती ठीक जंचती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहावत है कि साझे की खिचड़ी को कुत्ते नहीं खाते। लेकिन आप खाने को तैयार हैं। मेरा मतलब यह है कि सहकारी खेती को मान रहे हैं। मैं अभी तो मुहम्मद तुगलकी शासन के कुछ उदाहरण बतला रहा था। माननीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि आबादी अधिवेशन की गल्तियों को उन्होंने अभयंकर नगर-जिसको मैं भयंकर नगर ही कहता हूं--में स्वीकार कर लिया है। उसमें विशेष दो बातें हैं।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल पीठासीन हुए।)

एक तो यह कि सहकारी खेती की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ का स्पष्ट मत है कि सहकारी खेती इस देश में असफल होगी। अब आप जरा ध्यान दीजिये जब चकबन्दी हो रही है और किसान को एक खेत बदल कर दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उस वक्त उस किसान को कष्ट होता है। लेकिन जब किसान समझेगा कि उसका खेत समाप्त करके सरकार ले रहा है तो मैं नहीं समझता कि क्रान्ति नहीं होगी। शासन की दलील है कि इस तरह से बड़े किसान पनप रहे हैं। पहले शासन ने जमींदारी और किसानों में फर्क किया और अब बड़े और छोटे किसानों में फर्क करना चाहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क करने के लिये कोई सीमा नहीं है शासन पर। इसलिये सीलिंग करके रेखा बना रहे हैं और सीलिंग के अन्दर जो नहीं आयेंगे अब की तीसरे अभयंकर नगर में जाकर समाप्त कर देंगे। इस तरह से सरकारी फार्म खोलकर किसानों की सारी जमीनें अपने मातहत लेने के लिये और वोट प्राप्त करने के लिये, अपनी पीठ को कुर्सी से चिपकाये रखने के लिये यह योजना बन रही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो स्वीकारोक्ति की है उसी के संबंध में मैं सहकारी खेती के विषय में कुछ और सजेशंस रखना चाहता हूं कि अन्नाभाव को दूर करने के लिये, खाद्य समस्या को समाप्त करने के लिये एक यह साल्यूशन है कि जिस समय फसल तैयार होती है उस समय सरकार किसानों को ऐसी सुविधाएं पैदा कर दे कि किसान विवश होकर सस्ते दामों पर अपना गल्ला न बेचे। इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार उन्हें उन आवश्यक वस्तुओं को कर्ज पर दे जिनके खरीदने के लिये वह अपना गल्ला बेचना चाहते हैं, और यदि वह कपड़ा, नमक, तेल आदि का प्रबन्ध कर दें तो किसान विवश होकर अपना गल्ला नहीं बेचेगा। इस तरह से सस्ता गल्ला बाजार में जायगा और किसी तरह से भी महंगा नहीं होगा।

दूसरा उपाय जो किसान के पास है जिस के द्वारा वह अपना गल्ला रोक सकता है वह है कि उसे कुटीर उद्योग से कुछ धनोपार्जन कराया जाय। वह हो जाय तो सैकड़ों किसानों की आर्थिक अवस्था सुधर सकती है और किसान इस अवस्था में हो सकता है कि वह फसल के पहले या बाद में अपना गल्ला व्यापारियों को न बेचे। यह बिलकुल निश्चय है और मैं जानता हूं कि हमारे कुछ साथी जो शासन दल में हैं वह इसे पसन्द नहीं करते हैं। हमारा

इतिहास बतलाता है कि अकबर के समय में टोडरमल ने भूमि सुधार किये थे और उसके बाद वैसे सुधार आज तक नहीं हो सके और यदि हुये भी तो वह सुधार ऐसे नहीं थे कि जिनको सुधार कहा जा सके । हां, लगान वसूली के सुधार बराबर होते रहे । इस शासन में मैं कह सकता हूं कि बड़े सुन्दर सुधार हुये लेकिन यह सुधार करने वाले कांग्रेस में रहने के लिये विवश हैं हालांकि उनकी बातें वहां मानी नहीं जाती । मैं अभी से घोषणा किये देता हूं और भविष्य बतायेगा कि यही चीज अन्त में कांग्रेस की समाप्ति का कारण होगी जिसे कोआपरेटिव फार्मिग कहते हैं । एक दिन यह बात प्रकट हो जायगी कि यहां कोआपरेटिव फार्मिग इसी तरह से सफल नहीं रहा जिस तरह से रूस आदि देशों में या चीन में रहा । युगोस्लाविया का उदाहरण वह देते हैं कि वहां पर वह चल रहा है लेकिन वहां पर भी उससे १५–२० प्रतिशत पैदावार कम हो गई । सहकारी फार्मिंग के लिये कहा जाता है कि हो सकता है कि शासन को सहकारी फार्म से कोई लाभ न हो और उसमें उतना ही खर्च हो जाय लेकिन गल्ला अधिक पैदा होगा । अबतक आंकड़ें ऐसा बतलाते हैं कि जब इन्टेन्सिव फार्मिग होगा और खेत काश्तकार को दिया जाता है तो गल्ला अधिक पैदा होता है और सहकारी खेती में गल्ले की पैदावार पर-एकड़ गिर जाती है । कहा जाता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते लेकिन हमारा तो यह विश्वास है कि यदि इस सदन के ४३१ सदस्य को व्हिप से प्रभावित न किया जाय और गुप्त मतदान कराया जाय और सदस्यों से कहा जाय कि वे अपना स्वतंत्र मत इस विषय में दें तो वही मतदान इस सदन के सदस्यों की सही राय का इजहार होगा । यदि हमारे यहां और किसी दल में व्हिपिंग इस पर न हो और मतदान हो तो निश्चय ही यह मत प्रकट होगा कि हम सहकारी कृषि नहीं चाहते ।

इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात अभयंकरनगर से आई वह गल्ले में राज्य व्यापार की योजना थी । मैं भारतीय जनसंघ का सदस्य होने के कारण उसका इसलिए विरोध करता हूं कि सरकार व्यक्तिवाद को समाप्त करने के साथ ही साथ सामाजिक योजनाओं को भी समाप्त कर रही हैं, इससे दोनों तरफ हानि होगी, यह तो एक दुधारी तलवार होगी । उससे आज जो हमारे छोटे-छोटे गांव के व्यापारी हैं जो ऊंट आदि पर लाद कर अपना गल्ला बाजार को ले जाते हैं वे सब बेकार हो जायंगे, काफी तोला और पल्लेदार वगैरा बे-रोजगार हो जायंगे और इस तरह से बेकारी को प्रोत्साहन मिलेगा । अधिष्ठाता महोदय, हमें कन्ट्रोल के दिन याद हैं और राशन की दुकानों की हालत मालूम है, उस वक्त गल्ले में कंकर-पत्थर, मिट्टी मिलाई जाती थी, उसी तरह से अगर यह राज्य व्यापार की योजनायें चलीं तो किसी को शुद्ध अनाज नहीं मिल पायेगा । अकसर हमें यह देखने और सुनने में आता है कि सरकार के गोदामों में सहस्रों मन गल्ला सड़ जाता है । अल्मोड़ा में सड़ा हुआ गल्ला ही बेचा गया था । तो जब सारे राज्य में शासन के अधीन ही यह योजना होगी तब स्वाभाविक है गल्ले के सड़ने की स्कीमें आया करेंगी और जहां पर नहीं आयेंगी वहां गल्ले को चुराकर बेचने के बाद कागज पर सड़ने की योजना लिखी जाया करेगी और इसके साथ ही साथ जब लाइसेंसिंग पद्धति इस राज्य में हो जायगी, गल्ले का व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिये जाया करेंगे तो भाई-भतीजावाद जो इस समय प्रबल है वह उस समय अधिक प्रबल हो जायगा । इन दोनों नीतियों का भारतीय जनसंघ विरोध करता है और उसका स्पष्ट सुझाव है कि दूसरे इन लक्ष्यों को मार्ग से पूरा किया जा सकता है और वह मार्ग है कुटीरोद्योगों का प्रसारण ।

अब मैं आपके सामने नगर और देहात की बात रखता हूं । लगभग ७५ प्रतिशत धन देहात से आता है शासन की व्यवस्था के लिए, लेकिन उसका ९०–९५ प्रतिशत शहरों पर व्यय होता है । लखनऊ की एक नयी सड़क हर साल बढ़ जाती है, बिजली के खम्भे बढ़ जाते हैं, लेकिन देहातों में कोई कार्य नहीं होता । वहां की सड़कों के लिए पैसा नहीं है, यही हम लोग कहा करते हैं । नगर और देहात में भयंकर अन्तर बढ़ता जा रहा है । मैं जानता हूं कि, हमारे मंत्रिगण इस ओर ध्यान दे रहे

[श्री राजेन्द्र सिंह]

होंगे, उनकी ऐसी नीयत नहीं है कि देहात की ओर ध्यान न दिया जाय, लेकिन उनके बजट जो बनकर आते हैं उनसे कोई ऐसा सुझाव प्रकट नहीं होता कि नगर की तरफ कम और देहात की ओर अधिक ध्यान दिया गया हो। एक बात अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बतायी थी कि शहर और देहात के गधों में सरकार कितना अन्तर करती है। वह विनोद की बात थी, लेकिन इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि हम लोग देहात के क्षेत्र की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। पढ़ने की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां भी यहीं हैं, देहात में नहीं। आप कहेंगे कि वहां साधन नहीं, लेकिन जयपुर राज्य का ऐसा उदाहरण है कि देहात में भी यूनिवर्सिटियां कायम हो सकती हैं।

एक सदस्य---यह पता नहीं लगा कि वह गधा मुहम्मद तुगलक के जमाने में था या टोडरमल के जमाने में और शहरी था या देहाती ?

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये, आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---आप समझा दीजिये कि जरा पढ़ा करें। न पढ़ते हों तो मेरे कमरे में आ कर पढ़ लें। मैं यह .....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो रहा है। क्या आप और बोलना चाहेंगे ?

श्री राजेंद्रसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि धोबी और कुम्हार दोनों के गधों में शहरों और देहातों में कितना अन्तर है। मैं समझता हूं सभी मंत्री चश्मा लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न लगाता हो। क्षमा कीजियेगा, आप भी लगाते हैं। समय समाप्त हो गया, वरना मैं बतलाता कि इस लिये गधों में अन्तर दिखाई देता है।

श्री कैलाशकुमारसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सन् १९५९-६० के नवीन वर्ष के बजट का हृदय से स्वागत करता हूं स्वागत इसलिए नहीं कि बजट इससे अच्छा और नहीं बन सकता था या और कोई नक्शा पेश नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिये कि जो हालात हमारे सामने थे या जिन हालात में हो कर हमें गुजरना पड़ रहा है, उनको देखते हुए जितने भी ठीक प्रकार से खर्चे हो सकते थे, इस समाज के बहुत से तत्वों को निगाह में रखते हुए उन सभी के निराकरण के लिये जो भी सुविधाएं हम अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार प्रदान कर सकते थे, उनके अनुसार हमने इसमें चेष्टा की है कि हम प्रदान करें।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, बड़े पुराने इस क्षेत्र के योद्धा हैं, उन्होंने ऐसे तर्क प्रस्तुत किये कि जो स्टेटिस्टिक्स से ही काटे जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। मैं उन सब बातों को सही मानते हुए भी जो उन्होंने कहीं फिर भी मैं अपना निवेदन समस्त विरोधी दलों से यह करूंगा कि आज जो हमारे सामने संकट है, जो खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हुई हैं और जो भी हालात हमें मजबूर कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको कहने का मौका मिलता है। उन सब हालत को एक्सप्लोइट (Exploit) करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस सदन के माननीय सदस्य होने के नाते, इस देश की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारी इन योजनाओं में सहयोग दें और उन्हें सफल बनाने की चेष्टा करें, जो किसी विशेष दल की ओर से नहीं बनाई गई हैं बल्कि सभी दलों की राय लेकर, विचार करके यह योजनायें देश में लागू की गई हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि पिछले वर्षों के हालात को देखते हुए हमने जितनी भी चेष्टा इस देश में डेवलपमेंट तथा उन्नति की की उतनी ही विरोधी दलों के सभी सदस्यों ने, जो विरोध करते हैं, उन्होंने बराबर यही चेष्टा की कि देश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे यह योजनायें सफल न हो सकें और हम अपने पथ से विचलित हो जायं। लेकिन इनके बावजूद यथेष्ट परिश्रम से और जिस प्रकार से भी हम इसको चला सकें हमने चलाया और इन योजनाओं को लागू करने में हमने पूरा श्रम किया।

ऐसी हालत में जहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात है, जहां तक समाज के प्रत्येक अंग को बढ़ावा देने की बात है, जहां आमदनी का ऐसा दायरा है कि कोई तो बहुत ही गरीब है और कोई बहुत अमीर है ऐसी दशा में ऐसे देश की आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी ढांचे पर लाने में बीसियों वर्ष लगते हैं और जो पद्धति हमने जनतंत्र की अपनाई है उससे और भी ज्यादा समय लगने की आशा है। हमारे सामने रूस और चीन की मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने भी इतने वर्षों के पश्चात समाजवादी विचारधारा को लागू कर पाया है।

हमारे सामने और भी मुश्किल है और वह यह है कि हमारे संविधान ने सबको हक दिया है कि अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें और सबके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं। ऐसी हालत में देश की योजनाओं को चलाना और लोगों के विचारों को परिवर्तित करना मामूली काम नहीं है। इसके लिये हमें अधिक समय लगेगा। अभी तो शुरुआत ही है लेकिन नेक है, अच्छी है और हमें संतोष है कि बिना खून बहाये हम एक क्रान्ति लाये हैं और उसमें से गुजर रहे हैं। इनको देखते हुए यदि हम हालात एक दम बदल दें तो यह देश के लिये हितकर नहीं होगा। ऐसी हालत में आर्थिक ढांचे को यदि एक दम दूसरा रूप दे दिया जाय तो या तो हम तरक्की के रास्ते पर चल सकते हैं वरना दूसरा रास्ता तनज्जुली का होता है जिससे हम गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिये इन दोनों पहलुओं को सोचते हुए जो हम धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे हैं वह सराहनीय है और इस बजट के द्वारा यह दिखलाया गया है कि हमने समाजवादी समाज की ओर जो कदम उठाने की चेष्टा की है उसमें हम बहुत कुछ कामयाब भी हुए हैं। इस बजट के द्वारा हमको साफ मालूम होता है कि हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। जो कम तनख्वाह पाने वाले थे, जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता था उनकी तनख्वाह बढ़ाने की हमने चेष्टा की है। अध्यापकों का ग्रेड बढ़ा रहे हैं। गल्ले पर से टैक्स हटाया है। उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये बिजली पर से ड्युटी हटायी है। इसके अतिक्ति माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि वेश्यावृत्ति खत्म कर दी लेकिन उनके लिये welfare homes नहीं खोले गये। उनके लिये भी जो व्यवस्था कर सकते थे, वेलफेयर होम्स खोलने की व्यवस्था भी की गयी है।

तीसरी चीज मैं यह रखना चाहता हूं कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो जिस देश का संचालन डेमोक्रेटिक तरीके पर हो उस देश में आवश्यक है कि वहां के निवासी अपने कर्त्तव्यों पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि मुल्क की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि जो तरीका हमारा विचार करने का था, जो स्वप्न हमने जनता को दिखाया, उन सब से कर्त्तव्यों के बजाय अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया गया। यही कारण है कि आज देश के हर कोने और वर्ग से हमारे सामने अधिकारों की मांग आती है। उनको पूरा करने के लिये थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में अपने बजट में स्थान दे कर उनको संतुष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

माननीय भारतीय जी ने कहा कि १९३६ से मांगें बढ़ती चली जा रही हैं इस सरकार की। एक तरफ वह कहते हैं कि सरकार की मांगें बढ़ती चली जा रही हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की तरफ से मांग होती है कि इसको छोड़ दिया, यह नहीं किया, वह नहीं किया। यह तो (self-contradictory) सेल्फ कंट्रेडिक्टरी बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या नक्शा है जिसमें मांगों को भी पूरा कर दें और खर्चा भी न बढ़ने पाये।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खत्म होने से इस वर्ष का श्री गणेश हुआ है। यह सभी को विदित है कि हमारे जिला बोर्डों की जो हालत थी उसको देखते हुए हमारे यहां बहुत समय से यह मांग रही है कि जिला बोर्ड के स्थान पर कोई दूसरा संगठन बनाया जाय। हमारे यहां नियोजन समितियां जिलों में थीं वे डेवलपमेंट का काम कर रही थीं। तो एक तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे और दूसरी तरफ नियोजन समिति रहे, असंगत सा था। दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कूलों के अध्यापकों की हालत खराब थी, उनका इन्तजाम अव्यवस्थित था। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि नियोजित विकास के लिये इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक कर दिया जाय और अंतरिम जिला परिषद

[श्री कैलाशकुमार सिंह]

की रचना की जाय। उसमें मेरे खयाल से सभी का मत था कि जिला मैजिस्ट्रेटों को इसमें क्यों प्रधान बनाया जा रहा है इसके अतिरिक्त और कोई मतभेद नहीं था। जिला परिषद् विधेयक आने वाला है और उसके द्वारा जिला परिषदों की स्थापना हो जायेगी। आज ही प्रश्नोत्तर के समय में यह चीज आपके सम्मुख आयी। इसके अतिरिक्त विरोधी दल के नेता ने पुलिस और सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार आदि, जो भी बातें वह कह सकते थे उन्होंने कहीं। कहा कि पुलिस के जुल्म अन्धाधुन्ध हैं। शासन में पुलिस की भी जिम्मेदारियां हैं। पुलिस में कोई बाहर के आदमी नहीं हैं। हमारे अपने भाईबन्द ही उस विभाग में हैं। अगर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने या उनको कभी कोई सख्ती करनी पड़ती है और अगर उसके लिये यह कहा जाय तो यह उनके मोरेल (moral) को गिराने के सिवा और कोई बात नहीं है।

गल्ले की कीमतों के बढ़ने के विषय में बहुत सी बातें कही गयीं और उसके उपाय भी बतलाये गये। लेकिन उसके एक पहलू पर किसी भाई ने प्रकाश नहीं डाला और वह यह है कि गल्ले की कीमतें बावजूद इसके कि इसकी बराबर कोशिश रही है कि कीमतों पर हम किसी तरह से काबू करें लेकिन वह नहीं हो पाया। इसी सदन में खाद्य समस्या के बारे में डिबेट हुई। उसमें यह चीज साफ जाहिर थी, कि प्रदेश में गल्ले की खपत १० छटांक प्रति व्यक्ति के हिसाब से थी और आमदनी गल्ले की ८ छटांक के हिसाब से थी और २ छटांक के हिसाब से फर्क पड़ता था और उस हिसाब से करीब साढ़े १३ लाख टन गल्ले की कमी हमारे प्रदेश में थी। उसको देखते हुये हमारी सरकार ने इस प्रदेश में काफी मात्रा में गल्ले का आयात किया और इस कमी को पूरा किया। इस बात को देखते हुए यह कहना कि गल्ले की यहां पर कमी रही है बिलकुल गलत है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि ९८ लाख टन गल्ले की यहां पर पैदाइश है और अगर १० प्रतिशत और बढ़ जाय तो हमारे यहां कमी रहने की संभावना नहीं है बल्कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट करने लायक हो जायंगे। लेकिन जब हमारे यहां गल्ला काफी था तो क्यों भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हमारे समाज के कुछ विशेष तत्व जिम्मेदार भी हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं और जो इस सरकार के चलते हुए काम में रोड़ा अटकाना चाहते हैं और जो हमारी नीतियां हैं, जिनको हम आगे लागू करना चाहते हैं उनमें रोड़ा अटकाने के लिये फर्जी भावों को बढ़ा कर के जनता का खून चूसने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका भी उपाय शीघ्रातिशीघ्र होने वाला है और उस ओर संभवतः मेरे सभी साथी, क्या विरोधी दल के और क्या मेरे पक्ष के सभी लोग मेरे मत से सहमत होंगे कि इन भावों पर काबू पाने के लिये कोई न कोई क्रियात्मक कदम उठाया जाय चाहे उसकी कोई भी रूप रेखा हो।

अब मैं यह कहूंगा कि इस बजट में और क्या है। इस बजट में आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि शिक्षा जो कि समाज कल्याण का कार्य है उस पर खर्चा बराबर बढ़ा है। सन् १९५६ में २५ करोड़ था, सन् १९५७ में २७ करोड़ हुआ और सन् १९५८ में ३० करोड़ रुपये का बजट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च बराबर बढ़ रहा है। टीचर्स के ग्रेड्स भी रिवाइज किये जा रहे हैं। हमारे यहां सिंचाई का क्षेत्र भी बराबर बढ़ता चला गया है। इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि कृषि की उन्नति के लिये डेढ़ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। इससे हम खेती के क्षेत्र में भी और उन्नति कर सकेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे कुछ बातें दुःख के साथ कहनी पड़ती हैं कि हमारे इन सब परिश्रमों के बावजूद यहां प्रदेश में खाद्य का उत्पादन दिन पर दिन गिरता चला गया। कहा गया है कि बहुत सी योजनाओं को लागू किया और उत्पादन गिरता चला जा रहा है। वह किसी हद तक सही कहा जा सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों मे योजनायें लागू है वहां पर आप देखें तो मालूम होगा कि उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है और बराबर हमारी चेष्टा यही रही है कि हम हर क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित हैं उसमें अधिक से अधिक सहायता करें। खेती में, सिंचाई में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ावें, लेकिन हमने फिर भी यह महसूस किया कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि प्रकृति ने हमारी मदद नहीं की और हमारे यहां सैलाब, सूखा और बाढ़ आते चले गये जिसके कारण

हमको आज यह दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं और १ सेर ४ छटांक का गेहूं हमारे प्रदेश में बिक रहा है। आशा है कि धीरे धीरे यह दिन भी दूर हो जायेंगे।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सालेरवां के बजट पर अपन खयालात जाहिर करने से पेशतर मैं यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस बजट का वास्ता है मैं इस बजट के लिये बधाई दे नहीं सकता, इस वजह से नहीं कि मैं विरोधी दल का सदस्य हूं बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें जो बजट में होनी चाहिये थी उससे बजट मुस्तसना है। मुझसे पहले नेता विरोधी दल निहायत मुदल्लल तकरीर कर चुके हैं और उन्होंने बहुत अमराज बताये हैं और कुछ इलाज भी उसके बताते हैं। मैं आपके जारिये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे गोविन्दसहाय जी कहा करते हैं कि मर्ज तो बतलाये जाते हैं लेकिन उनका कोई इलाज नहीं बताया जाता और उनके लिये कोई सजेशन नहीं होता। नेता विरोधी दल ने उनके सामने बहुत से सजेशन रखे हैं। मगर यह मालूम नहीं है कि वे आपको कबूल हैं या नहीं। ऐसे बजट के ऊपर तकरीर करते वक्त हमको यह सोचना है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, जिसने हमारे सामने अपना आईना पेश किया है उसमें सरकार की शक्ल को देखें और यह भी उसके साथ साथ देखें कि कहां तक वेलफेयर स्टेट जिसका ख्वाब हमने देखा है, यह उसकी तस्वीर पूरा करने में मदद करता है या नहीं।

जहां तक बजट स्पीच का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने इसका शुरू से आखिर तक मुताला किया। जब मैंने इसको देखा तो जहां तक वर्डिंग का ताल्लुक है उसमें बहुत अच्छे लच्छेदार अल्फाज रखे गये हैं, उसका नक्शा भी अच्छा है और उसकी इबारत भी अच्छी है और कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या इस इबारत से और इन अल्फाज की बन्दिश से जो हमारे देश में खामियां हैं, वह दूर हो रही हैं? मैं आपकी तवज्जेह जस्टिस की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस वक्त हमारे सैयद साहब यहां पर तशरीफ नहीं रखते हैं। उनका वास्ता इस महकमे से चाहे न हो, लेकिन वह इसमें खास जानकारी और दिलचस्पी रखते हैं। सभी सदस्य जानते हैं कि आज जस्टिस में बहुत ताखीर होती है। मैं भी अपना कुछ इसके मुताल्लिक तजुर्बा रखता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि आज लाखों केसेज हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े हुये हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे हैं कि जो ३ साल, ४ साल और ५ साल पुराने हैं। कांग्रेसी प्रस्ताव में भी कहा गया था कि हम जुडिशियल और एक्जिक्यूटिव को अलग अलग करेंगे। बहुत सी दफा इस हाउस में भी कहा गया है। मैं उस बारे में इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले जमाने में जो वांन्चू कमेटी बैठी थी उस की सिफारिशों को भी नहीं माना गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने जनता से वायदे किये थे उनको उसने पूरा नहीं किया। मैं इस वक्त आपके बजट को कांग्रेसी दृष्टिकोण से ही देखना चाहता हूं। जो कांग्रेस का नजरिया था उस नजरिये से इसको देखता हूं तो जो कांग्रेस ने जनता से वायदे किये थे कि इस देश में न्याय को सस्ता किया जायगा और उसमें ज्यादा देर न हो तो इस सरकार ने उसमें क्या किया है? यह बड़े अफसोस की बात है कि इस सरकार ने आज जस्टिस को आमदनी का जरिया बना रखा है। लगभग जस्टिस महकमे से ३ १/२ करोड़ रुपये की आमदनी इस सरकार को होती है लेकिन उसके साथ साथ उसमें सरकार को तकरीबन खर्चा १ करोड़ ५ लाख करना पड़ता है। अगर सरकार इस सीगे को सस्ता और जल्दी फैसले करने का बनायेगी तो जनता को राहत मिलेगी। नौशेरवां बादशाह का नाम आज रुएजमीं पर इस वजह से है कि उसने अपनी प्रजा के लिये इन्साफ किया था:

जिन्दा अस्त नाम फर्रूखे नौशेरवां बअद,
गर्चे बसे गुजश्त कि नौशेरवां न मान्द।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव राज बहादुर]

हालांकि बहुत से बादशाह इस रुयेजमीं पर आये और चले गये, लेकिन उसका नाम आज भी जिन्दा है। जिस देश में जस्टिस की इतनी कमी हो उसका क्या कहना ! उसके बारे में क्या कहा जाय ? मैंने पहले अर्ज किया था कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना कोई मेरा मकसद नहीं है बल्कि मैं चाहता हूं कि जो भी क्रिटिसिज्म हो वह तामीरी हो। आप अपने को आज देखें। आज अगर ५०० रुपये की जमानत भी हो तो वह तफ्तीश और तस्दीक के लो जाती है और उसमें ३ महीने लग जाते हैं और वहां पर जो खर्चा करना पड़ता है, जो परेशानियां होती हैं उनका मैं यहां पर जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता।

भ्रष्टाचार के लिये जब हाउस में तजवीज की जाती है तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। आज हर आदमी को परेशानी हो रही है, कहते हैं कि हमको बड़ी परेशानी है, भ्रष्टाचार की बात कहते कहते हम थक जाते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार है तो कहना पड़ता है कि ५०० रुपये की जमानत के लिये जब जस्टिस का यह आलम है तो फिर मालूम नहीं इस देश में क्या होने वाला है।

जस्टिस के प्वाइंट को और ज्यादा प्रेस न करके सिर्फ एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। आज देश में बहुत से आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स रखे गये हैं। वे क्या काम करते हैं ? वे वही काम करते हैं जो स्टाइपेन्डरी मैजिस्ट्रेट करते हैं। कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, उनको फर्स्ट क्लास की पावर्स भी हैं। उनके पास काग्निजेबिल आफेन्सेज भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है। उनकी काबिलियत का मयार क्या है, वे क्या पास हैं, यह एक नागुफ्तनी चीज है। इससे आज सब लोग वाफिक हैं। मैं इसकी तरफ सिर्फ थोड़ा सा इशारा करता हूं जिससे इस हाउस की तवज्जेह मुरत्तब हो जाय। आज शासन का क्या हाल है ? एफ० आई० आर० का क्या आलम है ? काग्निजेबिल आफेन्सेज में क्या लिखा जाता है ? नेता विरोधी दल ने फर्माया था कि पंचायत में एफ० आई० आर० लिखे जाने चाहिये, चाहे वहां लिखे जायं या दूसरी जगह लिखे जायं यह दूसरी बात है क्योंकि मौजूदा तरीके को बदलने में कुछ देर जरूर लगेगी। लेकिन मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि क्या थाने में एफ० आई० आर० सही दर्ज की जाती है ? मैं अपने जिले बरेली का जिक्र नहीं करना चाहता सिर्फ मिसाल के लिये कहना चाहता हूं कि मेरे जिले बरेली में एक डकैती पड़ी थी उसमें पुलिस के लोग भी नामजद थे। तो जो लोग कि शासन का इन्तजाम करने वाले हैं जिनके हाथ में हुकूमत है वे ही अगर लगजिश करेंगे तो फिर क्या आलम होगा। जहां पर ऐसा आलम हो उसके बारे में क्या कहा जाय। हिन्दुस्तान वह देश था जहां चरवाहे विक्रमाजीत के सिंहासन पर बैठ जाया करते थे और इन्साफ करते थे। आज यहां बड़े-बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन चूंकि इरादे में जरा सी कमी है इसलिये इन्साफ में कमी हो जाती है। राशन की हमने बहुत सी दूकानें शहरों में १५० रुपये तक की आमदनी वालों के लिये खोली हैं जिन्हें २ सेर १० छटांक का गल्ला मौसूल होता है, मगर यह कहां का न्याय है कि १५१ रुपये माहवार की आमदनी वाले को १ सेर ६ छटांक का खरीदना पड़ता है ? अगर इसमें मेरी गल्ती हो तो मैं चाहूंगा कि उसमें दुरुस्ती कर दें।

इधर सरकार ने हाउसिंग स्कीम बनाई है जो शहरों के लिये है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस स्कीम के मातहत कर्जा आप एम० एल० ए० साहेब के साहेबजादों को देंगे या जिनके कांग्रेस से ताल्लुकात हैं उनको देंगे या गरीबों को देंगे। इसके माने यह नहीं कि कोई काम ही न करे, लेकिन जिसके हाथ में हुकूमत हो उसे सोचना चाहिये कि वह क्या करने जा रहा है। इस वैलफेयर स्टेट में जिसमें आप रामराज्य बनाने की गुफ्तगू करते हैं क्या आपने देहात में मकान बनाने के लिये कोई रकम कर्जा देने के लिये रखी है ?

हमारे यहां रेलों में और बाजारों वगैरह में भीख मांगने का रिवाज बहुत ज्यादा है। बन्दानवाज, क्या एशिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क में ऐसा है कि लोग भीख मांगते हों ?

हमारे यहां पढ़े-लिखे लोग, बूढ़े-बच्चे और नौजवान सभी भीख मांगते देखे गये हैं। हो सकता है कि मंत्री जी रेल के डिब्बे में सफर करते हों उसमें वे नहीं पहुंच पाते हों, लेकिन आम तौर से ऐसा होता है। अच्छा हो कि उन मोहताज लोगों को कुछ काम दिया जाय। किसी भी सभ्य देश के लिये भीख मांगना बड़ा कलंक है। यह फरमाया गया कि सरकार यहां बहुत से मरीजों का इलाज करने की भी कोशिश करती है। बहुत सी छतीली बीमारियां हैं, जिनके मरीजों को दूर रखना चाहिये लेकिन बड़े से बड़े शहरों में कोढ़ी और दीगर छूतीली बीमारियों के मरीज सड़कों पर मारे-मारे फिरते नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि बड़े-बड़े शहरों में इन कोढ़ियों और दूसरी छूतीली बीमारियों के मरीजों के लिये शहरों से ४, ५ मील के फासले पर मकान ऐसे बनवाये जावें जहां उनका इलाज हो सके और वे शहर के लोगों से न मिलजुल पावें।

ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बाज औकात छोटी बातें भी बड़ा भयानक रूप धारण कर लेती हैं। छोटी चीजों को नजरअन्दाज करना ज्यादा होशियारी की बात नहीं है। इन चीजों के बारे में हमारे देश में समझा जाता है कि हमारे बहुत ऊंचे खयालात हैं। पांच साला मंसूबे बनते चले जाते हैं और आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सर्फ किया जाता है, लेकिन बहुत-सी हमारी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो फेल हो गयी हैं। अभी १२ तारीख को ही एक पेन्टून बिज्र इलाहाबाद में गिर गया और उससे करीब १६ मौतें वाके हुईं। कई रोज तक सरकार को इस साइंस के जमाने में पता नहीं चल पाया कि क्यों यह वाकया हुआ। मैं बड़ी आरजू के साथ अर्ज करता हूं कि यह एनएफीशियेन्सी की इन्तहा है। पुल बनते हैं, पुल गिरते हैं। कासगंज का पुल अर्सा हुआ बना था जिसके नीचे से नदी बहती है और ऊपर से नहर बहती है, लेकिन उसमें कहीं खराश भी पैदा नहीं हुई। आगरे में ताजमहल जमाने से खड़ा है और उसके किनारे पर जमुना लहरा रही है। बड़े से बड़े तूफान आये, लेकिन उसने जुम्बिश नहीं खायी। लेकिन हमारे जमाने की चीज जरा देर पीछे ही गिर जाती है। कानपुर में अभी थोड़े दिन हुए एक मकान में बच्चे पढ़ रहे थे कि वह इमारत गिर गयी और बहुत से बच्चों का इन्तकाल हो गया। हमारी चीजों में ड्यूरेबिलिटी नहीं है। जरा सा जलजला आया कि चीज खत्म हो गयी। हम जो भी काम करते हैं वह नाकिस और अधूरा होता है। इसलिये हमें यह देखना होगा कि हमारे देश में किस बात की कमी है और उस तरफ हम अगर कोशिश करेंगे तो जल्दी ही सुधार हो सकेगा और काफी आगे तब बढ़ जाने की गुंजायश हो जायगी।

सरकार का यह कहना है कि जब नदियों वगैरह का कटाव हुआ तो मुनासिब इन्तजाम किया गया। मेरा खयाल है इसमें अमेरिका का स्टाइल हमको अपनाना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तूफान के जमाने में, कटाव के जमाने में सरकार जनता को बचाने में असमर्थ रही है।

सरकार बड़ी जबरदस्त तब्दीली करना चाहती है। जमींदारी अबोलीशन करके उसने दिमागी तब्दीली लाने की कोशिश की। अब सरकार एक कौंसोलिडेशन की स्कीम लाई है। २६ जिलों में अभी तक यह काम हो चुका है और मेरी कांस्टीटुयेंसी में अब यह होने वाला है। उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी का दो ढाई घंटे भाषण हुआ। उस दौरान में कुछ सवालात का जबाव वहां नहीं मिल सका। दो चीजें उसमें बड़ी खटकने वाली हैं। कंसोलिडेशन किस लिये किया जा रहा है? वह इसलिये नहीं किया जा रहा है कि उससे पब्लिक को फायदा न हो। उसके जरिये आप चाहते हैं कि जो फ्रेगमेन्टेशन जमीनों का हो गया है वह खत्म होकर जमीन यकजाई हो जाय, लेकिन जहां-जहां कंसोलिडेशन हुआ है उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ, बहुत से चक बना दिये जाते हैं। हालांकि उसूली तौर से मेरी पार्टी और दूसरी पार्टियां उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो तरीका है वह निहायत गलत है। होना यह चाहिये कि जहां के ५० फीसदी लोग मुतमईन न हों वहां पर यह स्कीम लागू न की जाय। इसके अलावा जो भूमि का वितरण हुआ है उसके सारे खर्चे को सरकार को बरदाश्त करना चाहिये। कंसोलिडेशन

[श्री शिवराज बहादुर]

का खर्चा किसानों के ऊपर गालिबन ५० परसेंट रखा गया है और ५० परसेंट खर्चा उसका सरकार बर्दाश्त करेगी। तो यह ५० परसेंट खर्चा भी किसानों के ऊपर नहीं रहना चाहिये और साथ ही साथ किसी भी किसान के ३ से ज्यादा चक न बनें। हमारे यहां बहुत ज्यादा जमीन वाले काश्तकार नहीं हैं, बल्कि उनके पास थोड़ी जमीन है। होना तो यह चाहिये था कि पहले आप सीलिंग मुकर्रर कर देते, पहले डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड हो जाता उसके बाद कंसोलिडेशन होता। मेरी समझ में नहीं आता कि कंसोलिडेशन की सूरत में ऐसा कौन-सा तरीका है जिससे आगे चल कर जमीन का बटवारा न हो। जमीन का बटवारा तो होता ही रहेगा जब तक कि आप उसके लिये कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं कर देते। तो यह कंसोलिडेशन का मामला ऐसा है जो हमारे समाज में एक बड़ा ही जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, जो कि इस समय मौजूद हैं, इस खास सबजेक्ट को अच्छी तरह से समझ गये होंगे और वे सदन को बतलायेंगे कि वे इसके लिये क्या करने जा रहे हैं।

पुलिस फायरिंग सन् १९५८ में खासतौर पर ३ जगह लखनऊ में, अहेन में और छबेला में हुई। पुलिस फायरिंग के बारे में महात्मा जी का कहना था कि जहां कहीं भी फायरिंग हो वहां जुडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिये। मुझे मालूम नहीं कि जो लखनऊ, छबेला और अहेन में फायरिंग हुई वह किस स्टेज पर हुई, किस माहौल में हुई और फायरिंग किसी माब पर हुई या किस पर हुई। जो फायरिंग हुई वह कहीं किसी मासूम पर, किसी बेगुनाह पर तो नहीं हुई इसके लिये जुडिशियल इनक्वायरी कराना जरूरी था। गांधी जी का कहना था कि अव्वल तो फायरिंग होनी ही नहीं चाहिये, लेकिन अगर कहीं कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी हालात पैदा हो जायं तो वहां भले ही फायरिंग करनी पड़े, लेकिन उसकी जुडिशियल इनक्वायरी जरूर होनी चाहिये। मुझे मालूम नहीं कि यह वेलफेयर स्टेट की सरकार जो रामराज्य की स्थापना करने जा रही है उसने कहीं पर जुडिशियल इनक्वायरी करायी या नहीं कराई। मैं माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि वे इस बारे में सदन को अवश्य ही बतलाने की कोशिश करेंगे।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---माननीय चेयरमैन महोदय, जो बजट आज इस हाउस में पेश किया गया है, मैं उसका खैरमकदम करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं। कबल इसके कि हम किसी बजट के ऊपर अपने खयालात को जाहिर करें हमें उन हालात को देख लेना निहायत जरूरी होता है कि जिन हालात में वह बजट पेश किया गया है। यह अम्र वाके है कि सूबे में गल्ले की कमी है और यह भी वाके है कि हम इस सूबे के समाज को एक सोशलिस्ट किस्म के समाज में ढालना चाहते हैं और हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं। यह भी बात सही है कि हमने हर गांव को या पंचायत को कई बहुत बड़े अधिकार दिये हैं और कुछ और देना चाहते हैं और उनकी सुन्दर रूपरेखा बनाना चाहते हैं, परन्तु वे तमाम स्वप्न व ख्वाब जिसमें किसी खास हालात के मातहत हमने उनको ये अधिकार दिये हैं, जरा सोचें कि क्या यह मुमकिन नहीं है कि उससे बजाय फायदे के नुक्सान ही हो और हमारे ख्वाब रखे ही रह जायं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने अपने भाषण में उन तमाम बातों को कहा जो कुछ अर्से बाद होने वाली हैं, और जिनको हल करना हमारा मकसद है, जिनका प्रिपरेशन हम बराबर करते चले जा रहे हैं, हमने काफी कामयाबी हासिल की है। जो हमारा अगला मंजिले मकसूद है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी रूपरेखा सुन्दर बनाना चाहते हैं। उन्होंने, जो आखिरी हमारी मंजिले मकसूद है, उसी की एक रूपरेखा आज इस हाउस के सामने पेश की। वह रूपरेखा बड़ी सुन्दर है और उसमें दो रायों का सवाल भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जितनी बातें वे चाहते हैं उनको हम आज ही कर सकते हैं या नहीं ?

उन्होंने कहा कि गांव पंचायतों को पुलिस देनी चाहिये। ठीक है गांव पंचायतों में पुलिस के अधिकार रखे जांय, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आज ही वे अधिकार दिये जा सकते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है ? यह कहा गया कि फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट गांव में दर्ज हो। ऐसे छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यह कोई ठोस सुझाव नहीं है ।

इसी तरह से उन्होंने बहुत सी बातें कहीं । तालीम की बात, यूनिवर्सिटी की बात कही । मैं एक सवाल हाउस से करना चाहता हूं । कहा जाता है कि शहरों में पापुलेशन बढ़ रही है जब कि मंजिले मकसूद हमारा यह है कि शहरों में पापुलेशन हमारी न बढ़े, गांव का आदमी गांव में रहे, लेकिन इस बात को गहराई से देखा जाय तो मैं कहने के लिये तैयार हूं अगर यातायात के साधन और दस्तकारी बढ़ेगी तो यह नामुमकिन है कि गांव का आदमी गांव में रहे और यह अच्छा भी नहीं है। गांव के हित में नहीं है कि गांव की पापुलेशन गांव में ही रहे और जमीन पर जो बोझ है वह कायम रहे । जमीन का बोझ उसी वक्त उतर सकता है जब कि गांव की आबादी शहरों में जाय और शहरों में जाना कुदरती भी है । इस वजह से कुदरती है कि जो विकास के साधन है वे शहरों में ही मौजूद है, वे गांव में उपलब्ध नहीं हैं । यह हो सकता है कि काटेज इंडस्ट्रीज गांवों में ही खोली जायं, लेकिन फिर उसके लिये मार्केटिंग का सवाल पैदा होता है । मार्केटिंग शहर में ही अच्छी मिल सकती है, तो उस दस्तकारी का विकास फिर शहर में ही अच्छा हो सकता है । इस तरह की सब समस्याओं पर हमें सोचना है और जो कंसेप्शन है जिसका इजहार त्रिलोकीसिंह जी ने भी किया वह नामुमकिन है कि गांवों को सेल्फ सफिशेंट यूनिट बना दिया जाय और गांव वालों को वहीं रख कर सब सुविधायें दी जायं । अगर इस उसूल को मान लिया जाता है तो मेरे खयाल से गांवों की अवनति होती है, उन्नति नहीं होती ।

हम गांव सभाओं को अधिकार देंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा । यह मुनासिब न होगा कि सभी अधिकार, आज ही दे दिये जायं ।

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आज सामान्य विवाद बजट पर चल रहा है, लेकिन सदन में न तो मुख्य मंत्री उपस्थित हैं, न वित्त मंत्री उपस्थित हैं और कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है । तो ऐसी स्थिति में वे क्या सुनेंगे और क्या स्पीचेज का उत्तर देंगे ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—कब्ल इसके कि आप इस पर व्यवस्था दें मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब बजट पर आम विवाद होता है तो जितने मिनिस्टर होते हैं उन सबको मौजूद रहना चाहिये, क्योंकि सारे विभागों से सम्बन्धित बातों पर बोला जाता है, विशेषकर चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री को अवश्य मौजूद रहना चाहिये । यह बड़े दुख की बात है कि एक भी माननीय मंत्री मौजूद नहीं हैं । इस सिलसिले में सेंट्रल असेम्बली में एक बार कमान्डर-इन-चीफ तशरीफ नहीं लाये और उस दिन उनके एक बयान पर बहस थी तो उस वक्त के अध्यक्ष बिट्ठल भाई पटेल ने कहा कि कमाण्डर-इन-चीफ के लिये अशिष्ट बात है कि वह मौजूद नहीं हैं ।

मुझे अर्ज यह करना है कि कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स यहां मौजूद हैं, लेकिन मिनिस्टर इनचार्ज कोई भी मौजूद नहीं हैं और मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि मान्यवर, व्यवस्था करने की कृपा करें कि इस सामान्य विवाद में जितने मिनिस्टर्स इन्चार्ज हैं उनका यहां मौजूद रहना अच्छा होगा ।

नियोजन उपमन्त्री (श्री सुल्तान आलम खां)—माननीय चेयरमैन साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब शुरू से आखिर तक यहां रहे । एक खास जरूरत से वह साढ़े चार बजे उठ कर गये हैं और मैं उस वक्त से बराबर यहां मौजूद हूं । माननीय सदस्य जो अपनी तकरीर में फरमा रहे हैं वह नोट किया जा रहा है और जो जो बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मिलना चाहिये उनका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस डिस्कशन को वाइन्ड अप करते वक्त देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में जब कोई मिनिस्टर इन्चार्ज नहीं है तो सदन की कार्यवाही रोक दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---बेहतर तो यह है कि मिनिस्टर महोदय उपस्थित होते, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में सामान्य वादविवाद नहीं चल सकता । लिहाजा मैं इस प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं ।

श्री खूबसिंह---श्रीमन्, जितना वक्त इस वादविवाद में लग गया उतना मुझे देने की कृपा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---आपको मिल जायगा ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आपकी क्या व्यवस्था हुई हम जानना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक निवेदन आपके रूलिंग देने से पहले कर दूं । यह बहुत बड़ी व्यवस्था का प्रश्न है और इसमें लोक सभा और ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति सम्बन्धित है । अब केवल ३ मिनट रह गये हैं तो ३ मिनट के लिये आप कोई ऐसी व्यवस्था न दें जिससे हमेशा के लिये बाधा उत्पन्न हो ।

श्री अधिष्ठाता---मैंने यह व्यवस्था दी है कि यह डिजाइरेबिल है कि मिनिस्टर साहबान सामान्य विवाद के समय उपस्थित रहें, लेकिन चूंकि आज नहीं हैं मैं इस डिबेट को रोक नहीं सकता । लिहाजा डिबेट जारी रहेगी ।

१९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री खूबसिंह---श्रीमन्, जहां मैंने इस बजट की तारीफ की वहां मैं इसकी चन्द कमियों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और इस नुक्तेनिगाह से नहीं कि मैं इस बजट को बिलकुल पसन्द नहीं करता, लेकिन अच्छा है कि वह चीजें भी सामने आ जायं तो उससे कुछ फायदा ही हो सकता है । सबसे पहली बात तो यह है. . . . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन कर दूं कि चूंकि एक बहुत बड़ी पार्लियामेंटरी पद्धति से सम्बन्धित यह प्रश्न है और आपने अपनी व्यवस्था ऐसी दी है तो आइन्दा मिनिस्टर लोग इस विषय पर ध्यान दें और मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में, जब सामान्य वादविवाद हो और एक भी मंत्रिमंडल का सदस्य उपस्थित न हो जब कि डिप्टी मिनिस्टर मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं बैठ सकते उस स्थिति में, हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजनारायण ने समाजवादी दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग किया ।)

श्री अधिष्ठाता---मैं कह चुका हूं कि यह डिजाइरेबिल है कि मंत्री यहां पर उपस्थित रहें और उनका ध्यान जरूर आकर्षित होगा ।

श्री खूबसिंह---चेयरमैन महोदय, मुझे जो एक बात आबजेक्शनेबिल महसूस हुई वह यह कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रावीजन किया गया है । मैं यह नहीं समझता कि हमारे सूबे को किसी टैक्सटाइल मिल की जरूरत है । जरूरत इस बात की मैं महसूस करता हूं कि जो और दूसरी टैक्सटाइल मिल्स हैं उनको अगर हम किसी तरह से कम कर सकें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हैंडलूम इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री को जिसे हमने उठाया है, उसको कितनी बड़ी क्षति पहुंचेगी अगर टैक्सटाइल इंडस्ट्री को कम नहीं किया । इस बात की डिमान्ड लोग हमसे करते हैं, दस्तकार कहते हैं कि जो मौजूदा टैक्सटाइल मिल्स हैं वह कम होनी चाहिये प्रोपोर्शनेटली । क्योंकि अम्बर चर्खे से हमने यार्न तैयार किया और उसके बाद उसकी बुनाई शुरू करते हैं । तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री कुछ थोड़ी बढ़ी है उसे नुकसान पहुंचेगा । तो यह जो नुकसान पहुंचाने वाली

बात रखी गयी है, समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या जरूरत सरकार को पड़ गई या मजबूरी हुई जिसकी वजह से सरकार को मिल लगानी पड़ी । उसमें कहां गया है कि वह रुपया जो रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में शरणार्थियों को मिला है वह है । तो इस मिल के बजाय कोई दूसरी मिल कोआपरेटिव बेसिस पर या उन्हीं के वास्ते, उन्हीं के मैनेजमेंट में चलती तो ठीक था । तो एक बात तो यह है । दूसरी बात मुझे यह महसूस होती है कि किसी भी किस्म की काटेज इंडस्ट्री को इस बजट में पैटरोनाइज नहीं किया गया ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ फरवरी, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कुमाऊं डिवीजन में पैदल सड़कों पर पुलों का निर्माण

पुल का नाम	वर्तमान स्थिति
जिला अल्मोड़ा	
१—रामगंगा नदी पर रामेश्वर में पुल	कोई प्रगति नहीं
२—काली नदी में धारचुला में पुल	,,
३—भुजगढ़ नदी पर नचनी में पुल	,,
४—काली राऊ नदी पर नीमगांव के निकट पुल	अभी स्वीकृत नहीं हुआ
५—रामगंगा नदी पर औनेरी में झूला पुल	कोई प्रगति नहीं
६—सेरा नदी पर टांगा के निकट झूला पुल	,,
जिला गढ़वाल	
१—कालीगंगा नदी पर कालीमठ में पुल	,,
२—आटागद पर सिरौली में पुल	,,
३—खोह नदी पर दोगड्डा के निकट पुल	,,
४—आटागद पर खैरना—कर्णप्रयाग सड़क के १०वें मील में आटागद का पुल	,,
५—अलखनन्दा नदी पर सोनला में झूला पुल	,,
६—अलखनन्दा नदी पर चिनकी के निकट झूला पुल ..	,,
७—मन्डल नदी पर बुद्धगांव के निकट झूला पुल ..	,,
८—पूर्वी नैयर नदी पर मरोरा के निकट झूला पुल ..	,,
९—पिन्डर नदी पर कुलसारी व हरौनी ग्रामों के बीच झूला पुल	,,
१०—अलखनन्दन नदी पर लंगासू में झूला पुल	,,
११—रुद्रप्रयाग—गुप्तकाशी मार्ग पर चन्द्रपुरी के निकट झूला पुल	,,
जिला नैनीताल	
६ पुल	अभी स्वीकृत नहीं हुए
जिला टेहरी—गढ़वाल	
१—भागीरथी नदी पर हदियारी का पुल	अभी स्वीकृत नहीं हुआ
२—यमुना नदी पर नौगांव के निकट पुल	कोई प्रगति नहीं
३—अलखनन्दन नदी पर श्रीनगर का पुल	,,
४—भागीरथी नदी पर गंगोत्री में पुल	,,
५—भागीरथी नदी पर कोटेश्वर में पुल	अभी स्वीकृत नहीं हुआ
६—पंजना में लस्तर का पुल	,,
७—भैरोंघाटी में जदगंगा पर झूला पुल	,,
८—भागीरथी नदी पर दिदसारी के निकट झूला पुल ..	कोई प्रगति नहीं
९—भागीरथी नदी पर सिरेनी के निकट झूला पुल ..	,,
१०—भागीरथी नदी पर धरासू—गंगोत्री मार्ग पर झूला पुल ..	,,
११—घूंटी—घुटु मार्ग पर भीलगंगा पर झूला पुल ..	,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

कानपुर नगर में जो बाजार "हाट" लगते हैं उनकी सूची पते सहित

नाम	पते	म्यु० बोर्ड तहबाजारी वसूल करता है अथवा नहीं
१—दर्शनपुवरा बाजार	गुरुद्दीन का हाता, दर्शनपुरवा	नहीं
२—शास्त्री नगर बाजार	श्री हरिहर नाथ शास्त्रीनगर	हां
३—बम्बा रोड बाजार	बम्बा रोड, गुमटी नं० ५	हां
४—दाल मन्डी बाजार	दाल मन्डी	हां
५—ह्वीलरगंज बाजार	हूलागंज	हां
६—दौलतगंज बाजार	दौलतगंज	हां
७—सब्जीमन्डी बाजार	घसियारी मन्डी, कैनाल रोड	हां
८—बाकरगंज हाट	बाकरगंज	नहीं
९—सब्जीमन्डी बाजार	सब्जी मन्डी	हां
१०—हटिया बाजार	हटिया	हां
११—बेकनगंज बाजार	बेकनगंज	हां
१२—फूलवाली गली बाजार	फूलवाली गली	हां
१३—कलेक्टरगंज पड़ाव	कलेक्टरगंज	फिलहाल नहीं
१४—तेलहन मार्केट	कूपरगंज	फिलहाल नहीं
१५—सीसामऊ बाजार	सीसामाऊ	हां
१६—द्वारकापुरी बाजार	द्वारकापुरी, जी० टी० रोड	नहीं
१७—नवाबगंज बाजार	नवाबगंज	हां
१८—गुटैया पड़ाव बाजार	गुटैया, जी० टी० रोड	हां
१९—गुटैया घंटाघर बाजार	स्वरूपनगर	हां
२०—बी० पी० श्रीवास्तव मार्केट	परेड	हां
२१—परेड बाजार (भाग)	रामलीला मैदान, परेड	हां
२२—रिवर बैंक बाजार	परमट	हां
२३—ग्वालटोली बाजार	ग्वालटोली	हां
२४—काजीखेरा बाजार	काजीखेरा	नहीं
२५—जाजमऊ बाजार	जाजमऊ	नहीं

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

मद सं०	विभाग तथा सेवायें	बचतें
		रु०
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय	२७,१९०
२	मालगुजारी भू राजस्व	४४,८८,७९२
३	राज्य आबकारी (इक्साइज)	५,९८,४९९
४	स्टाम्प	३८,९९९
५	वन	१,१४,३४४
६	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	५६,३९०
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२,८०,७१३
११	अभियंत्रण इंजीनियरिंग संस्थायें	२४,८३,७४८
१२	सामान्य प्रशासन	१७,०२,१२१
	[मुख्य बचतें 'भूमि व्यवस्था आयुक्त' तथा 'राजस्व परिषद्' के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था में हुई]	
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय	१६,२५,१९६
१४	गांव सभायें और पंचायतें	१०,१८,२११
१६	जेल	२,८५,८३६
१७	पुलिस	२,२७,०४३
१८	शिक्षा	६७,१०,९२५
१९	चिकित्सा	२२,६८,६७३
२०	जन–स्वास्थ्य	७,४५,०४१
२१	कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण इन्जीनियरिंग और खोज	६६,७९,८०७
२२	उपनिवेशन	१९,२७,९४१
२३	पशु चिकित्सा	३०,९७,९३५
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४,१७,२३१
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१०,९३,८९०
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण	४८,४०,००४
२७	उद्योग	७८,२६,३७८
२८	श्रम और संख्या	२५,२३,९५२
३०	सूचना संचालन कार्यालय	८,६२,३८८
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१२,७६,१०९
३२	यातायात के साधनों का सुधार केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित	७५,०९८
३४	नागरिक निर्माण–कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	३१,८३९
३५	दुर्भिक्ष सहायता	५७,११६
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते	५३,८३५
३७	बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें	९३,३९४
३८	लेखन सामग्री और छपाई	१४,९६,३६७

मत सं०	विभाग तथा सेवायें	बचतें
		रु०
३९	प्रकीर्ण व्यय---	
	१---सहायता तथा पुनर्वासन विभाग ..	७,३७,०८६
	२---अन्य	२५,९२,७४४
४०	अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान ..	१२,२४,८००
४१	समाज कल्याण	४५,४४,७८४
४२	योजना और एकीकरण	२,०८,३४,४१९
		२,४२,३१,५९७
		१,४०,३०,४२४
		३,०७,२१,८५८
		१,०९,१८,०३२
	(क) ..	१,०५,९३५
		१९,७०,४२५
		२,९०,७३६
		४,९१,९६९
		२,७६,९०२
		१,४३,१५५
५०	पेन्शनों की संराशि	१३,५७,७१४
५१	राज्य व्यापार की योजनायें	१,०१,८०,२२०
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण	१,३४,५२,४६०

टिप्पणी---बचतों के उक्त आंकड़े अन्तिम नहीं हैं क्योंकि कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल द्वारा १९५७-५८ के विनियोग लेखे अभी तक इस सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---३२६ एल० ए०---१९५९---८४५।